

## विशोधनिका

( तृतीय प्रकरण )

धने दृहे यदासक्ताः सेवकाः सम्भवन्ति हि।  
लाभ्यूजार्थ्यत्नाश्च तदा स्यात् कुपितो हरिः ॥१॥  
भक्तिमार्गं परित्यज्य शिश्नोदरकुतोद्यमाः ।  
आसुरावेशिनो दासाः तदैदास्यं भवेद् हरेः ॥२॥  
अहङ्कारेण कुर्वन्ति तथा महदतिक्रमम्।  
निजाऽपि तदा कृष्णः कुप्यति स्वजनप्रियः ॥३॥  
यदा महत्कुलोद्भूताः त्यजन्ति कुलगा गतिम्।  
तदात् तत्कलस्वामी क्रोधमेति न संशयः ॥४॥  
अन्विष्यतां हि सर्वत्र न व्रवापि सुपथस्थितिः ।  
नवा निजाचार्यनिष्ठा नवा दैन्यं हरेः परम् ॥५॥  
नवा तद्वावयपरता न वैराग्यं तथाविद्यम्।  
न यथालाभसंतोषः कथं कृष्णः प्रसीदति ॥६॥

॥ इति श्रीमद्-हरिरायचरण-विरचितं बहिर्मुखत्वनिरूपणम् ॥

गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजश्याममनोहरविरचिता

# विशोधनिका

( तृतीय प्रकरण )

गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजश्यामनोहरविरचिता

लेखक-प्रकाशक : गोस्वामी श्याम मनोहर  
६३, स्वस्तिक सोसायटी, ४था रस्ता, जुहुस्कीम,  
पार्ले, मुंबई ४०० ०५६.

प्रथम संस्करण : वि.सं. २०५८.  
प्रति : १००

नि:शुल्क वितरणार्थ

मुद्रक : शैलेश प्रिन्टर्स.  
१४, चुनावाला इन्डियल इस्टेट,  
कोडी-वीटा, अंगेरी (पूर्व),  
मुंबई ४०० ०५९.

चिरञ्जीवी श्रीब्रजवल्लभजी

तथा

चिरञ्जीवी श्रीअनुरागजी

के

वंशजोंके

भक्तिमार्गाभ्यामार्तण्डवाइमरीचिबोधोदयविकसित

नि:शेषनिस्सारितदेवलकताकलङ्कपङ्कहृष्टपदश्री

पुष्टिभावपरगप्रारुद्धप्रयुक्तसौगन्ध्यकीर्ति

सुसमृद्धभविष्यको

समर्पित



गोस्वामी श्यामकांठोहर

## प्रकाशकीय

कोई धर्मार्थी, अर्थार्थी, कामार्थी, मोक्षार्थी, भक्त्यर्थी अथवा स्वाराष्यधारतुर्णैविकारी व्यक्ति अपने सेव्यस्वरूपकी सेवा केरे करता है—रूक्ष कर्त्तव्यरूपमें, या अर्जीविकारके उपार्जनोपायके रूपमें, या अपने सांसारिक गोष्ठीपोजोंके साथमेंको उत्तरोके उपायके रूपमें, या सांसारिक तापवर्त्तणासे छुटकारेके उपायके रूपमें, या महद्विभृत्यपक्षितको पानेके उपायके रूपमें अथवा अपने सेव्यस्वरूपके सुखसन्नोषके उपायके रूपमें—यह उसका अपना स्वतन्त्र है जिसके बारें कुछ भी सेके-टोक करनेके में अपने-आपको अधिकारी नहीं मानता। किं प्रस्तुत ‘विशेषनिका’ में इन्हें उग्रभावोंको इनी उग्राहारामें प्रकट करनेका औचित्र क्या?

गुजराती भाषाके प्रसिद्ध कवि श्रीपुकुल चोकसीके काव्यभावोंको में अपनी सफाई देनेके रूपमें द्वे हराना चांगूँ:

ये और कुछ नहीं इक हृदयसे उठी है भाप।

ठड़ी पढ़ी तो पानी पर छू लिया तो ताप।

इन उग्रावाव और उग्रभाव को ठड़े करनेकी शर्त केवल यही है कि या तो कोई मुझे समझाए कि महाप्रभु-प्रभुचरणके नामपर भगवत्सेवाका व्यावसायिक प्रदर्शन जो आज बल्लभप्रस्त्रदायमें चल रहा है वह उनके किस वचनके आधारपर धर्घ्य माना जा सकता है? अथवा जिसे जो कराना हो वरे पर अपने सिद्धान्तविपरीत कृत्योंको इन दिव्य आचार्योंकी सिद्धान्त एवं परम्परा के रूपमें प्रस्तुत न करे!

इसका अधिकांश भाग वि.सं.२०५०में लिखा जा चुका था किन्तु मुद्रणार्थ दिया नहीं जा सका। हालमें वि.सौ.विन्दु बहुजीड़ाग कोई प्रकाशनाहूँ भेद हो तो कम्प्युटरमें फोड़ करनेको माननेपर उनके उत्साह एवं परिश्रम के बश; इसी तरह, अन्यथी मेरे अनेक सहयोगी वैष्णवोंके आर्थिक तथा सक्रिय सहयोग वश अब यह प्रकाशित होने जा रहा है।

परिवार बारस, वि.सं.२०५८।

गोस्वामी श्याम मनोहर

## आमुख

॥ दुःसंगविज्ञानप्रकारनिरूपणम् ॥

अथ श्रीबल्लभाचार्यकृपया सुरितं हृदि।

स्वीयानामध्यमाधर्थ्य किञ्चिदत्र निरूप्यते ॥१॥

अब श्रीबल्लभाचार्यचरणकी कृपासे हृदयमें जो कुछ सुरित हो रहा है, उसे पुष्टिमार्गोंके भ्रमोंको दूर करनेके लिये निरूपित किया जाता है।

देवामुरविभागेन द्वेषा जीवाः प्रकीर्तिः ।

वन्यमोक्षव्यवस्थापि गीतावामेव रूपितः ॥२॥

जीवोंकी सुषिके दो प्रकारः (१)दैव और (२)आमुर के विभागाः कठे गये हैं। स्वयं भगवदीतामें ही “दैवी सुषि मुक्तिके लिये तथा आमुरी सुषि बन्धनके लिये निर्मित हुई है” यह भी कहा गया है।

देवेष्वपि च जीवेषु यदङ्गीकरणे पुनः ।

भक्तिमार्गं तएवत्र प्रप्त्यान्ति पुरुषोत्तमम् ॥३॥

दैवी सुषिके अन्तर्ता भी जिसका भक्तिके देतु प्रभुने वरण किया होता है, वही इस भक्तिमार्गमें पुरुषोत्तमको पा सकता है।

तत्रापि भेदो विज्ञेयो मर्यादापुष्टिष्ठेदतः ।

मार्गं फलेष्वि विज्ञेयो भक्तिमोक्षविभेदतः ॥४॥

भक्तिमार्गमें भी मर्यादाभक्ति तथा पुष्टिभक्ति का भेद होता है, यह जान लेना चाहिये। इसके कारण मार्गके स्वरूप तथा फलके स्वरूपमें भक्तिके लिये भक्ति तथा मुक्ति के लिये भक्ति करनेके

प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं।

भक्तावल्लीकृत्यभावे दैवानामपि सर्वथा।

कामनिक्षमभेदेन स्वर्गमाशौनि न संशयः ॥५॥

भक्ति करनेके लिये जिनका भक्तिमार्ग अन्नीकार न हुवा हो तो वे जीव, दैवी सुहिं जीव होनेपर भी, सकाम होनेपर स्वर्गादिफल और निष्काम होनेपर मोक्ष ही केवल पा सकते हैं।

विजेयं वरणं भक्ती तदधित्वैककार्यतः ।

तदधित्वं च विजेयं भजनात्प्रवृत्तिः ॥६॥

जब केवल प्रभुको ही पानेकी कामना हो तो प्रभुने भक्तिके लिये वरण किया है, ऐसे समझ लेना चाहिये। यदि भगवद्भजन करनेके लिये प्रवृत्ति हो पाती हो तो समझना चाहिये कि भगवद्वातिकी वास्तविक कामना है।

तत्रादौ शरणं गच्छेत् महापुरुषयोगतः ।

महापुरुषपाठेऽतन्निरैरपि सर्वदा ॥७॥

भगवद्भजनमें प्रवृत्त होनेके लिये महापुरुषों (श्रीभगवततत्त्वज्ञ, दम्भादिहित, कृष्णसेवयाशण आचार्यसंज्ञो) के द्वारा भागवत-शरणगति प्राप्त करनी चाहिये। यदि वैसे योग्य महापुरुष न मिलते हों तो अन्य भगवदीयोद्वारा भी भगवत्-शरणगति ग्रहण करनी चाहिये।

तत् आश्रयसंसिद्धौ सेवार्थं स्वसमर्पणम् ।

समर्पणे जीवदेहतत्सम्बन्धवतामपि ॥८॥

ब्रह्मसम्बन्धतः कृष्णसाक्षात्सम्बन्धयोग्यता ।

भगवत्-शरणगति ग्रहण करनेके बाद भगवदश्रव्यको दुःख बनानेके उपाय करने चाहिये। वह दुःख होनेपर भगवत्सेवाके लिये आत्मसमर्पण करना चाहिये (अर्थात् शिष्यषणातोभवशाद् आज-कल दृढ़श्रव्यके बिना दिये जाते ब्रह्मसम्बन्धको 'भ्रमसम्बन्ध' ही समझना चाहिये) जीवात्मके सम्बन्ध देह और देहके साथ सम्बन्धित सकल चेतनाचेतन वस्तुओंके

भगवान्को समर्पित करनेपर उनका ब्रह्मसे सम्बन्ध जुड़ जाता है। अतः श्रीकृष्णकी साक्षात् सेवामें सम्बद्ध होने लायक भी।

ततस्तत्सेवया स्वीयसर्वस्वविनियोगतः ॥९॥

पृथीतपत्तमानन्दनिधिः कृष्णोऽक्षयः स्तूतः ।

अतस्तु सावधानित्वं विधेयं भगवज्जनैः ॥१०॥

सम्प्राप्तनिधिः चौरवज्जनेभ्यो विशेषतः ।

अपने-आपको सेवायोग बना लेनेके बाद भगवत्सेवामें अपने सर्वस्वके विनियोग करते होनेपर अपने घरमें विराजमान श्रीकृष्णका स्वरूप स्वर्यं ही अक्षय रप्तानन्दकी निधि बन जायेगा। अतः श्रीकृष्णरूप निधि पा जानेवाले भगवदीयोंको चोर-ठोरोंसे पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिये।

चौरास्तु द्विविद्या: ज्ञेया बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥११॥

बाह्याः कुदुम्बस्त्वा ये ते तु वित्तहराः स्मृताः ।

यतस्तद्विविनायोन वित्तं याति समर्पितम् ॥१२॥

चोर दो तरहें होते हैं: बाह्य और आभ्यन्तर। इनमें बाह्य चोर अपने वित्तहारी कुदुम्बिजन ही होते हैं। ये पता भी नहीं चलने देते कि भगवत्सेवार्थ विनियोगार्थ अपना सारा वित्त न जाने कैसे केवल कुदुम्बिनायहमें ही विनियुक्त होता रहता है!

आन्तराः कामलोभाद्याः चित्तमात्रहरास्तु ते ।

यतो बहिर्मुखं चित्तं सेवायां प्रविशेद् नहि ॥१३॥

चित्तवित्तैकसाध्या हि सेवा चापि न सिद्धच्यति ।

तदभावेऽखिलं व्यर्थं पुरुषार्थपरिक्षयात् ॥१४॥

आभ्यन्तर चोर हमारे चित्तको ही हर लेनेवाले स्वयं हमारे भीतर रहे काम-लोभ आदि दुर्गा होते हैं। इनके काण बहिर्मुख बना चित्त कभी भगवत्सेवामें जुट ही नहीं पाता है। सेवा तो निज चित्त-वित्तसे ही साथ होती होनेसे सिद्ध नहीं हो पाती है। सेवाके बिना तो किया-धरा सब कुछ व्यर्थ ही होता है, पुरुषार्थके परिक्षयके कारण।

अतो विवेकपैयादिशस्त्रयुक्तौः तथा पुनः ।

आनन्दास्ते निराकार्या बाह्यास्तेतु व्यथाक्रमम् ॥१५॥

सेवाकारणतद्वायोधपरित्यागादिसाधनैः ।

अतः विवेक-धीर्घ-आश्रयके शस्त्रोंसे सुसज्ज रहते हुवे आभ्यन्तर चोरोंको डारा कर भगा देना चाहिये। इसी तह बाह्य चोरोंको भी सेवाके उपायरूप अपने चित्त और चित्त को भगवत्सेवामें निरुद्ध रख कर, अन्यथा, भगवत्सेवामें से अपने चित्त और चित्त को चुरानेवालोंमें प्रभावके परित्यागद्वारा या अन्य भी ऐसे किन्तु शब्द उपायोंद्वारा।

अज्ञचक्षु ततोऽप्येष दृष्टु इत्येव बुद्ध्यताम् ॥१६॥

यतस्तद्वृक्तिंश्चेष्टा तथाद्युक्तं भाषणम् ।

विनयः शान्तता वेशः शुच्चक्रादिचिन्हितः ॥१७॥

एवमाद्यखिलं तु यं भगवद्वर्णवर्तिभिः ।

ततो ज्ञानांभावतोऽपि सर्वथा नाशनं पतम् ॥१८॥

चोरोंकी तुलनामें वज्रक अधिक दुष्ट होता है व्योंकि उसकी आकृति चेष्टा आचार भाषण विनय शान्तता वेश शंखचक्र आदि तिलक-मुद्रा आदिसे अपने-आपको सजाधजा कर रखना आदि सभी बातें भगवद्वर्णवर्तिओंके जैसी होती हैं। परिणामतया ऐसे वंचककी वास्तविकताको पहचान पाना बहोत ही मुश्किल काम होता है। अतएव ऐसे वंचकद्वारा ठों जानेपर आत्मनाश सर्वथा निश्चित ही होता है।

दुर्घटं तस्य विश्वासं सर्वथा भक्तसांस्थतः ।

अतएव न कर्त्तव्यो विश्वासो हृच्यविचारः ॥१९॥

भक्तोंके जैसे भेष बनाये रखनेके कारण ऐसे वंचकोंको पहचान पाना बहोत कठिन काम होता है। अतः बिना विचारे हर किसीपर विश्वास कभी भी-नहीं कर लेना चाहिये।

तदीयत्वभ्रमात् तस्मिन् विश्वासः सङ्क्षेपेतः ।

असत्यपि च सद्भावात् पतनं भक्तिमार्गतः ॥२०॥

अतएवोक्तम् आचार्यः गुरुरपि च वीक्षणम् ।

‘कृष्णसेवापरं वीक्ष्ये’त्यादियदे निबन्ध्यगे ॥२१॥

भगवद्वृक्तत होनेकी प्राप्तिके बाबा विश्वास रख कर संगोष्ठेके कारण असत्युपर्यामें सदभाव रखनेका प्ररिणाम यह निकलता है कि जीव भविमार्गसे च्युत हो जाता है। अतएव सर्वीर्णिर्णय निबन्ध्यमें आचार्यचरणों गुरुके भी वीक्षणकी बात “कृष्णसेवापरं वीक्ष्य” कारिकोमें दिखलायी है।

नवेतस्य परिज्ञानं कर्थं भवति सर्वथा ।

ज्ञाने सति परित्यागः कर्त्तव्योऽस्य सतां भवेत् ॥२२॥

भवेच्च चोरिज्ञानं शास्त्रतो धर्मदर्शनात् ।

नहि वज्चकविज्ञानं साम्यतो भगवज्ञनैः ॥२३॥

न कउपि सदृशो धर्मो वैलक्षण्यावबोधकः ।

मृगाणामिव साधूां मृगयोरित गायने ॥२४॥

सतोऽपि किञ्चिद् आथिक्यं वज्चकेतु प्रतीयते ।

प्रदशनार्थस्तु वेषादेविह सर्वथा ॥२५॥

गृहसंवासतो ज्ञेय इति चेत् तत्त्वं उज्ज्यते ।

संसर्गं बुद्धिनाशेतु मोहाद् न ज्ञानसम्भवः ॥२६॥

ज्ञानाभावे भवेदेव तत्क्रिया सार्थकाखिला ।

संसर्गान्त्रो नाशे कस्य ज्ञानोदये भवेत् ? ॥२७॥

न ज्ञापयति चात्मानं वावन्नाशं स वज्चकः ।

नाशयित्वैव भवति निजस्लपसमास्थितः ॥२८॥

मार्गस्थितेर भवत्येव तादुशोऽत्यन्तबाधकः ।

बलाद् न मारयत्वेष प्रवाद्यवै च धातकः ॥२९॥

छलुद्धिर्विनाशाय न बलं तस्य साधनम् ।

अज्ञात सर्वथा दिष्टो ज्ञातो नैव हि बाधकः ॥३०॥

ज्ञानन्वशक्यं तस्येति न निस्तारो कथञ्चन ।

इति चेत्.....

यहाँ एक शंका उठती है कि ऐसे वंचककी वास्तविकताको पहचाना कैसे? क्योंकि पहचान पानेपर ही कोई भला आदमी किसी दूसरे आदमीसे कठरा सकता है। अपने भीतर या बाहर रहनेवाले चोरोंको

तो शास्त्रोंके उपदेशके आधारपर जाना जा सकता है परन्तु वंचकजन तो भवतजनोंके जैसा ही दिलायी देता होनेसे पहचाना नहीं जा सकता। भवतजनोंसे वंचकजनोंको अलग-थलग कर पाये एसी कोई विलक्षणता नहीं दिलायी देती, जैसे मूँगोंको साधुपुरुषोंकी बनमें उपस्थिति और शिकारिओंकी बनमें उपस्थिति-का प्रभेद समझमें नहीं आता। प्रत्युत वंचकजनमें तो भवतजनोंसे भी कुछ अधिक ही भवितभाव दिखलायी देता होता है, क्योंकि उसके बेष आदि सभी कुछ प्रदर्शनार्थ ही तो होते हैं, घरमें साथ रह कर उसकी वारिविकाताको जानेके प्रयासमें तो उसके संगके कारण बुद्धिनाशकी ही पूरी सम्भावना रहती होनेसे ऐसे वंचकोंको जान पाना शक्य ही नहीं लगता, जाने बिना तो वंचककी सारी चालें सफल होंगी ही। और संसर्गमात्रसे नाश होनेकी बात जो कंहीं जा रही है सो वंचकका ज्ञान किसे हो सकता है! हमारा पूर्ण नाश किये बिना वंचक अपना असली रूप तो प्रकट करेगा नहीं और नाश करनेके बाद असली रूपके उजागर हो जानेका कोई लाभ नहीं। सन्मार्गसे हमें भटका देनेकी वंचकजन कभी बलजबरी तो करता नहीं होता, वह तो हमें भरमा कर ही मारता होता है। हमें नष्ट कर देनेको वह बल नहीं वापरता किन्तु चालाकीसे ही अपना काम निकालता है, उसे जान न पायें तो उसके जैसा हिंग्म अन्य कोई हो नहीं सकता और जान लेनेपर वह तो वह अनन्त छठक जाता है, अतः वंचकजनको पहचान पानेकी इस कठिनाइकी कारण इस समस्याका कोई समाधान ही समझमें नहीं आता!

.....तत् सिद्धान्त उपायः परिकीर्त्यते ॥३१॥  
 भगवद्भक्तसाम्येऽपि तदसाधारणो गुणः ।  
 निरपेक्षत्वमेतत्स्मिन् तदभावाद्विद्वचकः ॥३२॥  
 अनाकारितएवासां सङ्गे लगति सर्वथा ।  
 प्रार्थिता भगवद्भक्ताः कृपयन्ति कथञ्चन ॥३३॥

६

इस ऐसी शंकाके समाधानतया यह जान लेना चाहिये कि भवतजनके साथ अन्य सभी बातोंमें वंचकजन समान होनेपर भी एक बात उसकी वास्तविकताको पहचाननेका उपाय बन ही जाती है, वह यह कि भवतजन निरपेक्ष होते हैं वंचकजन कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। वह तो बिन बुलाये हमारे पीछे पड़ना चाहता है जबकि भवतजन तो कई बार बुलाये जानेपर भी मुश्किलसे कभी-कभाक प्रसन्न हो कर हमारे साथ होना चाहेगा।

स त्र्यम्ब विज्ञाय सञ्जते स्वार्थमोहितः ।

दीनेनु भगवद्भक्तास् तदर्थेनप्रसादाकाः ॥३४॥

चालयत्यवस्थार्गं मायाचाढुकसूक्ष्मिभिः ।

तेतु मार्गं चालयन्ति वचोभिः कटुकौष्ठैः ॥३५॥

एवं विजय बुद्धचैव वैलक्षण्यं हि वचकोः ।

तत्सङ्कं तत्र सद्भावं तन्माहात्म्यं परित्यजेत् ॥३६॥

वंचकजन स्वार्थमोहित होनेके कारण धनिकोंकी ही अधिक पूछ-परछ करता है, जबकि भवतजन तो दीनजनोंपर प्रसन्न हो कर केवल उसके हितकी बात ही उसे समझते हैं, क्योंकि अपने स्वयके स्वार्थको सिद्ध करनेकी मनोवृति भवतजनोंमें नहीं होती। वंचकजन मीठी-मीठी चापलुसी भरी बातोंके द्वारा उन्मार्गिकी ओर हमें ले जाना चाहता होता है जबकि भवतजन तो कुड़ी दबाके जैसी बातें करके भी सन्मार्गिकी ओर ही ले जाना चाहता है, इस तरह भवतजन और वंचकजन के बीच ही विलक्षणताको अपनी बुद्धि लगा कर समझ लेनेके बाद वंचकजनका संग, उसके प्रति सद्भाव और उसकी महत्ता का विचार मनमेंसे दूर कर देना चाहिये।

अन्यथा मार्गनिष्ठोऽपि विनाशं प्राप्नुयाद नः ।

अतेवास्मावाचार्यं उक्तं स्तीयकृपालुभिः ॥३७॥

“पाषण्डप्रतुरे लोके कृष्णएव गतिर्मम” ।

७

अन्यवाच्युक्तमेव हि शिक्षापद्यु सर्वथा ॥३८॥

अन्यथा पुष्टिर्थामें निष्ठा रखनेवालेका भी विनाश हो सकता है। अतएव निजजनोप कृपा करनेको श्रीमदादार्यचरणने भी कहा है “इस पाण्डसे भरी दुनियामें श्रीकृष्ण ही मेरी एक गति है” हमनें भी शिक्षापत्रोंमें इस विषयका निरूपण भलीभांति किया है।

प्रावाहिकास्तेऽपि घेत्स्युरु उपेक्षेवोचिता तदा ।

एवं विज्ञाय सततं स्थेयं वै सावधानिभिः ॥३९॥

सेवापरः कथासक्तौः सप्तसङ्गपरिशोधकैः ।

बाह्यव्यापाराहितैः भावद्भावभावुकैः ॥४०॥

दैन्यमात्रपरिआतन्तर् असदालापवजितैः ।

श्रीकृष्णदर्शनाद्यात्मे निषाचार्याश्रिताश्रितैः ॥४१॥

भगवद्भक्तोंके भीतर भी यदि प्रावाहिकताके ही लक्षण दिखलायी देते हों तो उनकी उपेक्षा ही करनी चाहिये। यह ऐसी सावधानी जो भगवान्की सेवा और कथा में परायण रहना चाहते हों, जिन्हें अपने सत्संगको परिशुद्ध रखना हो, जिन्हें बाह्य व्यापाराहित हो कर भगवद्भावकी भावना करनी हो, जो दैन्यभाववश निर्खंक साधनाडब्बरोंमें उलझना न चाहते हों, जो असदालापसे परे रहना चाहते हों, जिन्हें श्रीकृष्णदर्शनादिकी आर्ति निजादार्यचरणाश्रितोंके आश्रित रहनेके कारण प्रबल हो उन्हें सतत बरतनी चाहिये।

श्रीमत्कल्याणरायत्मजहरीरायः\*

\*भगवान् श्रीहरिताद्यविचरणविचित इस दुर्संगविज्ञानप्रकारसे अधिक उपयुक्त प्रस्तुत विशेषिनिकाका आमुख और क्या हो सकता है? इसमें जैसे दूर्णांसे बचनेकी बात श्रीहरितायाः सभी पुष्टिर्थामियोंको समझा रहे हैं, वे वे बातें हैं जो पुष्टिर्थामिय आधुनिक हवेलिओंको व्यावसायिक रूपमें चलानेवाले हम गोस्वामियर्थं तथा इनकी तरह ही वैष्णव प्रेतात्माओंको बुधुकारीमदूश सिद्ध करनेवाली भागवतसप्ताहोंके कथाव्यासोंको पुष्टिर्थामिय उपयोगिताको मापनेको सर्वथा उपकारक मानदण्ड है।

गो. श्या. म.

## विशेषधनिका (तृतीय प्रकरण)

### विषयानुक्रमणिका

परिच्छेद	पृष्ठ
(१) उपक्रम.....	१-१८
(२) ‘सेवाप्रयोजन’ शीर्षकान्तर्गत संकलित-विषयवाक्यविचारे ‘विमर्श’ विशेषधन.....	१९-५२
संग्रहकारिका	५२-५३
(३) ‘सेवोपदेशदीक्षा’ - ‘सेवोपदेष्ट’ शीर्षकान्तर्गतसंकलितविषयवाक्यविचारे	
‘विमर्श’ विशेषधन.....	५४-८२
संग्रहकारिका	८२-८४

(४) 'सेव्यस्वरूप' शीर्षकान्तर्गत

संकलितविषयवाक्यविचारे

'विमर्श' विशेषज्ञ..... ८५-११३

संग्रहकारिका ११३

(५) 'सेवाप्रदर्शन' शीर्षकान्तर्गत

संकलितविषयवाक्यविचारे

'विमर्श' विशेषज्ञ..... ११४-१३७

संग्रहकारिका १३७-१३८

(६) पुष्टि-अस्मिता..... १३९-१४२

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥  
॥ श्रीमदाचार्यचरणकम्लेष्यो नमः ॥

## विशोधनिका

(उपक्रम)

जयति श्रीवल्लभार्थो जयति च विङ्गलेश्वरः प्रभुः श्रीमात्।  
पुरुषो ज्ञ म श्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति ॥  
पुष्टिसिद्धान्तवचनासिभा (दि. १०-१३ जनवरी १२, पार्टे-मुख्य) में  
विचारणार्थं तदाप्रस्तुत सभावानुवाद सिद्धान्तवचनावलीमें के (१) सेवोपदेशादीक्षा  
(३) सेवाप्रदर्शन (४) सेवाप्रयोजन (६) सेव्यस्वरूप (९) सेवोपदेशा शीर्षकोंके  
अन्तर्गत संकलित वचनोंद्वारा विवक्षित सिद्धान्त इस प्रकारणके मुख्य  
विचार्य विषय हैं। साथ ही "विमर्श" ग्रन्थमें वर्णित अपसिद्धान्तोंका  
निराकरण भी।

(विचार्यविषयसिंहावलोकन)

'सेवाप्रयोजन' शीर्षकान्तर्गत वचन, वैसे तो, सिद्धान्तवचनावलीमें  
संकलित अथवा असंकलित सिद्धान्तनिरूपक सकल वचनोंके वास्तविक  
अभिप्रायोंको जाननेके निकष (कसोटी)रूप हैं। फिरी इसे अस्वीकारा  
नहीं जा सकता कि सेवाप्रयोजनको इदमित्थतया निर्धारित करनेवाले  
अन्य भी अनेकोंके वचन समयाभाववश तथा स्थानसंकेतवश मुझसे  
छुट भी गये ही हैं। साथ ही साथ यह भी भूलना नहीं चाहिये  
कि सिद्धान्तवचनावलीके तेरह-के-तेरह विचार्यविषयोंके वास्तविक स्वरूपको  
समझना हो तो ये तीन ही वचन पर्याप्त प्रकाशदायी हैं, इसमें  
भी कोई सन्देह नहीं। अतएव इनका उपजीवन केवल आवश्यक ही

नहीं अपितु अनिवार्य ही है। कई अपठित एवं पण्डितमन्य देवलकोंके द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि इतने ही वचनोंके ले कर क्यों विचार किया गया — अन्य वचन क्या एतद्विवायक ग्रन्थोंमें हो नहीं सकते हैं या मैंने पढ़े ही नहीं हैं? सामाधानतया यह कथनीय हो जाता है कि ब्रह्मसूत्रभाष्यमें भी जिस अधिकरणमें, जिस श्रुतिवचनको प्रथम अधिकरणांग अर्थात् विषयवाक्य बनाया जाता है, वहां भी उस वचनके अलावा सबद्व विषयके निरूपक उपनिषदोंमें अन्य भी अनेक वचन मिलते ही हैं। कभी इस तरहकी बचकानी बारें शास्त्रीय वचनमें उठायी नहीं गयी कि शांकर, भास्कर, रामानुज, पाठ्य या वाल्लभ भाष्योंमें जो वचन जिस अधिकरणके विषयवाक्यतया उपस्थापित किये गये हैं, उस विषयके निरूपक और भी वचनोंका विन्यास क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अधिकरणशीलके विचारमें जो वाक्य विषयवाक्यतया प्रस्तुत नहीं हुआ हो उसे भी संशयकी या पूर्वावधी की या उत्तरपक्षकी या संगतिकी कोटीमें भी प्रस्तुत तो किया ही जा सकता है। वाल्लभ सम्प्रदायका, परन्तु, आज यह कैसा दुर्भाय है कि अधिकांश उपदेशक या तो अपठित हैं या पल्लवग्राही पाण्डित्यवशाद् “एण्डोऽपि द्वायते” उक्तिके मूर्तिमान स्वरूप! फलतः ऐसी अनांगत बारें करके भोटी जनताको बणलाते रहते हैं!

सेवाके यथोपदिष्ट स्वरूपके निर्धारणार्थ, जैसे सेवाके प्रयोजनका बोध आवश्यक है, वैसे ही सेवप्रयोगी स्थल, सेवार्थ आजीविका, सेवाकर्ता-तथा-परिचारक, सेवोपदेष्टा तथा स्वसेव्य-स्वरूप-प्रसादग्रहण इसे सभी सम्बन्धित सभी उपदेशोंका भी अभिप्राय ‘सेवाप्रयोजन’ शीर्षकान्तर्गत संकलित वचनोंके उपजीवन द्वारा ही शक्य है।

इस बातको छेनेका मुख्य हेतु यही है कि ‘विमर्श’ ग्रन्थके वास्तविक लेखक पू.पा.गो.श्रीवल्लभाराय दीक्षितने, अथवा नामदायी लेखक पू.पा.गो.श्रीब्रजरत्नललालजी महाराजश्रीने ही सही, अपने-आपको

नियोगपर्यनुयोगान्वय स्वतन्त्रविचारके रूपमें प्रस्तुत करनेके हेतुसे उक्त पुष्टिसिद्धान्तवचनोंसभाके सन्दर्भमें मेरे द्वारा किये गये विधानोंकी अलोचना करनी चाही है। अतएव आलोच्य विधानोंको यथाप्रदत्त क्रमसे च्युत किया गया है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विमर्शक्रम तथा सिद्धान्तवचनवलीक्रम का परस्पर सम्बन्ध एक बार बुद्धिगत कर लिया जाय।

तदनुसार ‘विमर्श’ के प्रथम कृष्णसेवा प्रकरणमें सिद्धान्तवचनावलीके मुख्यतया ‘सेवा-स्वरूप’ शीर्षकान्तर्गत संकलित वचनोंकी विचारणा की गयी। गौणतया सेवास्थल, सेवार्थ आजीविका एवं सेवाकर्ता तथा सेवापरिचारक शीर्षकोंवाले वचनोंके अभिप्रायोंका कर्ही-कर्ही स्पर्श किया गया है। तदनुसार ही मुझे भी ‘विशेषधनिका’के प्रथम प्रकरणको भी चलाना पड़ा।

पश्चात् ‘विमर्श’के द्वितीय एवं तृतीय प्रकरणमें अर्थात् देवद्रव्यप्रकरण एवं देवलकात्रप्रकरण में, क्योंकि देवके द्रव्यसे किंवा पूजनसे जीवननिर्वाह चलानेवालोंको ‘देवलक’कहा जाता है। अतः, दोनोंको एकाकाय बना कर ‘शास्त्रीय सन्दर्भमें : पुष्टिपार्गीय सेवार्थ आजीविकाका स्वरूप’ नामक ‘विशेषधनिका’ का द्वितीय प्रकरण प्रकाशित किया गया था।

अब क्रमप्राप्त ‘विमर्श’के चतुर्थ प्रकरण एवं ‘विशेषधनिका’में प्रतिज्ञात ‘वार्ताविमर्श’ प्रकरणको छोड़ कर ‘विमर्श’के पूर्वाधिके अन्तिम ‘भावसंगोपनप्रकरण’के विशेषधनकी प्राथमिक आवश्यकता कुछ गंभीर अवलोकन द्वारा दृष्टिगत हुयी है। अतः प्रतिज्ञात क्रमके त्वाण तथा व्युत्क्रमावलम्बन की क्षमायाचना करते हुवे एक खुलासा मैं देना चाहूँगा। वह यह है कि विमर्शकाद्वारा अपनायी गयी विमर्शनीतिकी एक खासीयत यह है कि न्यूनतम सिद्धान्तवचनोंका अवलम्बन कर अर्थात् बने वहां तक वार्तासाहित्यमेंसे सदाचारके निष्पत्ति कण्ठोक्त विधि-निषेधात्मक

वचनोंके अभिप्रायोंका अन्यथौन्यन कर देना, वजाय कि वचनोंके आधारपर चत्रिंगको समझ कर उसकी व्याख्या करनेके.

पुष्टिमार्गिक इतिहासमें सिद्धान्तिनियार्थ 'विमर्श'की इस नूतन व्याख्यानीतिका पदार्पण; अतः, इस विमर्शशैलीद्वारा हुवा है. इसका एक दुर्लभ तो बिलकुल सक्षयतया सामने आया ही है कि आधुनिक गोस्वामियोंके उपदेशविरुद्ध अनेक आचरणोंकी मूलाचार्योंके चत्रिंगे आपाततो रमणीय कोई न कोई उपर्युक्त तो मिल ही जाती है! यह कण्ठोक्त वचनकी मर्यादामें बन्धेष्यम् सर्वथा अवाक्यप्राप्य काम था. अतएव 'विमर्श' के सभी कथ्योंके इर्द्दीर्घ वार्तासाहित्यके उद्दरणोंके बाहुल्यका एक समूचा दुर्ग सा निर्मित किया गया है! यह उतनी आपत्तिजनक बात नहीं है जितनी कि इस दुर्कि इर्दीर्घ, उसे और भी दुर्गम बनानेके, बचकाने अक्षेपकी जो खाई खोदी गयी है :

"सुनते हैं कि अब वार्ताग्रन्थ आदिको अप्रामाणिक सिद्ध करनेके लिये किसी प्रथका प्रणयन श्रीपुंजोत्तम आदिके नामसे उसे प्रकाशित करने का उपक्रम चल रहा है. सम्प्रदायानुगामी सभी लोगोंको इससे सतर्क रहना चाहिये और इसका जम कर विरोध करना चाहिए."  
(विम.पु.सं.८३ पर स्थूलाक्षरोंमें मुद्रित पंक्तियाँ)

शालीम विचारणाशैलीकी शीर्षकरक शासं ओढ़ कर किये गये, इस नामोल्लेखरहित आक्षेपको, कोई आवश्यकता नहीं कि मैं अपने बारेमें ही किया हुवा मान कर चलूँ किमी पूर्वपक्षकी अधिकांश उकियोंमें मेरे ही विधान संकलित हुवे हैं, अतः अपने बारेमें किया हुवा मान कर स्पष्टीकरण देने में सन्दर्भ हूँ :

(१) विगत दस-पंदरह वर्षोंमें महाप्रभु-प्रभुचरण-श्रीपुंजोत्तमजी प्रभुति पूर्वाचार्योंके मूल ग्रन्थोंको सम्पादित संशोधित-प्रकाशित करनेकी मेरी

अद्यत्य हार्दिक भावना तथा नम्र प्रवृत्ति चल ही रही है. भगवान् न करे कि विमर्शकार द्वारा आशंकित कुत्सित मनोवृत्ति मेरे मनमें कभी पनप याए!

(२) पुष्टिमिद्धान्त-चर्चासभामें प्रतिपक्षियोंद्वारा प्रस्तावित एक शर्त यह भी थी कि वार्तासाहित्य या भाषासाहित्य में से कोई भी वचन में विचारार्थ प्रस्तुत न करूँ, क्योंकि प्रतिपक्षियोंको वार्तासाहित्य एवं भाषासाहित्य का प्रामाण्य निःसन्दिग्ध नहीं लगता था. अतएव संकलित भी कुछ वचन सिद्धान्तवचनालीर्णे से निकाल कर परिषिष्ठमें अमुतवचनालीर्णे उद्धृत करने पड़े थे. चि.हरीरामजी, वैसे अवोपित प्रतिनिधि परन्तु वादमें पु.सि.सं.श.तया घोषित, ने भी चर्चकि दर्शयान, अपने शाखाचक्रमणील विलक्षण स्वभावके अनुरूप, अस्पष्टोल्लेख द्वारा यह बात स्वीकारी ही थी (द्रष्टव्य : विस्तृ.विव. पृ.सं.१७८).

(३) स्वयं सूतसे प्रकाशित राजनगरवाले नि.ली.श्रीणछोडलालजीके वचनामूर्त्यें ऐसी अक्षम्य अनधिकारेष्याका उल्लेख तो मैंने विशोधनिकाके प्रथम प्रकरणमें किया ही था (द्रष्टव्य : विशो.आमु.पु.सं.१६-१७) परन्तु यहां अब इस आक्षेपके संदर्भमें पुनः एक और रहस्य उद्घाटित करना चाहिंगा कि सूतके मोटे मन्दिरमें विराजमान श्रीबालकृष्णलालजीका कर्णी भी उल्लेख न होगेपर भी तथा प्राचीन पाठोंसे संवादित करनेकी किसी भी तरहके उत्तरदायित्वकी अपेक्षा रखे बिना केवल षष्ठीठाईशताके मोहवा स्वयं विमर्शकारके यहांसे प्रकाशित 'दो सौ बावन वैष्णवोंकी बात' में गुजरातसे ब्रजयात्रा करने आनेवाले भगवदीयकी बातोंमें श्रीबालकृष्णलालका उल्लेख डलवा दिया गया है! अतः "आत्मवर् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः" के इस पाण्डित्यप्रकर्षके बारेमें अधिक क्या कहा जा सकता है!

(४) नडियादकी हवेलीके निजी या सार्वजनिक होनेके केसमें पुष्टिमार्गिक

विशेषज्ञ होनेकी हैसियतमें दी गयी गवाहीमें पू.पा.गो.श्रीब्रजरत्नलालजी महाराजश्रीने न केवल इस विमर्शविषयक सोनेकी कटोरीचाले प्रसंगको अपितु अन्य भी अनेक वार्तासाहित्यके प्रसंगोंके प्रामाण्यको सन्दिध माना है (द्रव्य : उत्तर दावेमें प्रतिवादी नं.१ की साक्षी नं.२ की मार्गिक गवाही पृ.सं.२५ तथा २६).

ऐसी स्थितिमें स्वयं पू.पा.गो.श्रीब्रजरत्नलालजी महाराजश्री ही अब “सरके रुने” और “जम कर विरोध करने”की आज्ञा देते हों तो दोमेंसे उनके किस वचनको शिरोधार्य करना? किसका जम कर विरोध करना? क्या उनके उपक्रमपाक्रमसे भयभीत हो जाना या उनकी उपसंहारविजयको अभिनन्दित करना?

(५)वैरे स्वयं एवं युद्धेतो स्वयं मूलाचार्यके शीकण्ठोत्तर उपदेशोंसे वाधित न होता हो तो अथवा सुनतसे प्रकाशित ‘दो सौ बावन वैष्णवन्’की वातमें वष्टनीधित्वके मिथ्योल्लेखकी तरह प्रक्षिप्तताके बलवत्तर प्रत्यक्षप्रमाणसे वाधित न हो तबतक वातप्रामाण्यका सहसा अस्वीकार न कभी मान्य था न है और न हो पायेगा। वार्ता तो श्रीगोकुलनाथजी तथा श्रीहरिराघवजी द्वारा लिखी गयी हैं। इन महानुभावोंके वचन हमारी कल्पनाओंके आधारपर अप्रमाण कैसे मानें जा सकते हैं? इन दोनों गुरु-शिष्योंका तो बाल्लभ सम्प्रदायके उत्कर्षोन्नयनमें अनितरसाधारण योगदान है। इनके वचनोंको अप्रमाण मान कर इस सम्प्रदायमें कौन कृतज्ञ बनना चाहेगा? खैर, इनकी बात तो दूर, मैं तो जिन विमर्शकारके कुविर्मार्की बिना किसी लागलपेट इतनी स्पष्ट आलोचना लिख रहा हूं, उनके भी वचन यदि मूलाचार्यकी वाणिसे अविरुद्ध हों तो, ऐसे कि ‘पुष्टिविधान’ आदि प्रकाशनोंमें ‘अमृतवचनावली’त्या संकलित मैंने किये हैं। उन्हें बोडशग्रन्थादि सदृश नित्यपाठके ऋगमें मैं श्रद्धापूर्वक पाठ करता हूं तो वार्तासाहित्यके मूलाचार्यके शीकण्ठोत्तर वचनोंसे अविरुद्ध वार्तासाहित्य या वचनामृतसाहित्य के वचनोंको अप्रमाण गोस्वामी

स्याम मनोहर कैसे मान सकता है? मूलाचार्योंके वचनोंसे विरुद्ध तो बाल्लभ सम्प्रदायमें कोई भी वचन प्रमाण हो नहीं सकता है! अतः मैं तो वार्तासाहित्यके उपसंहारविजयका अभिनन्दन ही न केवल वास्तविक विमर्शकार श्रीबल्लभराघवजीको अपितु समग्र पुष्टिसम्प्रदायको इस प्रसंगपर देना चाहूंगा ! दैर आयद दुर्स्त आयद !!

(६)श्रुति-सृष्टि-सदाचार-स्वप्रियके उत्तरोत्तर प्रामाण्यदीर्घत्य तथा “प्रामाण्य स्वतः एवं अप्रामाण्य परतः”के भीमांसाशास्त्रीय सामान्य विवेकके आधारपर सन्देहही प्रामाण्यवाली वार्ताओंको भी बलवद्वाधक प्रमाणोंके उपलब्ध हुवे बिना सहसा अप्रामाणिक ही मान लेना या कह देना मुझे तो सर्वथा अनभीत है। अतः ऐसी पाषाणोपम कठोर मेरी इस प्रामाण्यधरणापर पड़ते ही यह थुद्र आक्षेप तो स्वतः छिन-गिन हो जाता है।

(७)श्रीमद्भगवत्मुद्दोधिनीके अध्यासकर्ताओंके लिये यह अतिरोहितार्थ नहीं है कि भगवल्लीताओंमें इतिवृत्त जैसे निरपित हुवे हैं वैसे ही इतिकर्त्त्वता भी उपदिष्ट हुई हैं: “भगवान् अपनी लीलाओंको प्रकट काके शास्त्रार्थ भी प्रस्थापित करते हैं” यह शास्त्रार्थ भी पूर्वोत्तरपीमांसाओंकी तरह कर्त्त्वोपदेश या तत्त्वोपदेश रूप भी हो सकता है। कर्त्त्वोपदेशके मूलतः दो प्रकार होते हैं: विद्यान और निषेध। इन दोोंके मुनः तीन अवान्तर प्रभेद होते हैं: औत्सर्विक, आपवादिक एवं प्रातिप्रसविक.

इन मुच्य-अवान्तर प्रकारोंमें धर्मविद्यान तथा अधर्मनिषेध द्वारा धर्माधार्मीग्राह्य-वर्ज्य वर्गं देश-काल-द्रव्य-कर्ता-मन्त्र-कम्ति किनियोगाविनियोगकी प्रेरणाद्वारा तर्त्वोपदेश सम्पन्न होता है।

कर्मस्वरूपकी ऐसी जटिलता तत्त्वस्वरूपके बारेमें भी सोची जा सकती है। जैसे देश-काल-द्रव्य-कर्ता-मन्त्र-कम्ति सन्दर्भमें कर्त्त्वोपदेशमें

विधिनिषेध-उत्सर्गपाद-प्रतिप्रसवके भेदोपभेद खड़े हो जाते हैं, वैसे ही तत्त्वोपदेशमें भी सभव है. अखण्डाद्वृत तत्त्वमें भी अनेकविधि नामरूपोंके लीलात्मक परस्परविरोधी भेद भी उभरते ही हैं. इनमें किसी भी एक प्रकारकी लीलाके आधारपर किसी तरहके सामान्य कर्तव्यका रूह, न केवल अर्थार्थ एवं अतत्त्व ही हो सकता है परन्तु आत्मयाती भी. उदाहरणतया भगवान्‌ने मानवचरोंकी लीला की अतः पराये घरसे माखन चुरा कर भेग लगानेको क्या अपने सेवाप्रकारमें धर्म माना जा सकता है? अन्यथा भगवान्‌ने गोपिकाओंके साथ रासक्रीड़ा की थी उसे अनुकरणीय कर्तव्य माना जा सकता है? ऐसा मानेपर, महाभारतमें भगवान्‌ने गुरु-ब्राह्मणवध भी करवा दिया था, उसे भी अनुकरणीय अदर्शतया मान्य रखना पड़ेगा! अन्यथा अनुकरणीय न मानें पर भगवल्लीतामें दोषोंकी भी उद्भावना करनी शास्त्रके वास्तविक अभिप्रायसे अपरिचयका घोटन ही है. क्योंकि इस तरहकी लीलाओंके द्वारा प्रतिपादायित तत्त्वोपदेशरूप शास्त्रार्थ, वह भी तो हो सकता है कि आत्माराम आप्तकाम भगवान्, भक्तोंके भाव असामर्थ्य एवं अज्ञान का किसी सीमातक निःस्वार्थ अनुकरण करके भी उह्नें अपनी लीलाओंमें निरुद्ध बना कर उनकी, प्रपञ्चासक्ति निवृत कर देते हैं. ऐसी स्थितिमें यहां कर्तव्योपदेश खोजना सहज सभव है कि हमें अपनी प्रपञ्चासक्तिके परिपेणार्थ ही उचित प्रतीत होता होगा!

(c) जैसे भगवान्की दिव्य सामर्थ्यमें निष्ठा रख कर भगवचरित्रमें हम दोषमुद्दि नहीं लाते, वैसे ही दिव्य सामर्थ्यकी निष्ठा निभाते हुवे आचार्यवरण या उत्तमकोटीके अन्य भी भगवतीयोंकी भी असाधारण सामर्थ्यमें हमें निष्ठा रखनी चाहिए. प्रत्येक भगवचरित्र कर्तव्योपदेशार्थ ही न हो कर कभी केवल कर्तव्योपदेशार्थ, तो कभी केवल तत्त्वोपदेशार्थ, तो कभी उभयोपदेशार्थ भी हो सकता है. वैसे ही आचार्यचरित्र या अन्य भी उत्तमकोटिके भगवदीयोंके चरित्र भी कभी कर्तव्य कभी तत्त्व या कभी उभय के उपदेशार्थ भी हो सकते हैं.

(१) अतः 'विमर्श'द्वारा प्रदर्शित अविमृद्धविधानकारिताके दोषसे बचना हो तो धैर्युक्त विस्तृत विवेचनाकी आवश्यकता है. कोई वार्ता यदि कर्तव्योपदेशार्थ है तो, वह कर्तव्य औत्सर्विक है आपवादिक है या प्रतिप्रसविक है. इसी तरह तत्त्वोपदेशार्थ है तो वह तत्त्वस्वभाव-तत्त्वस्वरूपके निरूपणार्थ है या तत्त्वसामर्थ्यके निरूपणार्थ, इसका सूक्ष्म अन्त विचारना पड़ेगा. इसे समझे बिना तो महाप्रभुने दो बार भगवदाज्ञाओंको उल्लंघन किया एतावता सभी आचार्यचरणानुगामियोंको दो बार भगवदाज्ञाओंके उल्लंघनकी कूट क्या दी जा सकती है? आचार्यचरणने निजजनकके श्राद्धकर्मार्थ दूसरेसे धृत्याचन की थी, अतः अध्युनिक गोपालगामियोंको भी उनके निःलोकित्वार्थके श्राद्धकर्मार्थ परवृत्याचनामें (वैसे पू.ग. श्रीब्रजतन्त्रलल महाराजयनि, उत्तित्वित नदिवृत्याकेतकी गवाहीं, इस वातिकी भी अप्रमाण ही मानी है! फिरभी), कोई न्यूटूनुद्विधि नहीं लानी चाहिये! फिर तो आचार्यचरणने अपने प्रित्यक्ते पास घरमें बिराजमान श्रीबालकृष्णालालके स्वरूपके बजाय श्रीमुकुलद्वाराजी ही पथराने पसन्द किये थे: "श्रीबल्लभेन देवालयं गत्वा एका शालिग्रामशिला श्रीभगवत्पुस्तकं च याचितं मात्रा हरिस्वरूपं च तदा जनार्दनः प्राह इयं शिला... अयं मुकुन्दः... बालकृष्णः... पुस्तकं च... नीयतं यद रोचत्वति शिलां पुस्तकं मुकुन्दं पुस्तकं च गृहीत्वा चलितः" (श्रीबल्ल.दिविप्रथमावच्छेदः), अतः उसके आधारपर भी कुछ कर्तव्योपदेशकी उड़कना लोग करने लागें। क्योंकि ये स्वरूप सुरतिष्य स्वरूप हों या न हों परन्तु "सभी स्वरूपोंमें मूलस्वरूपके सूचक नाम 'कृष्ण' नाम केवल श्रीबालकृष्ण प्रभुके नामके साथ आता है. अतः इससे स्पष्ट सूचित होता है कि सर्वस्वरूपोंमें श्रीबालकृष्ण प्रभु सर्वमूलभूत मौलिक स्वरूप है" ('सर्वसेवकसाव्वाद'पृ.सं.८का हिन्दी-अनुवाद) में स्वीकृत मूलनामप्रयोगकी युक्ति यहां भी अविस्मरणीय मानी पड़ेगी.

निर्झर्वतया वैसे तो ये सारी बातें भुला भी दें तो भी महाप्रभुके "इश्वराणां बचएव तथ्यं नहु आचरितं, क्वचिद् आचरितमपि बचनानुगुणं

चेद्, ईश्वराणां बहवो धर्माः यथा ऐश्वर्यं तथा धर्मात्मत्वं तथा दया, तत्र ऐश्वर्यज्ञानवैराग्यैः यत् करोति तत् 'स्वच्छद्वर्चितम्' इति उच्यते. बुद्धिमान् तद् न समाचरेत्. तीर्ते अन्यथा न वदति अन्यार्थं कथनम् अन्याधिकारेणोति; अतः, तद्विरुद्धं न कथयन्तीति." (मुख्य.१०।३०।३२) इस वचनके जागाकरण हेते हुवे महाप्रभु-प्रमुचरणोंके श्रीकण्ठोत्तर विधि-निषेधोंके अन्यार्थकल्पनाका साहस वस्तुतः एक महाम् दुःसाहसका उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह भी विमर्शकासद्वा सुठित व्यक्तिद्वारा किये जानेपर तो "साक्षात् विपरीतः चेद्..." लोकोक्तिको ही उजागर करना है.

इन वाटोंके विचार करनेपर; तथा, व्योंकि अभी अपनी धोषणाके अनुसार विमर्शके पूर्वाधिक मूल्य ४००.के अलावा उत्तराधिक भी ४००. शुल्क वसूल कर लेनेके बावजूद उत्तराधिक प्रकाशन कब तक हो जायेगा या होगा भी कि नहीं इसकी निश्चिति न होने के कारण भी, कुछ असमंजस परिस्थिति बनी हुई है. व्योंकि पूर्वाधिकी तरह उत्तराधिमें भी सिद्धान्तवचनोंके बाजाय वार्ताओंपर ही अबलम्बित हुवा जायेगा, वह सोच कर, उस उत्तराधिके प्रकाशित होनेके बाद ही एकहेतुया 'वार्ताविमर्शविशेषधिनिका' का प्रकाशन अधिक मुसंगत होगा. रही बात 'सेवादेवद्वयादिविमर्शसासंग्रहक्रोडपत्र'की तो वह तो अन्तमें 'ब्रोडार्डीफ़ीडनकक्षिडिविभांग'में अधिक आयासकी अपेक्षा नहीं रहेगा सो किसी भी वर्ष किसी भी मास किसी भी दिन सम्पन्न हो पायेगा! तथा 'ट्रस्टप्रकरण' भी सिद्धान्तनिधीरित होनेपर ही निर्धारणीय हो पायेगा यह सोच कर 'विमर्श'के अन्तिम 'भावसंगोपन-प्रकरण'का विशेषधन अधिक प्राप्तिंगिक लग रहा है.

यों विचार्यविषयक्रमकी संतानिके निष्पत्तके बाद विचारक्रमकी संतानिके सन्दर्भमें भी थोड़ा-बहुत खुलासा सिंहावलोकनविधिसे कर लेना उचित होगा.

ग्रन्थारम्भमें यह खुलासा तो हमने दे ही दिया है कि आलोच्य

'भावसंगोपनप्रकरण' 'सिद्धान्तवचनावली'के 'सेवाप्रयोजन', 'सेवापदेशदीक्षा', 'सेवापदेष्टा', 'सेवाप्रदर्शन' तथा 'सेव्यस्वरूप' शीर्षकान्तर्गत संकलित वचनोंसे सम्बद्ध विषय हैं.

### (पूर्ववृत्तका विहंगावलोकन)

इन पांच विषयोंमें पुस्तिसिद्धान्त-चर्चासमा (दि.१०-१३ जनवरी १२, पार्ट-मुंबई)में चि.हरीरायजीने तीनपर पत्रग्रहण किया था. अतः उन गृहीत पक्षोंके 'पु.सि.सं.शि.'पदवी द्वारा अभिनन्दित करनेवाले वास्तविक तथा नामदारी विमर्शकर्तारोंकी उन पक्षोंके साथ जीतके प्रतिबद्धता तो मानती ही पड़ेगी. उसे 'विमर्श'में कहां छोड़ा या स्वीकारा गया है, उस तथ्यपर एक विहंगावलोकन भी अतएव आवश्यक है ही.

तदनुसारः—————

(अ) 'सेवाप्रदर्शन' शीर्षकान्तर्गत विषयवाक्यतया संकलित वचनोंके बारेमें मेरे द्वारा "सिद्धान्ततः भगवत्सेवाका प्रदर्शन आम जनताके समक्ष हो सकता है या नहीं" इस संशयके सन्दर्भमें चि.हरीरायजीने "निर्मुक्षुः हि कवयश्चेद् महाकवयस्तु महानिरुक्षुः" नियमको चरितार्थ करते हुवे अपना पक्ष यों प्रस्तुत किया था : "श्रीगोवर्धनरथा श्रीनाथजीकी सेवा जो आद्यार्थचरणने प्रकट की वह मनिस्सेवा और दर्शनसेवा... का प्रावधान है... उसी ब्रह्म दर्शन मनिर को सिद्धान्तमें स्वीकार लिया गया था" (द्रष्टव्य : वित्त.विष.पु.सं.१५२).

यह अतीव विस्मयजनक तथ्य है कि प्रातःस्मरणीय श्रीगोविन्दरथजी फूफाजी जैसे सिद्धान्तानिधि विद्वान् पिताके द्वारा सुपाठित श्रीवल्लभरायजी जैसे विद्वान् पुष्प सर्वथम तो चि.हरीरायजीसद्वा महाकविकी कल्पनाओंसे इतने केसे विमोहित हो गये कि 'पुष्टिने शीतल छाँयड़े'में स्वयंके द्वारा दिये गये समाधानको निरसनीय पक्ष मान बैठे! यह तो सम्भव नहीं लगता कि 'पु.सि.सं.शि.'पदवीके पाठमात्रसे यह प्रतिबद्धता जनमी

हो. क्योंकि उत्त पदवीपाठके बावजूद महाकविके निजकावैकाशोभाकर अनेक कल्पनाकल्पोंसे विमर्शकारोंने अपने उलझे हुवे दामनको 'विमर्श'में एक झटकेसे छुड़ा लिया है!

लिहाजा "सामान्यतया इतर हिन्दुसम्प्रदायमें 'मन्दिर' देवालयके अर्थमें प्रयुक्त होता है परन्तु ऐसे देवालयरूप मन्दिर जैसी संस्थाका पुष्टिमार्गमें अस्तित्व ही नहीं है... पुष्टिमार्गमें सेवा सामृद्धिक जीवनका विषय नहीं परन्तु व्यक्तिगत जीवनका विषय है जैसे लोकमें पत्नी या माता का परि अथवा पुत्र की सेवा या वास्तव्यप्रदान करनेका व्यक्तिगत धर्म कर्ज़ और अधिकार होता है। वैसे ही जिस सेवकका जो सेव्यस्वरूप होता है उस सेव्यकी सेवा उस सेवकका व्यक्तिगत धर्म और अधिकार है। सेवा यह सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक प्रवृत्ति नहीं है परन्तु सेवा यह अपने आन्तरिक जीवनके सम्बन्ध खबरेवाली होनेसे अपने जीवनकी अपने निजघरमें अनुष्ठित स्वर्धमर्त्तप्रवृत्ति है... अतः इतर हवेलियोंकी तरह 'श्रीनाथजीका मन्दिर'शब्द रूढिवशात् प्रचलित हो गया है। बस्तुतः सामृद्धिक दर्शन या सेवा जहां की जाती हो ऐसा अन्यमार्गी सार्वजनिक देवालय जैसा श्रीनाथजीका मन्दिर नहीं है।" (पु.शी.छां.प.सं.१५७-१५८का हिन्दी अनुवाद) इस विद्यानकी संगति अब कैसे बैठानी?

वैसे प्रतीत होता है कि यह पू.पा.गो.ति.महाराजश्रीने जब श्रीनाथजीके व्यक्तिगत होनेका दावा न्यायालयमें कर रखा था उसके समर्थनमें दिवंगत श्रीयुत आर.के.भट्टके मुत्तकके आधारपर चोरा गया समाधान है, पू.पा.गो.ति.महाराजश्रीको प्रसन्न करते कि बषुपीठाधीशत्वकी मान्यता कथञ्चित् प्राप्त हो जाय! एतदर्थ ही यह धांधली हो गई लगती है। बादमें कोटीं न्यायालयके समक्ष एतसंबन्धी वचन प्रस्तुत न किये जानेसे कोटीं पू.पा.गो.ति.महाराजश्रीके व्यक्तिगत स्वरूप होनेका दावा श्रीनाथजीके बारेमें मान्य नहीं रखा। फलतः "व्यवहारे भाड़ाः" नीतिका

परित्याग कर भाड़ विधानको भुलनेकी आवश्यकता, व्यावसायिक भगवत्सेवाके पारमार्थिक प्रयोजनवस्तात्, उठ खड़ी हो गई होगी। चि.हरिराय 'महाकवि'के निरंकुशकल्पनाप्रसूत पक्षग्रहणके अभिनन्दनार्थ 'पु.सि.सं.शि.'बिस्दावलीके प्रलेखपर बषुपीठाधीशत्वया गो.ति.म.श्रीके साथ संयुक्तहस्ताक्षर करवा लेनेकी कूटनीतिवश प्राप्त षष्ठ्यके निर्वाहार्थ पुनः स्वकृत विधानका भी परिमार्जन अपेक्षित था सो अब 'विमर्श' प्रस्तुत कर दिया गया है। इस बीच एक दुर्घटना और घटित हो गई। अपने सेव्यस्वरूपको चौटा बजार स्थित मन्दिरसे बराढ़ा रोडपर स्थित बंगलामें हिन्दू-मुस्लिम दोंगोंके बहानेसे पधारनेकी आवश्यकता थी परन्तु सूतनगरकी दर्शनार्थी वैष्णव जनताके प्रबल असतोष तथा विरोध के कारण पुनः ठाकुरीको चौटा बजार स्थित हवेलीमें पधारने पड़े! सो हाल ही में प्रकाशित 'विमर्श' समर्थित सार्वजनिक प्रदर्शनोपोती मन्दिरोंको अपसिद्धान्त धोयित कर दिया गया है। पुनः स्वयं विमर्शकार श्रीबल्लभरायजीके अग्रज श्रीबालुपाजा द्वारा! उसे भी एक बार अवलोकन कर लेना 'विमर्श'के निर्गूँ स्वभावके निर्धारणार्थ उपयोगी हो सकता है :

"...मन्दिरके स्थलान्तरणके बारेमें श्री गो.पू.१०८ श्रीबालुक्षणालालजीने कहा कि पुष्टिमार्गमें सार्वजनिक मन्दिरकी परम्परा ही नहीं है। उसमें तो व्यक्तिगत स्वरूप निजी स्वरूपकी ही बात है और अतएव उसका सेवाप्रकार देवालय प्रकारका नहीं है। मन्दिरका स्थापत्य भी घर जैसा ही होता है। कहीं ध्वजा-सिंहर होते नहीं हैं। वैष्णव भी घरमें ही सेवा करते हैं उसे 'मन्दिर' कहते हैं; और वैष्णव सम्प्रदायके मन्दिरोंके स्थान अतएव बदले जा सकते हैं। हम भी यदि यहांकी जगहके बारेमें (परिवारमें) सम्भोता सफल नहीं हुवा तो दूसरी जगह कर विद्यार निश्चित करो।"

('गुजरात-समाचार' अंक दि. २५-५-९३)

भूलना नहीं चाहिये कि वे गो.श्री बालकण्ठजी भी 'विमर्श' के लिये द्वितीय नामदायी हैं. सिलसिलेवार देखें तो "‘पुष्टिए शीतल लांयडेम’" स्वीकृत भावसंगोनपात्रिका निजगुहसेवाका सिद्धान्त पुष्टिसिद्धान्त-चर्चासभमें चि.हरिरायजीद्वारा गृहीत पक्षको अभिनन्दित करते समय छोड़ दिया गया। जिसकी यथाकथचिद् उपर्युक्त 'विमर्श'में दी गई अभी इस 'विमर्श' को पढ़ कर लोग समझनेका प्रयास कर रहे थे कि उजारात-समाचारमें पुनः नून सिद्धान्त प्रकट हो गये हैं! अब 'उजारात-समाचार'में प्रकाशित सिद्धान्त यदि पुष्टिमार्गी हों तो शीनाथजीके मन्दिरोक्त पुष्टिमार्गी मानना कि नहीं? लगता है वष्ट्वत्मान्यताप्राद्यायक पू.पा.गो.ति.महाराजकी जगनकारीमें यह बक्तव्य अभी आया नहीं है. अन्यथा वष्ट्वत्वके निरसनी धमकी मिलते ही पुनः सार्वजनिक मन्दिरोक्त महाप्रशुभृति आचार्योंकी सदाचार परम्परारेप्रमाणित सिद्ध करना पड़ेगा. वैसे द्रस्त्वप्रकरण, जिसकी विशेषणिका अग्री शिल्पी जारी बाकी है, उसमें विमर्शकाने थोड़ी-बहोत लीपापोती करनेकी असफल चेष्टा की है सो भी 'चोरासी वैष्णवन्की वार्ताँ'में की २४ वीं वाराकी प्रसंग १के प्रामाण्यको मान्य रख कर या अमान्य रख कर यह प्रकट नहीं हो पाता है! "प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावः करते स्वार्थशक्तेः"!

(आ) 'सेवाप्रयोजन' शीर्षकान्तर्गत विषयवाक्योंके सन्दर्भमें "सेवाका प्रयोजन भक्तिप्रवर्धनके अलावा लौकिक या अलौकिक कुछ और भी पुष्टिसिद्धान्तमें हो सकता है या नहीं?" इस तरह संशयकी दो कोटियां प्रयुक्त करनेपर चि.हरिरायजीने पक्षग्रहण किया था : "अधिकारीभेदसे सम्भव है" (दृष्टव्य : विस्तु.विव.पु.सं.१५२)

वैसे न्यूतम शब्दबलीमें यह प्रस्नोत्तरी सम्पन्न हुई थी. अतः चि.हरिरायजी महाकविके लिये तो आकाशावधि शाखाचंक्रमणका अवकाश यहां उपलब्ध है. अन्यथा 'सेवास्वरूप' तथा 'सेवार्थ आजीविका' शीर्षकान्तर्गत हीत गृहीत पक्षको साथ एकवाक्यता करनेपर चि.हरिरायजीके

चित्तमें "चतुर्विधा भजने मां जना: सुकृतिनोऽर्जुन आतों जिज्ञासुरथार्थं ज्ञानी च..." कल्प ही रमा हुवा था. "सर्वताशे समृद्धयने अर्थै त्वजति पण्डितः" नितिके अनुसार सेवाद्वारा अर्थोपार्जन जब निषिद्ध सिद्ध होने जा रहा हो तो भवितव्यी जघन्यकोटिया उसे मान्य करवानेका केसरिया चि.हरिरायजीने कर लेना चाहा था! क्योंकि 'बुध्यतु दुर्जनन्यायेन' चि.महाकविने पक्षग्रहण किया हो, ऐसा तो शक्य ही नहीं क्योंकि मैं तो कोटिद्वयावाही संशय या विकल्प ही केवल प्रस्तुत कर रहा था पक्षग्रहण तो चि.महाकविका अपना कल्पनाकौशल था. वैसे यदि अब चि.महाकवि ऐसा शाखाचंक्रमण करना चाहें तो भी मैं तो पुनः यही कहना चाहूँगा कि दुर्जनोंको सत्तुष्ट करवाले पक्षको गृहीत करनेके बजाय चि.महाकविकी अपनी आस्थाके अनुरूप श्रीमदाचार्यचरणको वे सत्तुष्ट कर पायें, ऐसा पक्ष क्यों नहीं गृहीत किया? क्या दुर्जनेकस्तोषदायकताका जघन्यस्वभाव सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान् ने महाकविकी नियति बना रखी है क्या?

विमर्शकाने यहां खुल कर प्रयोजनके बोरोमें भगवत्सेवाका तो नहीं परन्तु भगवत्सेवाके प्रदर्शनका प्रयोजन दिखलाया है. दर्शनार्थिजनताके उद्धारको सेवाप्रदर्शनके प्रयोजनतया मान्य किया है. ऐसी स्थितिमें अधिकारीभेद किस दृष्टिसे समझना तथा सेवात्मिका क्रियाका प्रयोजन सेव्यसन्तोष या भक्तिप्रवर्धन तथा उस प्रदर्शनका प्रयोजन दर्शनार्थिजनताका उद्दारतया लेनेपर सेव्यसन्तोष या भक्तिप्रवर्धन को मुख्य प्रयोजन मान कर दर्शनार्थिजनतोद्धारको उसका आनुभविक प्रयोजन मानना अथवा दर्शनार्थिजनतोद्धारको मुख्य प्रयोजन मान कर सेव्यसन्तोष या भक्तिप्रवर्धन को उसका आनुभविक प्रयोजन मानना? यों यहां संशयकी कोटियोंको और परीकृत करना पड़ेगा.

(इ) 'सेव्यस्वरूप' शीर्षकान्तर्गत विषयवाक्यरूप वचोंमें शब्दशः स्वार्थप्रतिष्ठा या परार्थप्रतिष्ठा का तो उल्लेख या नहीं, फिरकी "कस्तुविद्यारेण

सर्वस्य भगवत्प्रत्याद् विशेषस्तु अयम् 'एनम् उद्धरिण्यामि' इति तदा मृदाये: प्रादुर्भूतोऽस्मि।' (त.दी.प्रि.प्र.२१२८) यों सेवार्थ भगवत्स्वरूपकी चयनकर्ता भवतकी तरह स्वयं भगवान् भी भवतका चयन करते हैं प्रपञ्चासक्ति या संसार से उसके उद्धरार्थ यह चयन तद्भक्तसेवायात्मना करते हैं यह भी ध्वनित होता है। अतः स्वार्थप्रतिष्ठाका यदि श्रुतिबलसे नहीं तो भी लिंगबलसे तो बोध होता ही है।

चि.हरिराजीने केवल स्वार्थप्रतिष्ठा माननेपर उसे अर्थोर्जनका साधन नहीं बनाया जा सकता तथा केवल परार्थप्रतिष्ठा स्वीकारनेपर गोस्वामीवर्गको सेवाकलसे चंचित मानना पड़ेगा, ऐसी मानसिक असंमजसतामें निरंकुशकल्पनाकौशलका प्रदर्शन करते हुवे पक्षग्रहण कर लिया 'मेरा स्पष्टतम्(?)' यह यह है कि पुष्टिमार्गीय वैज्ञानिके लिये जब सेव्यस्वरूप पथराया जाता है तो स्वार्थप्रतिष्ठा होती है (ताकि कोई बिना पू.पा.गो.महाराजीओंकी प्रतिस्थानेमें व्यावसायिक मनिर चलाने न पावे!) परन्तु पुष्टिमार्गीय गुरु जो सेवा करता है, वह सेव्यस्वरूप स्वार्थ-परार्थ होता है (ताकि हम गोस्वामीओंद्वारा चलाए जाते सार्वजनिक-व्यावसायिक सेवाप्रदानीकोंका कारण हमें मिलते अर्थिक लाभको किसी तरहकी आंख न आने पावे!) अर्थात् परार्थ भी है' (दृष्टव्य : विस्तृ.विव.पृ.-सं.१५९)।

उल्लेखनीय है कि संशयकोटिमें ही मैं यह स्पष्ट कर चुका था कि निजस्वत्वाले स्वार्थप्रतिष्ठापित भगवत्स्वरूपकी सेवाके लिये परधन लेना देवलकता है तथा परार्थप्रतिष्ठापित भगवत्स्वरूपकी सेवाके लिये परिवरोतर जनताको भी धनादिके समर्पणका अधिकार शास्त्रसम्मत है। चि.महाकविने तो आणुकविकी तरह शीघ्र ही अपना निरंकुशकल्पनाकौशल प्रकट करते हुवे यही उचित मान लिया कि गोस्वामीओंके स्वत्वकी वकालतके लिये स्वार्थप्रतिष्ठा होने दो; तथा, दर्शनार्थिजनासे मिलते लाभकी सुरक्षाके लिये परार्थ अर्थात् उभयार्थ प्रतिष्ठा होने दो। इस विषयमें 'पु.सि.सं.शि.' पदाविप्रदानद्वारा चि.महाकविको अभिनन्दित करनेवाले

विमर्शकाले मौनसेवनमें ही अपना श्रेय मान लिया है, ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि 'पुष्टिने शीतल छांयडे' तथा 'गुजरात-समाचार' में प्रकाशित वक्तव्य तो चि.महाकविद्वारा गृहीत पक्षसे सर्वथा विपरीत थे और हैं।

वैसे तो पक्षग्रहणकी प्रक्रियामें प्रकट हुई स्वीकृति और तन्मुक अर्थापतिअोंके आधारपर विचारकी कड़िओंको आगे बढ़ानेकालिये 'संक्षिप्तविवरण'में मैंने 'शाखाचार्यमणिरसन' परिच्छेद जोड़ दिया था। परन्तु किंवदन्तव्यविमुहूरतवार्ष चि.महाकविके तो यह हाल हो गये कि कभी कहते हैं 'पक्षग्रहणमें जो जाते कबूल करनेके आरोप लगाये जा रहे हैं क्वे मनगढन हैं!' कभी 'तटस्थ-मध्यस्थ यदि कोई हो तो पुनः शास्त्रार्थ करके तीन घंटामें मुझे पराजित कर सकते हैं' कह कर बलाचार्यालाना चाहते हैं, कभी जनताको मैं विरुद्ध भड़कानेको मुझे 'श्रीनाथजीका विरोधी' कहते हैं! कभी कहते हैं 'क्षेत्रस्के साथ छेड़छाड़ हो गई है', जबकि छेड़छाड़में कोई अंश मान लो कि काटा भी जा सकता हो, पर उसमें जोड़ा कैसे जा सकता है? वह अनितरसाधारण 'अहोरूपं अहोर्घनि' अन्यत्र कहांसे आ सकती है? जबकि ओडियो-वीडियो क्षेत्रस्में जिसे चि.महाकवि गृहीत पद्धतोंको देखना-सुनना हो वह देख-सुन सकता है, कर्णोपकर्ण से सा भी सुना जा रहा है कि चि.महाकवि यह भी कहते हैं कि पक्षग्रहण तो 'तुष्टु दुर्जनं न्यायेन स्वीकार लिया था'. परन्तु 'तुष्टु' पुष्टिमहाप्रभू'न्यायेन कुछ स्वीकारनेका बीजभाव ही मानों चि.महाकविके जीवात्माके भीतर परमात्माने स्थापित ही नहीं किया हो, ऐसा लगता है। इस दवनीय मानसिक दुर्वस्थाको देख कर चि.महाकविको तो उपेक्षणीय तथा क्षन्तव्य समझ कर ही अब आगे बढ़ना पड़ेगा। परन्तु विमर्शकार अपने नैतिक उत्तरदायित्वसे छटक नहीं सकते, क्योंकि चि.महाकविकी स्वीकृति यदि अभिनन्दनीय पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त हो तो 'विमर्श'की धारणा उससे विपरीत या विरुद्ध नहीं होनी चाहिये थी।

यदि विपरीत या विरुद्ध धारणायें 'विमर्श'में प्रस्तुत करनी थी तो चि.महाकवि को अभिनन्दित करना किसी तरहकी कूटनीति थी या वास्तविक धर्मके स्वरूपका निर्धारण था, यह खुलासा तो कभी न कभी देना ही पड़ेगा.

यह तो सहज सम्भव लगता कि 'संविप्राविवरण' तथा 'विमर्श' का मुद्रणकार्य एक ही समय चलता रहा होगा. अतः 'विमर्श'में 'संविप्राविवरण'के 'शाखाचंक्रमणनिरसन' परिच्छेदकी युक्तिओंका विमर्श हो नहीं पाया. परन्तु वहां प्रस्तुत कई आपत्तियां अभी भी अनुत्तरित हैं, इस तथ्यपर विमर्शकारका ध्यान आकृष्ट करना मेरा कर्तव्य है. स्वयंकी इच्छाके अनुरूप स्वनामा स्वपितामहानामा स्वागतानामा या सकलनामा जैसे भी सुविधाजनक लगे उन आपत्तियोंके ऊर देनेका नैतिक उत्तरदायित्व विष्कारका है ही.

इस 'भावसंगोपनप्रकरण'में आते वार्तासाहित्यके प्रसंगोंके उद्धरणोंद्वारा सिसाध्यविजित पक्षका विरोधन तो भविष्यमें 'वार्ताविमर्शविशेषधन' प्रकरणमें होगा, जिसका यत्क्रियत् दिवानिरेश हम इसी परिच्छेदमें कर ही सुके हैं. अतः अब इस औपक्रमिक स्पष्टीकरणके बाद 'सेवाप्रयोजन' सिद्धान्ताभिमत स्वरूपको दृष्टिगत रखेनपर अस्तीय दर्शनार्थी भवतके समझ भावसंवाप्रदर्शन सिद्धान्ताभिमत प्रकार है या सिद्धान्तविपरीत इसकी मीमांसाकेलिये अग्रसर हुवा जा सकता है.



## ‘सेवाप्रयोजन’शीर्षकान्तर्गत संकलित विषयवाक्यविचारमूलक विशेषधन

### (विषयवाक्य)

(क)न लौकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकं  
भावस्तत्त्वाप्यस्मद्दीयः सर्वस्वश्चैहिकश्च सः परलोकश्च” (शि-  
क्षापद्यानि).

(क)न तो श्रीकृष्ण कोई लौकिक प्रभु हैं और न,  
अतएव, वे लौकिक भावोंको मान्य करते हैं: अतएव  
हमारा भाव उनके बावें यही है कि श्रीकृष्ण ही हमारे  
सब कुछ हैं ऐहिक भी और पारलौकिक भी (तत्रैव).

(ख) “लोकार्थी चेद् भजेत् कृष्णं क्लिनष्टो भवति सर्वथा”  
ननु कञ्चिद् जीविकार्थार्थमपि भजते तस्य का गति: ?  
इत्यतः आहुः ‘लोकार्थी’ इति, ‘लोकं’पदन लौकिको अर्थः  
उच्यते. तदर्थी चेत् कृष्णं भजेत् तदा व्यापरवद् अर्थे  
सिद्धे तस्यापि अनर्थरूपत्वेन तत्कृतभजनस्य भक्तित्वाभावात्  
तत्कृतं सर्वं कर्त्तेऽस्तुपयेद. अतः क्लिनष्टो भवति. न केवलम्  
ऐहिकः करेतः क्लिनु भज्यते क्लिनष्टो भवति. निषिद्धाचरणाद्  
इति ‘सर्वथा’ इति उक्तम्. यस्य स्वल्पमपि ज्ञानं स  
नैव करोति. सर्वथा तत्रहितः कञ्चित् कुर्यादपीति ‘चेद्’  
इति उक्तम्. अत्र मूलनामोक्तिः भजनकर्तुः अभिप्रायेण  
अन्यथा तदस्माभावात् (सिद्धान्तमुक्तावलीविवृतिः : १६).

(ख) “कोई लोकार्थी यदि कृष्णमज्ज करना चाहे तो  
उसे सर्वथा क्लेश ही होता है” यहां शंख होती है  
कि कोई आजीविकाके लिये श्रीकृष्णमज्ज करता हो

तो उसकी क्या गति होती है? इस शंकके समाधानतया 'लोकर्थी' पदप्रयोग किया गया है। 'लोकपदवर् अर्थ होता है लौकिक अर्थ अतः लौकिक अर्थकी कामनाको पूर्ण करनेके जो भजन करता है वह तो व्यापारकी तरह अर्थप्राप्ति होनेपर अनर्थलप ही होता होनेसे ऐसे भजनके 'भक्ति' नहीं माना जा सकता होनेसे ऐसेका किया-धरा सब कलेशलप ही होता है। न केवल ऐसेके ऐहिक व्लेश होता है परन्तु ऐसेके तो परलोक भी नष्ट हो जाता है, निषिद्धाचरण होनेके कारण। अतएव 'सर्वथा व्लेश ही होता है' कहा, जिसे स्वल्प भी (भजन और भजनीय भावत्वलप का ज्ञान हो वह ऐसा करी नहीं कर पायेगा, जिसे स्वल्पज्ञान भी न हो वही ऐसा कर सकता है। अतः एक सम्भवनाके रूपमें 'यदि' कहा गया है, ऐसे भजनकर्ताका भजनीय स्वल्प श्रीकृष्णा तो हो ही नहीं सकते किंभी उसे ऐसी आनन्द सताती होती है कि वह श्रीकृष्णभजन कर रहा है, अन्यथा आजीविकर्थी भजनमें भजनीय विग्रह श्रीकृष्ण हो ही नहीं सकते (तत्रैव)।

(ग) तस्य सेवां प्रकृतीं यावज्जीवं स्वधर्मतः, न पदलास्ति न भोगार्थं न प्रतिष्ठाप्रसिद्धये श्रीमदाचार्यमार्गोऽनान्येनापि कद्यचन, न कल्पितप्रकरणन दुर्भावसप्तव्यात् (शिक्षापत्र : - १८।१२-१३)।

(ग) अप्ये माये विराजते भावत्वलपकी सेवा आजीवन अपना धर्म मान कर करी चाहिये, न तो किसी फलको पानेको, न किसी तरहकी भोगवृत्तिके वश, न प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि पानेकी लालसाके वश ही, न श्रीमदाचार्यवरणोक्त रीतिसे भिन्न किसी रीतिके अनुसार ही, न ममःकल्पित प्रकरणेसे और न विस्तीक प्रति किसीभी तरहके दुर्भाव

रख कर ही( तत्रैव )।

(घ) "भगवत्सेवा है सो गोप्य है सो काहूसौं जनावे नहीं, जो सेवा प्रकट करी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे तो वाकों 'पाखंडी' कहिये, सो ताकी सेवामें कुछ पुष्टिमार्गको फल नहीं और पाखण्ड करिवारेके हृदयमें लौकिक आवेश आवे, सो लौकिक आवेशते बहिर्मुख होय सेवामें प्रतिबन्ध पड़े, पाखण्डको मूल लोभ-भय है सो लोभ-भय छूटे तब पाखण्ड न होय, और लोभके लिये जगतमें पाखण्ड करत हैं सो लोभी पाखण्डी होय, ताकों अन्याश्रय होय जाय, लौभके बशते ज्ञान-विवेक जाते रहें लोभी-पाखण्डीके हृदयमें श्रीठाकुरजी कहाहूं न बिराजें, तारें भगवद्धर्म-सेवा थोड़ी बने तो बाधक नहीं, सो थोड़े ही शुद्ध भगवद्धर्मते याके सघे कार्य सिद्ध होय जायें, और बहोत करे और पाखण्ड करे परन्तु पाखण्ड-लोभ लौकिक आसक्तिते भगवद्धर्म न बढ़े, तातें आलीकिक सो सेवा करे जो श्रीठाकुरजीको जानेते कार्य होयाओ—जो लोगानके=लौकिकके जानेते कछु सिद्धि नहीं है, ( चोर्वीस वचनानुत : २२ )

### ( संशय )

इन और ऐसे अनेक मूलाचार्यवचनोंके विवार करेपर इतना तो बिलकुल स्पष्ट ही है कि सेवाका प्रयोजन, पुष्टिमार्गी सिद्धान्तके अनुसार, लौकिक तो हो ही नहीं सकता, अलौकिक प्रयोजन भी स्वयं भगवत्सुख अथवा भगवत्वलपसेवा भगवनाम भगवद्गुण अथवा भगवल्लीला में चित्तकी अनन्यप्रवणताके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, अतः वित्तोपार्जन पदप्रतिष्ठाप्राप्तर्थ अथवा जनतोद्दारके प्रयोजनवश किया जाता भगवत्स्वरूपसेवाका प्रदर्शन, यदि कण्ठोक्त सेवाप्रयोजनसे भिन्न हो अथवा विरुद्ध हो तो वह सिद्धान्ततः अनुगोदनीय हो सकता है या नहीं यही इन विषयवाक्योंके स्वारसिक अर्थोंके

बारेमें जिज्ञासा या संशय का विषय है।

### (पूर्वपक्ष)

पुष्टिसिद्धान्तचर्चसिभा (दि. १०-१३ जनवरी १२ पार्टें-मुल्बई) में स्वभागीय ग्रन्थानुशीलन सिद्धान्तबोध अथवा जिज्ञासुज्ञोचित सौम्यभावोंसे रहित महाकविने अपने स्वभावानुरूप अगर्गत कल्पनाकौशलवशात् “अधिकारीभेदसे सेवाका प्रयोजन भवित्प्रवर्धनके अलावा लौकिक या अलौकिक कुछ भी सम्भव है” (द्रष्टव्य : विस्तृ.विव.पृ.सं.१५२) ऐसी सागर्जने घोषणा करके पु.सि.सं.पि. पदवीरूप शाखाएँ चंक्रमण कर दिया था। तदनुसार यहां भी अधिकारीभेदवश विभिन्न प्रयोजनोंके बश किया जाता भगवत्स्वरूपसेवाप्रदर्शन भी अनुमोदित हो सकता है या नहीं? उसे तो, परन्तु स्वयंके जयन्याधिकारी होनेके निगद्धभावसे जन्य चिं.महाकविकी अविकृतिय विवराताका अनुमान लगा कर, क्षम्य मान लेना ही अचित होगा। वैसे तो ‘शालाचंक्रमणिन्सन्’में भी निसनके प्रकारका थोड़ा-बहुत दिशानिर्देश तो दिया ही जा चुका था। अतः उन सभी चंक्रमणसम्भावनावाली शाखाओंका भी कर्तन तो हो ही चुका है। फलतः प्रस्तुत परिच्छेद विमर्शकार द्वारा उद्भृत या उड़कनसम्भावना के विशेषजारी ही अब केवल अवशिष्ट रह जाता है।

### (उत्तरपक्ष)

सेवाप्रयोजनका विचार करते समय मुख्य एवं गौण प्रयोजनोंके भेद भी विचारणीय बनते ही हैं। इन्हें मुख्यफल और अवान्तर फल के रूपमें भी निहारा जा सकता है। जिस साधनका जो मुख्य फल नियत होता है, उस फलको पानेकी कामनाके प्रमुख कामा होनेपर, यदि हम उस साधनको अपनाते हैं, तो फल और साधन दोनोंमें पूर्ण सामज्जय प्रकट होता है। अवान्तर फलको प्राप्त करनेकी कामनाके मुख्य होने पर भी साधन-फल सम्बन्धी हमारे विवेकमें एवं व्यापारमें थोड़ी-बहुत असमज्जस्ता तो झलकती ही है।

जिस साधनके साथ, परन्तु, जिस फलक नियत विरोधाभास ही हो तो उसी फलकी कामनाके प्रबल होनेपर उसी साधनके अपनामा विवेक एवं व्यवहार की पूरी असमज्जस्ताका उदाहरण माना जा सकता है। अतः ऐसी असमज्जस्ताका “अव्यापारेषु व्यापारं कर्तुम् इच्छति” वचनका विषय मानना चाहिये। कभी तो ऐसा भी होता है कि जो साधन जिस फलक नियत विधातक माना जाता हो, ऐसे साधनके भी कभी अपनानेकी भी विवशता अनिच्छा अज्ञान मोह पद्धतेश्वर्थ असूयावश या अतपूर्वकार्य लोकमें प्रकट हो जाती है। ऐसी सरी विवशताओंका परिणामस्वरूप फलविधात ही होता है।

तदनुसार सिद्धान्तमुक्तावलीमें जैसी साधनस्ता कृष्णसेवाका मुख्यफल चित्तकी कृष्णप्रवृत्तिके स्थाप्तं स्वीकरण गया, उसके सिद्ध होनेपर ही मानसी सेवा सिद्ध होती मानी जा सकती है। अहन्ता-मपाताज्य संसारदुरुखकी निवृत्ति एवं ब्रह्मानुभूति रूपी, जो अवान्तरफल कृष्णसेवाके स्वीकरे गये हैं, वहीं यह भी सप्तीकरण दे दिया गया है कि ये अवान्तरफल सेवाकर्ता साधकी अभिलाषके स्वरूपके विचारद्वय मिलपित नहीं हुवे हैं प्रत्युत मुख्यफलके स्वरूपान्तःपाती गुणधर्म होनेसे अवान्तरफलतया निस्विप्त हुवे हैं।

एवं एवं ही साधनस्ता कृष्णसेवाके अनुष्ठानोचित व्यापारका स्वरूप ‘तनुवित्तजा’रूप समस्तपदद्वारा प्रकट किया गया है।

अब वेंडी संसारदुरुखकी निवृत्ति या ब्रह्मबोध की प्रतिके लिये तनुवित्तजा सेवाका अनुष्ठान करता हो तो उसके ऐसे व्यापारमें स्वरूपतो-अन्यथात्व न होनेपर भी फलतो-अन्यथात्व प्रकट होता ही है, मुख्यफलान्तःपाती होनेके करण इनका स्वरूप मुख्यफलविद्येधी न होता हो तो भी। अर्थात् जब आंग ही अंगीकी प्रसिद्धि बाधक बनने लगे तो फलसाधनभावमें कुछ असमज्जस्ता तो स्वीकरनी ही

पड़ती है।

उदाहरणार्थे मुख्यफलस्त्रय प्राणधारणके सम्पादनार्थ साधनस्त्रय व्यापार अनभिक्षण है, इसके अवान्तरफल पुष्टि तुष्टि और क्षुधानिवृत्ति प्रकटतया संभवीको अनुभूत होते हैं। बहुधा इन तीनों या तीनोंसे विस्ती एकली अर्मार्डलालसा प्राणनिवाहके बजाय प्राणधारक ही सिद्ध होती है। एताकां सिद्ध होता है कि अवान्तरफलोंके बारेमें भी मुख्यफलके जैसी क्रमसाकेप्रबल होनेपर मुख्यफलके उंगभूत अवान्तरफल मुख्यफलमें आधक हो सकते हैं।

इसी तरह सांसारिक दुर्खक्ती निवृत्तिके लिये सांसारिक साधनोंके अवलोकनमें विस्ती तरहकी असम्भवता न होनेपर भी सांसारिक दुर्खेंकी निवृत्तिकी कामादवा क्षुधासेवाका अनुष्ठान "लौकर्त्ती चेद् भजत् कृष्णं किलश्चेभवति सर्वथा"। वचनमें निरूपित व्यापार एवं प्रयोजनकी असम्भवता है। यही गति कृष्णसेवाका द्वितीय अवान्तरफलस्त्रय ब्रह्मवैधकी क्रमानके प्रबल होनेपर भी सोच ली जा सकती है। वर्तोंके तर्दधे ज्ञानमार्गीय उपासना आदिकी ही मुख्यसाधनता स्वीकरनी उचित होगी।

इस सबके विपरीत लौकिक सुख धन पद प्रतिष्ठा या कीर्ति आदिकी क्रमानके वश जब कोई कृष्णसेवाके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होता है तब तो चित्की कृष्णकृपवृण्णा या मानसेवा रूपी वास्तविक फलवाक विघात तो ध्रुव मिश्वित है और अतएव इसे फलविरुद्ध व्यापारमें प्रवृत्त होनेकी मूडता भी माननी पड़ती है।

यह विरोध उभयथा सम्भव है :

(१) साधनस्त्रवक्त्रे विकृत बना कर, यथा, एककर्त्तुक ततुविज्ञानके बजाय भिन्नकर्त्तुक ततुना और विज्ञान के अनुष्ठानद्वारा साधनके स्तरस्त्रविघातक व्यापारद्वारा, अर्थात्

स्वगृहके बजाय सार्वजनिक देवालयमें कृष्णसेवाके साधनस्त्रवक्त्रे के विधातद्वारा, स्वकीय भक्तोंके सहयोग तथा संनिधानके बजाय अस्वकीय तथा अभक्तों के संनिधान अर्थात् ज्ञानसाधारणके सहयोग तथा संनिधान द्वारा सम्पन्न करते पर।

(२) वास्तविक फलके अनभिस्वित होनेपर वह फुः दो तहसे सम्भव होता है : (३) वास्तविक फलकी अनुभवति तथा (४) वास्तविक फलका विघातन।

ततुविज्ञान, स्वगृहायषित स्वरूपकी सेवा, अपने परिवारजनोंके उसमें विविधोंके निर्वाचित्वाके व्योपदिक्षतया करनेपर भी सेवाकर्ताके अन्तःकरणमें वास्तविक फलकी अभिलाषा ही न रहेपर वह फल उत्पन्न नहीं होगा। यह वास्तविक फलकी महत्वके प्रति प्रमाद या अज्ञान के करण भी सम्भव है। इसी तरह तदविरोधी फलके प्रति मोहजन्य आकर्षणके करण भी जैसे लौकिक सुख धन पद प्रतिष्ठा प्रतिस्पर्धा या कीर्ति आदिके मोहवश व्योपदिक्षतया भी कृष्णसेवाका अनुष्ठान इन विशेषी फलोंके मोहवश कृष्णसेवाका स्वरूपेष्याती न होनेपर भी फलोपायाती बन सकता है। अतएव शिक्षास्नोकी सिद्धान्तमुक्तावली विवृति तथा शिक्षाप्रक्रके वचन स्थानपुलाक्त्यादेन विषयवाक्यतया मैंने प्रसुत किये थे अन्यथा तो अनेकनेक वचन इस अधिष्ठावयवे सिद्ध करनेवाले मुदोधिन्यादिसे ऊँट किये ही जा सकते हैं। उदाहरणतया विशेषिनिक( द्वितीय)के मुख्यवृत्तपर तथा पृष्ठपृष्ठपर जो वचन ऊँट हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है।

विमर्शकरने इस विषयमें अपनी एक विचित्र व्याख्यानरीति पेटेन्ट बना रखी है कि जितने भी निषेधवाक्य हैं उनकी सदाचारसे विरुद्धा दिखाना कर सिद्धान्तविपरीत सदाचारकी वचनविरोधिताकी उपर्युक्ति देने-खोजनेके बजाय कठोरक निषेधोंका अधिग्राय लक्षणवृत्तिसे खेज

लेना.

यह तो ऐसी बालतीता है कि मानों मध्यपानक्षम शास्त्रमें निषेध उपलब्ध होता हो तो भी श्रीबलरामके मध्यपानको सदाचार मन कर मधुबुद्ध्या मध्यपानको दोषस्त्रम दिखलाना परन्तु गांगाजलपानबुद्ध्या या ओषधबुद्ध्या मध्यपानको निर्दोष सिद्ध कर देना। अथवा उन-उन व्रायियोंके अप्सरामणके वृत्तान्तको उद्धृत कर सदाचारकी शपथ देया ख्व कर आधुनिक प्रवृद्धविहारको धर्य ठहराना सो भी यह कह कर कि प्रवृद्धबुद्ध्या प्रवृद्धविहार दोषस्त्रम हो सकता है पर अप्सराबुद्ध्या अथवा स्ववृद्धबुद्ध्या विहार करनेपर आर्य सदाचारानुसरण ही केवल होता है।

ऐसे बच्चनें कुविम्बाकि ऊँछ उदाहरण देख कर ही इस विषयके विचारार्थ अग्रसर होना उपयुक्त होगा। देखिये :

(१) “रीटर्वादिविषया भावः” इस वाक्यके अनुसार ‘भाव’ शब्दका अर्थ भगवद्विषयिणी रहते हैं। व्यवहारमें देखा जाता है कि पतिरक्षार्थ किसीके आनेर पत्नी नहीं रोकती। अन्य लोगोंके समक्ष भी पत्नी पर्यादित रूपमें अपने आराध्य पतिकी सेवा करती है। पतिके विषयमें पत्नीका शृंगारसक्त जो स्थायी भाव है, उसे पत्नी लोगोंके समक्ष प्रकट नहीं करती। ‘रीट’का अर्थ है: “यह पति किया इनका दर्शन आदि सुखका साधन है इस प्रकार का पत्नीका संस्कार。”

(विम.पृ.सं.१९७-१९८)

[क]

वैसे तो विमर्शकरने यहां एक बहोत बड़ा झांसा देनेकी कोशिश की है। क्योंकि यह तो ठीक है कि सामान्यतया कोई भी पत्नी पतिके मिलने-देखने आनेवालोंपर रोक-योक नहीं लगाती होती परन्तु

२६

दर्शनार्थियोंमें कोई दर्शनार्थिनी पतिकी और्ख्योंमें डौरे डालने आना चाही हो, उसस्तर भी वह पत्नी यदि बुरा न मानती हो और उसे रोक-योके भी नहीं; और, तब एक दिन वह मनचली दर्शनार्थिनी कोर्टमें दावा भी कर दे : वह पुरुष केवल पतिप्रदर्शिका पत्नीका ही पति नहीं परन्तु दर्शनार्थिनीका भी पति है और पतिप्रदर्शिका तो केवल उसकी परिचारिका है। तब भी वह पतिप्रदर्शिका यदि बुरा न मानती हो तो या तो वह स्वपतिविक्रीता होगी अथवा व्यभिचारी पतिने उस पत्नीको सेरे-आम स्तापे उत्तर कर विरोध दस्तावेजे बाकूहू उसे मार-पीट कर भीतिविल्ली बना दिया होना चाहिए, घरमें एक निरीह पालतु जानवरकी तरह पाले स्फेदको ! अन्यथा अपने पतिकों परंसानेमें दर्शन करने आनेवालीको रोकेके दाम्पत्यकल्पनमें तो सही पत्नी भी अपने मुक्कस्से बाहर निकलकर मार्गपर उत्तर जाती है। मरे खातेन्छो, फरू, विशीरका पत्नी होनेका अधिमान ही खण्डित हो गया हो तो कथा दूसरी है!

अतः “भावस्त्राय्यमदीयः सर्वस्वर्वचैहिकश्च सः परलोकश्च तेनायं सर्वाबेन सर्वथै सेव्यः साप्त गोपीणो विधास्यत्याखिलं हि नः” वचनके आधारपर क्योंकि ऐहिक पारलोकिक सभी ऊँछ पुष्टिप्रभु ही सिद्ध करते हैं तब दर्शनार्थी जनतासे रक्षण-पोषणकी अपेक्षा रख कर भजन करना करिकर्यां प्रस्तुत “साव नः अखिलं विधास्यति” भावनके विपरीत लगाता है। अतः वृत्त्यर्थ, रक्षार्थ, पोषणार्थ, प्रतिष्ठार्थ, ज्ञानद्वारार्थ अथवा परधनके स्वकीयप्राक्तवस्त्रमें सेवामें विनियोगार्थ भावत्सेवाका अनुष्ठान सिद्धान्तानुमोदनीय नहीं हो सकता है।

[ख]

आज इस व्यावसायिक दर्शन करनेके चक्करमें पुष्टिमार्गीय हम गोस्वामीयोंके अधिकतर ठाकुरजीओंके वैष्णव दर्शनार्थी दूसरी बात कर पत्ता गये हैं। कई स्थलोंपर तो ऐसे प्रदर्शनार्थी पूजा-महाराजाओंका निष्कासन

भी ट्रिस्टओंने कर दिया है। स्वयं सुतपरके ताबेकी कल्पोलकी हवेलीमें, सुन्तर हैं कि ट्रिस्टओंने सिर उठाना चाहा है, स्वयं मोटी हड्डेलीमें आराध्य श्रीबालकृष्णलालजीको मन्दिर रिपेर करनेके लिये वाराण्सी रोड पथरामेंकी योजना स्थगित करती पड़ी कि कहीं मुकद्दमेवाली न हो जाए! बावजूद इसके दर्शनार्थियोंकी उड़ारकी कान्फ्रामार्में कितनी सदाशयस्थल्या जननाद्विधीर्णी है? और विज्ञानी धर्मोपासनकी विवशता? यह कह पाना कठिन लगता है। यह स्थिति इनी विल भी नहीं कि विर्मांकरके ध्यानमें बाहर हो। हर सूतरोंमें यह एक व्यावहारिक विवशताकी कथा है सैद्धान्तिक पक्ष नहीं। वैसे इना मुटुड़ है कि सेवाकर सर्वजनिक प्रदर्शन करना हो तो सेवास्थलक्ष्ये न केवल प्राचीन तत्त्वागमोंके निर्णयोंके अनुसर अपितु आधुनिक उच्चतम न्यायालयके निर्णयोंके आधारपर भी देवालय खींचना पड़ेगा। इन्हा ही नहीं अपितु उस देवालयस्थ भावधिविग्रहमर्मसे अपना स्वत्त भी निवृत मानना पड़ेगा। पिरभी ऐसे भावद्विघ्नके बारेमें स्वरूपापत्रिकाका द्वाया तो बचकरनी मनोवृत्ति लगाती है। अन्यथा स्वीयभक्तजन्मेर अन्य जनसाधारणको दर्शन कराये ही नहीं जा सकते। विशाल खुले द्वारोंवाली बेरोकटोक आवागमनकी सुविधा दर्शनार्थियोंके प्रदान करनेवाली हड्डेलीके संचालक क्यों दर्शनार्थी जनताको महारप्य-प्रमुखराण भावतस्वरूप सेवार्थ पधारा कर अपने-अपने धरोंमें सेवाकर उपेंद्र नहीं देते। ऐसे करनेपर खोनेको केवल देवोत्तम ब्रह्मक आर्थिक लाभ होगा और पानेमें स्वयं निजाराध्य देवाधिदेव भावतस्वरूप होगा! खेदके साथ, परन्तु, कहना पड़ता है कि देवलकर्मोंकी सचि प्रायः देवमें नहीं किन्तु देवद्वयमें ही बद्धमूल होती है।

विर्मांकर कहते हैं—

“अन्य लोगोंके समक्ष भी पली मर्यादित रूपमें अपने आराध्य पतिकी सेवा करती है। पतिके विषयमें पलीका जो शृंगारसका स्थायिभाव रहता है उसे पली लोगोंके

समक्ष प्रकट नहीं करती।” (तत्रैव)

वैसे तो आधुनिकर्ये उद्यानोंमें, सागरतटोंपर या कल्पोंमें अपने पति वा प्रेमी के प्रति रहे शृंगारत्मक भाव भी प्रकट करती ही हैं, जैसे हम आधुनिक गोरखामिण शृंगारसात्मिक जलद्विलाकी भावनासे कराये जाते ज्येष्ठामिकेके दर्शन मालामें आम जनताको बराते हैं। दामलीलाके शृंगारिक भावपूर्ण दर्शन शृंगार राजभोग आदि दर्शनोंमें कराते हैं। सांझीके सन्ध्या-आरतीमें और शारदी पूर्णिमामें रासलीलाकी भी भावकावाले दर्शन भी शब्दमें कराते ही हैं। वस्तुतके खेलमें तो चालीस दिनोंतक शृंगारभावात्मिक रतिसे ठाकुरीको चोवा चन्दन गुलाल अबीरसे छिलानेके भी दर्शन कराये ही जाते हैं।

यदि कहा जाये कि इन शृंगारलीलाभावोंके दर्शन या प्रदर्शन में गोस्वामी स्वयंस्व प्रमुख प्रति रहा मधुरभाव प्रकट नहीं करते परन्तु ब्रजभक्तोंके भावानुके प्रति कैसे मधुरभाव थे उर्ध्वाक्ष केवल प्रदर्शन करते हैं! तब तो यह भी स्वीकरना ही पड़ेगा कि या तो इन सेवाओंमें अनुष्ठान हम गोस्वामिर्वा सर्वथा भावविहीन केवल जनप्रसारार्थ ही करते हैं; अन्यथा, उर्ध्वी क्रियाओंके अनुरूप निज हृदयमें भी भाव होनेपर ऐसा शृंगारसात्मिक सेवा तो कमसे कम जनताके समक्ष हाँमें बढ़ करती चाहिये थी, धनलालसाके संघर वर्के परप्पराकी दुहाई दे कर, यदि ऐसा करनेमें विर्मांकरको दोष न लगता हो तो, आहार सख्तभक्तिको प्रकट किये बिना ठाकुरलीको शृंगार धरते समय भी खुले द्योमें शृंगार धरनेमें आपत्ति होनी तो नहीं चाहिये थी। पिर शृंगार धरनेकी सेवाके प्रदर्शनसे क्यों कहराना चाहते हैं? क्यों अब यहां “एकल निर्णातः शास्त्रार्थो असति बाधके अन्यत्रापि न कुञ्जते?” जैसे ही मंगलभोग गोपीबल्लभभोग राजभोग उत्थापन शयमभोग आदिक भी प्रदर्शन क्यों किया नहीं जाता? यदि कहा

जाये कि सेवारीतिकी घर-घरमें विद्यमान पुस्तकोंमें उसका प्रावधान नहीं है, अतः टेके भीतर ही वह सेव अनुष्रव होती है। तो ऐसा क्यों नहीं सोच लिया जाता कि यह निषेध भी लाभपूजार्थ प्रदर्शनकी मान्यतावादश प्रदर्शनक निषेध होगा परन्तु हेलिओंमें आनेवाली साधारण जनताके उद्धारार्थ प्रदर्शन करतेमें यह निषेध बाधक नहीं होना चाहिये। “एकत्र निर्णातः शास्त्रार्थो असति बाधके अन्यत्रापि युज्यते।”

क्षेत्रक (ख)के सामने दिये गये वर्णनमें कारिक तो निःसन्देश महाप्रभुका उपदेश है परन्तु उसके विवरणहात्या दिये गये प्रभुकरणवचन सभी मातृकराऊंमें उपलब्ध न होनेसे सिद्धान्तचर्चासभावें चिम्हावनिमें उसका प्रामाण्य सदिक्ष माना था (द्रष्टव्य कि विस्तु विष.पृ.सं.१७ तथा २१८-२२१)। इस बारेमें विमर्शवस्त्रम् भौम हमें भौमत थारण करनेवाले बाधित नहीं कर सकता; क्योंकि, शब्दावलीक्रं प्रामाण्य सन्देहास्पदतया स्वीकार कर भी चलें परन्तु इन शब्दावलियोंमें अधिकृत उपदेश महाप्रभुकी मूलकरिकता तथा प्रभुकरणके (आगे इन प्रकारणमें निष्कर्षतया उद्धृत किसे जानेवाले) भवित्वान्तर्के वचनोंकी एकत्राक्षता करनेपर और कठोर शब्दोंमें इसी उपदेशके प्रकट कर रहे हैं।

[ग]

विमर्शकर कहते हैं—

“जिस प्रकार पतिके साथ सहस्रार्थे हुदी बातचित आदिको लोगोंके सामने प्रकट करनेपर प्रलीका पतिके प्रति भाव बढ़ता नहीं अपितु घटता है, उसी प्रकार भगवान्के साथ होनेवाली रहस्यवार्ता आदिको लोगोंके सामने प्रकट करनेपर भक्तका भगवान्के प्रति विद्यमान भाव बढ़ता नहीं घटता है। अतः भगवान्की सानुभावताका प्रकाशन असंधिकारियोंके सामने नहीं करना चाहिये। (विम.पृ.सं.१९८)

यहां यह प्रश्न उठता है कि जैसे पतिके साथ रहस्यार्थे हुई बातचित परन्तुको प्रकट नहीं करनी चाहिये वैसे सेवाकर्ताको अपने प्रमुख सानुभावकी रहस्यवार्ता क्यों प्रकट नहीं करनी चाहिये? उत्तरस्पेषण भावकी अवृद्धिमानिकी सम्भावना अथवा भावके नाशकी भीति ही हेतुतया उपस्थित होती हैं, तो व्रजभक्तोंके साथ भगवान्की जो रहस्यलीला है उन्हें प्रकट करनेवाली सेवाका सार्वजनिक प्रदर्शन कैसे अनुमोदनीय हो पायेगा? यदि कहा जाये कि व्रजभक्तोंके अनुमोदनीय भावनानुस्खरिणी सेवा करनेवाले हम आधुनिक गोस्वामियोंकी सानुभावताका प्रदर्शन न होनेसे अनुमोदनीय हो सकता है, तो इसके करणको भी खुल कर जाना पड़ेगा :

(१) क्या अनुकर्यं व्रजभक्तोंके सदृश हम आधुनिक गोस्वामियोंके हृदयमें रहे आहार्यभाव या भावना भगवत्सेवाके समय विद्यमान नहीं रहती इस करण, अर्थात् हम लोगोंकी सेवा केवल क्रियात्मिक ही होती है?

अथवा

(२) हमारी कृष्णसेवामें भावांश व्रजभक्तोंके होनेपर भी प्रदर्शनद्वारा प्रकट होनेवाला उंश से केवल हमारेद्वारा अनुष्ठित कृष्णसेवात्मिक क्रियाक्र ही होता होनेसे?

(३) यदि लेखत: भी हम गोस्वामियोंमें निज भावत्सेवामें व्रजभक्तोंके रहस्यभावोंका आहार्यभावन (अर्थात् भावना) नहीं रहती तो ऐसे भावभावनाके उद्घोषक पदोंका गान सेवाके समय हमें हमारी भावत्सेवामें बन्द करवाना चाहिये, अन्यथा रहस्यवार्ताका प्रकाशन प्रकट हो ही रहा है, केवल क्रियात्मिक सेवाके इन्हे समारप्य पूर्वक अनुशासनक भवित्वार्थां औचित्य भी क्या हो सकता है? यदि जनताज्ञ? तो क्या वह भवित्वभावके उद्घोषनद्वारा या केवल क्रियाप्रदर्शनद्वारा अथवा निजमें भगवत्सेवार्थ असमर्थ जनोंके द्वयके भगवत्सेवामें विनियोगार्थ? इसका स्पष्टीकरण

भी देना पड़ेगा। क्योंकि केवल क्रियाप्रदर्शन तो भक्तिभावोद्घोषक होनेके बजाय कपिरिक ही होगा। भक्तिभावोद्घोषार्थ भक्तिभावप्रदर्शन करनेपर तो स्वयं विमर्शीगृहीत भक्तिभावप्रणाश ही होगा। पट्टद्वये भावत्सेवामें विनियोगार्थ तो प्रदर्शन करनेके बजाय जनताको कथाकथल्पके समान्यणक्स उपदेश क्यों नहीं दिया जाता? महाप्रभुकी मुख्य आज्ञा है ही “सेवायां वा कथायां वा वस्यासक्तिः दृढा भवेद् यावज्जीवं तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम” (भक्तिव.३) कथाकी दक्षिणा वैष्णव श्रोताओंसे ऐंठ कर भी भावदर्थ नहीं तो भावत्कथार्थ इत्यविनियोगा तो शब्द है ही। यदि कहा जाये कि महाप्रभुकी “वृत्यर्थं नैव युज्जीत प्राणैः कथगत्तरैर्पि” (त.दी.नि.३।२५४) निषेधके रहते वह शब्द नहीं, तो इन निषेधकी प्रयोगकी भीमांश करनी पड़ेगी और वह महाप्रभुके उपदेशद्वारा शान्त करनी हो तो “इदं नामात्मकं भावतो रूपं तत्त्वविक्रान्ति विकल्पसाध्यातिरिक्तं फलं न प्रयच्छति” (त.दी.नि.प्र.३।१२७) वचनामुदार परि “एकत्र निर्णीतिः शास्त्रार्थो असति बाधके अन्यायपि कुच्चों” न्याय यहां विमर्शीकर क्यों लागू नहीं करना नहीं चाहते? नामात्मक रूप और साक्षात् स्वरूप के बीच ऐसा क्या तात्पर्य है कि एकत्र आजीविकार्थ उपयोग कर्ज ही होता है अपरक्ष आजीविकार्थ न केवल अनुपयोग प्रत्युत विमर्शीकरके शब्दोंमें कहना ही हो “अनन्यशरण भावत्दभक्त उत्तम वैष्णवोंको ऐश्वर्यकलिये पूजन करनेमें तोष नहीं... रक्षा एवं पोषण के बिना देवता पूजा न करें”—“याजनके अन्तर्गत ही वृत्यर्थ परार्थ भावत्सेवा एवं भृत्यर्थ परार्थ भावत्सेवा के आ जानेसे वृत्यर्थ भावत्सेवा निषिद्ध नहीं है” (विम.पृ.सं.४५—३१)। क्या नामात्मक भावद्वयकी तुलनामें साक्षात् भावत्स्वरूपकी भावत्सेवा विमर्शीकरके न्यून लगती है! भावत्स्वरूपकी भी केवल केन्द्रभावण्यार्थ उपयोग ही निषिद्ध मान कर दक्षिणाका निषेध नहीं मानना चाहिये था! यदि वहां दक्षिणा अग्राह्य हो तो यहां दक्षिणा कैसे ग्राह्य मान ली गयी है? यदि सबसे अपने धरोंमें भावत्सेवाका निर्वाह शब्द न होनेकर बहाना भी बनाना हो तो कम्से कम जिससे निवाह शब्द हो, उन्हें तो स्वयं

उनके धरोंमें बिराजते सेव्यकस्त्रपकी सेवाके लिये प्रेरित करना चाहिये, उन्हें अपने धरोंमें भक्तता बनाये रखनेके बजाय।

एतावता सिद्ध होता है कि हम गोस्वामिओंद्वारा अनुष्ठित भावत्सेवा ब्रजभक्तोंके अनुकर्त्य रहस्यभावोंसे सर्वथा रहित होनेपर भी भावत्सेवाके प्रदर्शनकी अनुमोदनीयता भक्तिमार्गीय प्रयोजनवश तो शब्द नहीं।

(२)द्वितीय हमारी भावत्सेवामें क्रियांश हमारा और भावांश ब्रजभक्तोंका स्वीकारनेपर सबसे बड़ी कठिनाई है यहां आती है कि हमारे आराध्यका स्वरूप न केवल भावत्सक्त है अपितु हमारी सेवासमाप्ती इत्य तथा क्रिया सभीमें पृष्ठिमुखी भवोंका ही अंगीकर करते हैं। अतएव श्रीप्रभुकरणके सेवास्त्रोक्तमें आता है “भावत्सक्तसामग्रां भोगेच्चां प्रकटी कुरु” —“...उद्दीपो भावभोजमाचार” —“भुशुश्व भावैकसंयुक्तम्” (प्रभुकरणकृत सेवास्त्रो.५७,५८.६२)। अन्यथा भावरहित केवल इत्य या क्रिया का अंगीकर तो मनवलसे पूजामार्गीय देवताओंके बारेमें भी मात्र ही होनेसे पृष्ठिमुखी वैशिष्ठ्यकम ही प्रत्याख्यान हो जायेगा। मूलमें यही हेतु था कि गृहणोपान्तराधिकरणमें तथा साधनवीपकरणमें आधुनिक गृहस्थ भक्तोंके भावोंके संमोजन अर्थात् अस्वीकार भक्तोंके साथ अप्रकरणकर नियम सङ्खया गया था। यह निजाचार्यप्रभुति पूर्णपुरोक्तीकी जिसी बड़ी मनोवैज्ञानिक सुझावद्वारा थी! करण एक ही था कि उनकी कृष्णसेवा भावदाराधना ही थी। वह न तो जनाराधना थी और न धनाराधना। हम गोस्वामिओंके दुर्दीविवाक्षण वह हमारी कृष्णसेवा अब सकलभक्तजनविग्रह्य केवल धनजनाराधनाका नमताण्डव बन गयी है, जिसकी वक्तव्यत विमर्शी द्वारा की जानी कार्यकी नमताके अलावा वाचिकी भी नमता नहीं तो और क्या हो सकती है?

वैसे विमर्शकरणे देवलग्नकरणमें अपना उत्तरपक्ष कोष्ठक (ग)

के सामने दिये श्रीहरिराय महाप्रभुके वचनके अधिग्रायनस्तपणके साथ प्रारम्भ किया परन्तु शीघ्र ही बातकि आधार खोजने पत्तायम् कर अन्तमें “भावत्सेवाके मिष्ठे अपने लाभ एवं अपनी पूजा केलिये किये जानेवाले प्रयलमें उपथमैत्र देवलक्तव्य अदिका सम्पादकत्व हैं” (विम.पु.सं.३४) स्वीकार कर भी पुष्टसंख्या ३८-३९ पर वृत्त्यर्थ परार्थ भावत्सेवाके पुनः निर्दोष मान लिया है. अवधेय है कि वृत्ति यदि स्वार्थ भोगपर्यक्त न हो तो वह ‘वृत्ति’ ही नहीं कहलायेगी सो श्रीहरिरायजीका “न भोगार्थ” निषेध वृत्त्यर्थ परार्थ भावत्सेवाके निषिद्धामें ही पर्याप्तिसिंह होता होसे विर्माण का शिक्षापत्रद्वारा ही यहां प्रकट हो रहा है. इसमें लेशमात्र सन्देह रह नहीं जाता है. यदि वृत्तिको भावद्विविनियोगार्थ मान कर भी चर्चें तो भावदुद्देश्यक देवत्व ही सिद्ध होनेसे पुनः देवलक्तव्यापाति तुष्परिहारा सिद्ध होगी. देवोदेश्यक गोवायामिस्वामिक पदव्यांनिकर तो कोई निर्लक्ष्य पुष्ट ही घोषित कर सकता है, भक्तपुष्ट नहीं.

इस सारे विषयके स्पष्टीकरणार्थ पुनः नदियादके केसमें पू.पा.श्रीब्रजललालजी महाराजजीके कुछ वक्तव्य उद्धृत करना चाहोगे. इनके अवलोकन करनेते सारी अस्पष्टात्र दूर हो कर सभी पुष्ट करतलालकर्त्तव्य स्पष्ट दिखलायी देने लगेंगे, यथा :

“गोवायामी बालकर्त्तव्यके घरमें बिराजते स्वरूपोंके वैष्णव अर्पण कर नहीं सकते हैं परन्तु गुरुओंके भेट दे सकते हैं. अतः देवालेका मालिकना हक दी भेटपर रहता है या नहीं का प्रश्न उपस्थित नहीं होता... भेट और अर्पण दोनों अलग बाते हैं भेटमें देवालेका मालिकना हक निवृत्त हो जाता है और लेवालेका पैदा होता है और समर्पणमें समर्पण करतेवालेका मालिकना हक कायम रहता है. अतः भेट और समर्पण एक ही बात नहीं...”(पुष्ट.सं.८).

व की ल : वैष्णवोंद्वारा जो भेट धरी जाती है वह श्रीगुरुजीकी

सेवाकेलिये नहीं परन्तु गुरुके लाभार्थ दी जाती है, ऐसा आपका कहना है?

महाराजश्री : नहीं.

व की ल : वैष्णवोंके द्वारा श्रीगुरुजीको अपर कहे गये अनुसार दी जाती भेट गुरु, श्रीगुरुजीकी सेवार्थ स्वीकारते हैं क्या यह ठीक है?

महाराजश्री : श्रीगुरुजीकेलिये भेट धरी ही नहीं जाती तो गुरु वैसी भेट भेट स्वीकारते हैं या नहीं यह प्रश्न ही नहीं उठता. परन्तु स्वयंके आत्मकल्याणकेलिये वैष्णव भेट धरते हैं.

व की ल : वे किसे भेट धरते हैं?

महाराजश्री : गुरुको.(प.सं.१८)

व की ल : यदि कोई भी पुष्टिमार्गीय मन्दिरमें वैष्णव श्रीगुरुजीकी सेवा एवं नेभोग केलिये और श्रीगुरुजीकी सेवाके निर्वाहकेलिये भेट आदि धर कर वित्ता सेवा करते हों तो या मन्दिरमें तुनुजा सेवा करते हों तो क्या वह मन्दिर पुष्टिमार्गीय नहीं होता ऐसे आपका कहना है?

महाराजश्री : पुष्टिमार्गीय मन्दिरमें वैष्णवोंद्वारा तुनुजा, वित्ता सेवा स्वतन्त्र करनेकी कोई प्रक्रिया नहीं है, और वह करते हों तो वह मन्दिर साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता.

व की ल : सुलक्षके श्रीबालकृष्णजीके मन्दिरमें श्रीगुरुजी श्रीबालकृष्णजीकी सेवाकेलिये वैष्णवोंके द्वारा स्थावर-जंगम सम्पति भेट धरी जाती हैं या नहीं?

महाराजश्री : यह मेरी निजी हवेली है और निजी स्वरूप है और यहां जो कुछ भेट आता है वह मेरी भेट होती है.

व की ल : भेट तो वैष्णव धरते हैं और श्रीगुरुजीको

धरते हैं।

महाराजश्री : वैष्णव धरते हैं यह सच्ची बात है परन्तु भेट तो मेरी ही कही जायेगी।

व की ल : भेट तो श्रीठाकुरजीको धरते हैं।

महाराजश्री : नहीं。(पृ.सं.२१)

व की ल : आपको यह सीद दिखायी जा रही है वह आपकेद्वारा दी गयी है कि नहीं?

महाराजश्री : हाँ।

व की ल : इस सीदके आधारपर तो आप स्वीकारें कि श्रीठाकुरजीको भेट यहां धरी जाती है?

महाराजश्री : नहीं।

व की ल : इसमें ठाकुरजीकी भेट छपा हुआ है।

महाराजश्री : यह तो मैंने अपनी निजी समझकेलिये छापा है।

व की ल : आपकी निजी समझ यानि कि ऐसी रकम श्रीठाकुरजीकी सेवाकेलिये आपको वापरनी है यहीं न?

महाराजश्री : नहीं।

व की ल : अर्थात् ऐसी भेटको भी आप श्रीठाकुरजीकी सेवाकेलिये वापरनेको बंधे हुके नहीं हैं?

महाराजश्री : नहीं。(पृ.सं.२२)

व की ल : श्रीठाकुरजीकेलिये वैष्णवोंकेद्वारा दी जाती भेट गोस्वामी महाराजोंद्वारा अनेक बार स्वीकारी जाती है।

महाराजश्री : मैं कई बार कह चुका हूँ कि श्रीठाकुरजीकेलिये कोई भी वैष्णव भेट धर ही नहीं सकता तो स्वीकारनेकी बात कहां हो सकती है।

व की ल : वैष्णवोंको गोस्वामी महाराजोंको श्रीठाकुरजीकी

सेवाकेलिये कुछ भी देना ही नहीं चाहिये क्या?

महाराजश्री : भेट धरनेकी पद्धति नहीं है।

व की ल : भेट स्वीकारनेकी पद्धति है क्या?

महाराजश्री : नहीं。(पृ.सं.२५)

व की ल : वैष्णवोंके घर पधरामणीके समय श्रीठाकुरजीकी भेट अंतर्पट रख कर ली जाती है और उसपर मालिकी आपने महाराजोंकी स्वीकारी तो एक ही समय इस तरह दो-दो भेट लेनेमें वैष्णवोंसे दोहरी भेट लेनेके आशयसे क्या वह ली जाती है? या अंतर्पटवाली भेट श्रीठाकुरजीकी सेवाकेलिये ली जाती है?

महाराजश्री : श्रीठाकुरजीकी सेवाकेलिये नहीं परन्तु श्रीठाकुरजी-केलिये ली जाती है।(पृ.सं.३२)

यह गवाही पूरा महाराजश्रीने दिनांक १६।१२।१९४६ के दिनके साडे बारह बजे पूरी की थी, बी.बी.देसाई (कामिशनर्स कैरा स्पेशियल स्टूट नं.२५४३) के समक्ष। 'विमर्श'के आमुख्योरोगनका काल २१।४।१९९२ दिनांकित हुवा है। इन छियालीस वर्षोंमें पूरा महाराजश्रीके विशेष स्वभावीय ग्रन्थाध्यनवशात् यह विचारोंमें परिवर्तन आया है कि वार्षिकवशात् दृष्टिलेप हो जानेके कारण पूरा महाराजश्रीके हृत्तरागर उन्हें अनवगत प्रलेखपर ले लिये गये हैं? अखिर उनके विचारोंमें इतना अन्तर कैसे आ गया और क्यों आया? यह अब विश्वकारको समझाना पड़ेगा, क्योंकि इस गवाहीमें पूरा महाराजश्रीने स्वीकारा है कि पुष्टिमार्गीय हवेतियोंमें भागवत्सर्वार्थ न तो धन देनेकी पद्धति है और न धन लेनेकी (यह काल सूझी है कि तब भी स्वयं गवाही लेने आये वकीलसे श्रीठाकुरजीके भेट स्वस्प सेवा स्वीकारी गयी थी और उसकी सीद भी यी गयी थी!). साथ ही साथ यह भी स्वीकारा गया था कि इस तरह यदि पद्रव्य कहीं लिया-दिया जाता हो तो उसे पुष्टिमार्गदानुसारी

कृत्य नहीं माना जा सकता। 'विमर्श'में, परन्तु, अब यह कहा जा रहा है कि

"जहाँ धन मिले अपना निर्वाह हो" इस उद्देश्यसे मनोरथ आदिका सम्पादन नहीं किया गया हो वहांपर मनोरथ आदिके लिये प्राप्त द्रव्यका भगवत्सेवामें विनियोग होनेपर प्रसादग्रहण करनेमें अर्चोपजीवकत्वका दोष आ नहीं सकता।"

(पु.सं.१३-१४).

अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ खतम ये मंजिलें कौन सी न वो समझ सके न हम! कल तो कोई वाराणना भी कहने लग जायेगी कि "जो अविवाहित या विशुद्ध पुरुष होते हैं उनकी दारुण कामपीड़िके त्रासको निवृत्त करनेकी अंशतः भी परोपकारकी भावना जिस छद्मयमें न हो ऐसी स्त्रीके द्वारा किये जाते देहके व्यापारद्वारा अर्थोपजनको अननीत माना जा सकता है परन्तु अंशतः भी परोपकारका भाव हृषयमें होनेपर कामपीड़िद्वारा, वेतनन्वेन नहीं प्रस्तुत उपायन्वेन प्रदत् द्रव्यपर स्वोपोगार्थ स्वत्व स्थापित करना अननीत नहीं मानी जा सकती!" तो ऐसे परोपकारके कृतज्ञाताज्ञापनरूप उपायन और कायव्यापारके अनाचारद्वारा अर्जित द्रव्यमें विमर्शकार कैसे विभाजकरेखा खींच पायेंगे यह जिज्ञास्य है? ऐसी नहीं कि इसके मूलमें सामाजिक समयावसे तत्त्व देशकी सरकार वाकिफ न हों। अन्यथा वाराणनाओंको कानून अपनी कायाके व्यापार करनेका अनुज्ञापत्र(तायासंस्) देनेकी परिपाटी क्यों होती? फिरसी यह तो एक तथ्य है अन बस्त्र रस्त भूमि-भवन आदिके व्यापार करनेवालोंकी समाजमें जैसी प्रतिष्ठा होती है ऐसी अपनी कायाके व्यापार करनेवाली स्त्रीकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होती। अतएव कुछ स्थियां सरकारी अनुज्ञापत्रके साथ प्रकृत सार्वजनिक कायव्यापार करनेके बजाय निजी गुहाओंमें अपना स्वत्व रखते हुवे ऐसा व्यापार भी करती हैं समाजमें अपनी प्रतिष्ठा भी निभाना चाहती हैं। शास्त्रोंमें

भी अतएव निजगेहमें भवितभावपूर्वक अर्चनादि सुविधा जिन्हें नहीं उनकेलिये परार्थ देवालय और उनमें अर्चकोंको अर्चनाकी दिक्षिणा स्वीकारने और देनेकी अनुज्ञा दी ही है धार्मिक जातमें भी घोणपैदेशक गुरु आचार्योंकि जैसी इन अर्चकोंकी धार्मिक प्रतिष्ठा नहीं दिखातावी देती है। हम गुरुआई महाराजोंने भी अतएव निजी घरोंमें अपने आराध्यको परार्थ प्रतिष्ठापित सार्वजनिक देवालयस्थ भगवद्विग्रहकी तरह पधरनेके बजाय अपने स्वत्वके डिंडिमधोके साथ अपनी निजी आराधनाको आज्ञाविकाके रूपमें निभानेका जो छलप्रपञ्च किया है उसकी ही वकालत 'विमर्श' करना चाहता है।

अतः इसवी सन् १९५० में बरोडासे प्रकाशित परशुरामकल्पसूत्रके वचनको विमर्शकार —

"यस्तु भक्त्या प्रवल्नेन स्वयं समाधा चाखिलम्।  
साधनं चार्चयेद् विद्वान् स समग्रफलं लभेत्॥  
योऽर्चयेद् विधिवद् भक्त्या परानीतैश्च साधनैः।  
पूजाफलार्थैर्मैवास्य न समग्रफलं लभेत्॥"

इन वचनोंको इसी पृष्ठपर उद्भूत कर उसका समाधान यों प्रस्तुत करते हैं कि "शिर्योंका उस द्रव्यमें स्वत्व होता नहीं इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि गुरुघरोंमें ऐसे द्रव्यको पृथक् रखनेकी व्यवस्था नहीं होती, न है... अतएव गुरु उस द्रव्यको अपनी इच्छाके अनुसार विनियोग करते हैं" (विम.पु.सं.१३)। इस बारेमें परन्तु अनेक विकाराल प्रश्न खड़े हो जाते हैं।

सर्वप्रथम तो उल्लिखित श्लोकोंमें परानीत साधनोंसे अर्धफल मिलता है ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अर्चनसाधनोंको लानेवाले पपुरुषका अर्चनमें यदि आधा हिस्सा न हो तो विमर्शनीतिके अनुसार उन परानीत साधनोंको उपायनयत्या स्वीकार कर कोई भी अर्चक उन परानीत साधनोंमें, विमर्शोक्तदिदशाया, अपना पूर्ण स्वत्व स्थापित कर

पूर्ण फलका भागी क्यों नहीं बन सकता! इसके अलावा वहाँ 'विधिवद्' पद और 'भक्त्या' पद अतीव लक्ष्यमें रखने लायक हैं। अर्थात् ऐसे परानीत गौण साधनोंसे भी यथाकार्यात् अर्चनाको निभानेकी भवितव्यकी अनुज्ञा शास्त्रवचनसिद्ध होनेपर भी, है विहित होनेके कारण ही। अतएव तदनुसार ही अर्चको अर्धफल मिलता है, सो भी वह भवितभावपूर्वक किया गया पूजन हो तब ही। अर्थात् उससे अपनी आजीविकाका निवाह न करता तब ही। अन्यथा तो देवलकत्व ही आता है। यह हम विशेषधिनिकाके द्वितीय परिच्छेदमें प्रतिपादित कर ही चुके हैं।

पुष्टिभवित्वके अन्तर्गत तो प्रभुचरणकृत विषेध तथा उसके व्याख्याताओंद्वारा कृत व्याख्याओं यथा —

१. “वित्तं दत्त्वा अयेन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका,  
एतादुशेन पुंसा कृता च अपरा। एतादृश्यौ ते तत्साधिके  
न इति अभिप्रायज्ञापकं समस्तं पदम्。”

२. “नव यागो यजमानस्येव वित्तदातुः फलति इति शङ्क्यं,  
तत्र त्रित्यावरणादिवद् अत्र तद्यानदेः भवित्वमार्गो भगवता  
अनुकरत्वाद् अतः तथा न कार्यं किंतु भगवदुक्तरीत्येव  
कार्यम्。”

३. “‘उत्तरसेवा’=मानसी सेवा, ‘इतरे’=तुवित्तजे, ‘एका’  
इति विज्ञा इति अर्थः, ‘एतादुशेन’=वित्तग्रीजा पुरुषेण,  
‘अपरा’=तनुजा, ‘तत्साधिके’=फलरूपसेवासाधिके, तथाच  
एककर्तुकेव ते तत्साधिके इति फलितार्थः”

४. “तनुश्च वित्तञ्च तनुवित्ते ताम्भां जाताऽकृता स्वतः  
प्राप्तुर्द्वां वा तनुवित्तजा, द्वन्द्वान्ते श्रूयमानत्वात् तनुजा वित्तजा  
च तत्तिद्वौ ‘ते’=संसारनिवृत्तिः ब्रह्मोपनम्, ‘वस्तुत्वभावाद्’  
इति मानसीर्वूल्पस्वस्तुत्वभावात्, मानसीसेवासिद्धौ तनुवित्तजा।”

(१.सिद्धा.मुक्ता.विवृ.२. २.विवृ.प्रका. ३.विवृ.टिप्प.४.टिप्प.विवृ.).

द्वारा निराकृत होनेसे ऐसी सेवा अवैध ही मानी जायेगी। इस बारेमें सारे खुलासे विशेषधिनिकाके प्रथम परिच्छेदमें किये जा चुके हैं।

दूसरे प्रतिपक्षके वकीलको श्रीठाकुरजीकी भेटसेवाकी स्तीद क्यों दी गयी? क्या तथ्यप्रचारित षष्ठीटर्में पीठाधीशोंको जिती भी भेट आती है? उसे वे किस कार्यमें विनियोग करेंगे इसकी स्तीद दी जाती है? यदि नहीं तो केवल श्रीठाकुरजीकी स्तीद देनेका हेतु क्या था? अतः ऐसे द्रव्यका पृथक् रंखेकी व्यवस्था थी या नहीं, अथवा सम्प्रति है या नहीं, अथवा भावित्वमें रखी जायेगी या नहीं, ऐसी लचर बातोंको प्रमाण कैसे माना जा सकता है! वैसे स्वयं मैंने एक बार जिज्ञासार्थि किसी वैष्णवद्वारा सुतके समाधानीसे पुछवाया था कि श्रीठाकुरजीकी भेटकी स्तीद दी तो समाधानीने उस वैष्णवको कहा कि “ऐसा करनेसे सकारी लफड़ा होता है अतः बिना स्तीदके भेट जमा करी हो तो करा जाओ” इसकी रेकॉर्ड्स फैसेद् भी उसे मुझे ला कर दी है! इससे अधिक “मनस्यन्यद् वस्तुत्वन्यद् व्यवहारु पुनरन्यथा” का उदाहरण और क्या हो सकता है? ये सब तो खैर, विमर्शकारकी अपनी आजीविकासाम्बन्धी विवशता हो सकती हैं परन्तु इसे सिद्धान्तमें प्रमाणतया कैसे स्वीकारा जा सकता है?

वैसे इन सारी बातोंका विस्तृत विशेषण हम अपने अपनी द्वितीय विशेषधिनिकामें कर ही चुके हैं सो विस्तार अब यहाँ आवश्यक नहीं। परन्तु नाशिकमें उसे उपहारतया देने गये सज्जनको विमर्शकारने कहा था कि ‘विशेषधिनिका-अशुद्धिप्रदर्शन’ हम भी लिख कर प्रकाशित करवा देंगे परन्तु चातककी तरह उसकी प्रतीक्षा करनेके बाबजूद अभी तक वह मुझे मिला नहीं है। “कब देखो मेरी ओर? हम चितवत तुम चितवत नहि मेरे कम कठोर!”

[८]

इसके बाद क्रमानुरोधात् प्राप्त होता है स्वयं विमर्शकाद्वारा उद्भूत

श्रीगोकुलनाथजीके चौबीस वर्चनामूर्तमें जो कहा गया है उसकी संगतिका विचार कि वह विमर्शक साथ कैसे शक्य है ? “भगवद्सेवा है सो गोप्य है. सो कार्यसूत्रों जनावे नाहीं” कह कर “जो सेवा प्रकट करी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे तो वाकों ‘पाखंडा’ कहिये. सो ताकी सेवामें कुछ पुष्टिमार्गको फल नहीं और पाखण्ड करिवेवारेके हृदयमें लौकिक आवेश आवे सो लौकिक आवेशते बहिर्मुख होय. सेवामें प्रतिबन्ध पड़े. पाखण्डको मूल लोभ-भय है सो लोभ-भय छूटे तब पाखण्ड न होय. और लोभके लौकिकके लिये जगतमें पाखण्ड करत हैं, सो लोभी पाखण्ड होय. तातो अन्यायत्रय होय जाय. लोभके बशते ज्ञान-विवेक जाते रहें. लोभी-पाखण्डके हृदयमें श्रीठाकुरजी कबहुं न दियाजो. तातों भगवद्धर्थमें सेवा थोड़ी बने तो बाधक नहीं, सो थोड़े ही शुद्ध धर्मते याके सधरे कार्य सिद्ध होय जायें. और बहोत करे और पाखण्ड करे परन्तु पाखण्ड-लोभ ( ज्ञ. श्रीठाकुरजीकी प्राप्ति, भूति-प्रतिष्ठार्थ छप्पनभग. आदिके ब्रा-त्व आयोजन गो.श्या.म.) लौकिक आस्तित्वे भगवद्धर्मी न बहूँ. जिस सदाचारकी ज्ञानी दुहार्इ विमर्शकार देते हैं, उस सदाचारके इतिहासमें कपी न मनाये गये ऐसे श्रीयदुनाथजीके उत्सवोंका आयोजन भूतिप्रतिष्ठार्थ नहीं तो और क्या माना जा सकता है ? शृष्टीठाईशतया धोषित होनेको केवल नाथद्वारामें छप्पनभगा आयोजित किया गया था ( जिसके बाटे गये पचे प्रयाण हैं. गो.श्या.म.) अतः भूति-प्रतिष्ठाके बढ़ावेके लिये भगवत्सेवाको प्रचार नहीं करो चाहिये ( किसे ‘वैष्णववाणी’में पेम्पेटेट भेजे गये थे.गो.श्या.म.) “अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये भगवद्धर्मीन कराना उचित नहीं परन्तु लोगोंका उद्धार करनेके लिये दर्शन कराना उचित है” ( विम.पु.सं.१९९-२०१ )

वैसे हीकीकत तो यह है कि इन अक्षरोंको लिख रहा हूं उससे ठीक दो दिन पूर्व जामनारके एक वैष्णवबाई मुझे कह रहे थे “महाराजाश्रीनी पासे अडलक धन होवा छतांय, हूं मुंबई आवतो हतो तेथी पहेला दर्शन करवा गयो. त्वारे महाराजाश्रीए आज्ञा करी - ... भाइ ! अधिकमास आवी रह्यो छे ख्यालमां तों छे न ? ” हूं तो मारुं द्रव्य

प्रभुनी सेवामां विनियोग थाय ते मारुं सौभाग्य मानुं पण आटली अडलक सम्पत्ति होवा छतांय महाराजाश्रीने अमारा जेवा जीवो पासे मांगतुं पुढे ऐं ऐं कारण समजातुं नदी ” इससे सिद्ध होता है कि कीर्ति भी यदि मिलती होती तो अलौकिक न सही लौकिक लाभ कुछ न कुछ स्वीकारा जा सकता था. परन्तु लौकिक शोखमोजके लिये धन धन धन और धनके अलावा कोई भी कामना हम गोस्वामिओंके हृदयमें शेष बची हो ऐसा पुष्टिमार्गके अनुगमिओंको कमसे कम लगता नहीं है.

क्योंकि जनताके उद्धारके उदात् आशयसे भगवत्प्रदर्शन किया जाता होता तो धनलालसा छोड़ कर निजधनसे सारे अधिकमासके मनोरथ करके दर्शन खोले जा सकते थे !

विमर्शकार “येन केन प्रकारेण” कल्पका समाश्रयण करके कहते हैं “अनन्यशरण भगवद्धर्मत उत्तम वैष्णवोंको ऐश्वर्यके लिये पूजन करतेमें दोष नहीं है. वे वैष्णव वैतनके लिये देवकी पूजा न करे परन्तु रक्षा और पोषण के बिना देवकी पूजा न करें” ( विम.पु.सं.४५ ).

वैसे तो धनार्थ भगवत्सेवा गर्हितात्म दुख्यत्व है फिरभी जनता उसे भी क्षमा कर देती, यदि याचनापूर्वक न की जाती होती तो परन्तु स्वमुख समाधानी पेस्टेट अखबारोंमें विज्ञापन आदि द्वापर ‘सिद्धान्तरहस्य’ ग्रन्थपर प्रवचनका आयोजन करके सिद्धान्तरहस्य विज्ञासाके सामिक भावधरे भोले श्रवणाधियोंसे अन्तर्में अधिकमासमें निजाराय भगवत्स्वरूपके मनोरथोंको सम्बन्ध करने द्रव्ययाचामा कर ली जाती है. किन्तु गर्वम् अतः परम् !

## [३]

विमर्शकार( पृष्ठ : २०१ )ने जो “भक्तानां दैन्यनैवैकं हस्तितोषणकारण-

म्” के आदर्शकि अनुसार दैन्य रखते हुए जनताके उद्धारार्थ भगवत्प्रदर्शनकी रीति बताई है तो वहां यह प्रश्न उठता है कि इसी तरहका दैन्य रख कर वैष्णव जनता भी व्यावसायिक प्रदर्शनालाले मन्दिर व्यक्तिगतरूपेण या सार्वजनिक न्यासकी गतिविधिके रूपमें चलाये तो वहां नित्यनियमसे दर्शन रक्षण-पोषण करने क्यों गोस्वामिगण जाते नहीं? क्योंकि केवल हम गोस्वामिओंके दैन्यके पाषण्डसे यदि वैष्णव जनताका उद्धार हो सकता हो तो हमारी अनुगामी जनताके व्यावसायिक प्रतिनिधियोंके भी दैन्यके पाषण्डसे हम गोस्वामिओंका उद्धार क्यों नहीं हो पाता है? क्यों ऐसे मन्दिरोंमें हम दर्शन-भेट-सामग्री-मरोयोंके लिये दीड़ादीड़ नहीं करते? यदि कहा जाये कि गोस्वामिओंके पास तो उनके अपने ठाकुरजीकी सेवा रहती है तो जिन वैष्णवोंके पास उनके अपने ठाकुरजी विराजते हों उनको तो यह रहस्य कमसे कम समझा देना चाहिये। क्यों नहीं समझाया जाता? यदि गोस्वामिओंद्वारा किये जाते व्यावसायिक भगवत्सेवाके प्रदर्शनसे ही जनताके उद्धरका कोई सिद्धान्त हो तो अहंकार ही हमारा उजागर होता है, दैन्य नहीं:

इससे सिद्ध होता है :

“चित्तेन ( पद्यत्रिभ्वालालसा + वित्तलालसा ) दुष्टः वचसापि ( स्वमुखगतेन समाधानिमुखोतेन घेफ्टेनापि ) दुष्टः कायेन ( भगवत्सेवेत व्यावसायिक सार्वजनिक यज्ञायागादि भागवतसप्ताह व्रजयात्रा आदिना ) दुष्टः क्रियापि ( अस्वतनु-अस्ववित्त-जन्ययापि ) दुष्टः ज्ञानेन ( विमर्शसद्गु लेखन प्रकटसामर्थ्येन ) दुष्टः ( छेर जाने दो... ) कतिधा विचारेः! ” हम गोस्वामिओंका भक्तिमार्गसे अधिकापात तो भयंकर ही हुआ है.

यह सहज सम्भव है कि मेरे इस लेखनांशको अनेकानेक सौम्य पाठक निर्वैर सैद्धान्तिक आलोचनाके रूपमें स्वीकानेके बजाय रागद्वयप्रयुक्त व्यक्तिगत आलोचनाके रूपमें मेरे हृदयके वैयाकित रागद्वय असूया

मात्सर्य आदिके दुर्गुणोंका प्रमाण मानना चाहोगे। ऐसे मूल्यांकनसे मैं अवश्य ही सहमत भी हो जाता परन्तु विराशकाकी विचारशैलीका प्रतिविम्ब प्रकट करनेको मैं यह कहना चाहूँगा कि विराशकाकी व्यक्तित्वुद्धया आलोचना मानेपर यह व्यक्तिनिन्दाकी अक्षय दोषदृष्टि हो सकती है परन्तु अपसिद्धान्तके केवल एक क्षुद्र उदाहरणकी दृष्टिसे देखनेपर इसे व्यक्तिनिन्दा नहीं मानी जा सकती!

इस तरह मैं यदि प्रतियुक्ति दूँ तो क्या स्वयं विराशकार उसे मान्य रखें उचित होंगे? “यशोभयोः समो दोषः परिहाश्च ययोः समः.”

विराशकार एक और कहते हैं कि भावत्सेवाका प्रदर्शन जनताके उद्धारार्थ अनुमोदनीय है दूसरी ओर कहते हैं कि लाभपूर्ण भावत्सेवाप्रदर्शन अनुचित होता है। और तीसरी ओर यह भी स्वीकार लेते हैं कि भगवत्कृपया भगवत्सेवाप्रदर्शने लाभपूजा मिलती हो तो वह दोषरूप नहीं। यह तो बहुत भारी झांसेवाजी हो गयी! क्योंकि चोरी और विराशकार कृत्यर्थ तथा भूत्यर्थ भगवत्पूजनकी वकालत भी कला ही चाहते हैं। इससे अधिक वर्तोव्यापातका नमनाण्डव और क्या संभव होगा?

इस सन्दर्भमें अधिक तो क्या भक्तिमार्गाङ्गमार्ग योग्य भक्तिमार्गीकाके कुछ वचन ही हृदयके इर्दिंगद द्विरे दुराशयके तिमिरको निरस्त कर भक्तिस्पूरीत कमलके रूपमें हृदयको खिला सकते हैं :

वे वचन यों हैं:

(१) तस्य प्रसादेव दुर्लभः, प्रसन्ने न किञ्चिद अदुर्लभम्.  
यथा स्वर्य भोगे न कापि न्यूनता तथा तस्यापि.

(२) भक्तिश्च प्रेमपूर्विका सेवा. हेतुः फलानुसन्धानम्,

तद्रहिता अहैतुकी... या भक्तिः इति... ननु चौर्यादिना  
विषयान् समाप्ता भगवत्सेवाकरणम्.

- (३)लोकनिष्ठता भगवन्निष्ठता च पत्स्परं विरुद्धा.  
(४)साधवोहि महत् कर्म कृत्वा स्वयमेव तुष्णित ननु  
प्रत्युपकारम् अपेक्षान्ते.

- (५)धर्मकीर्तिविरोधे धर्मो रक्षणीयः इति सिद्धान्तः.  
(६)दुर्गं श्रीः अन्यगता शुद्धा कृष्णकत्त्वरा, कृष्णमेव  
ततो वाञ्छेद न श्रियं कुद्दिमान् क्वचित्.  
[स्मृति:(३)१३१०, २११३. सुलो.(१०)८५६, २१२२, ज्ञ०३, ८५९]

स्पष्ट है आजके हम पुष्टिमार्गाचार्यवंशजोंको भगवत्प्रसादपर अविश्वास हो गया है। हमारे भीतर भगवान् विष्णुके बजाय भगवत्पतली श्रीकी लालसा इतनी प्रबल है कि लक्ष्मीपतिके बजाय लक्ष्मीवाहन अधिक प्यारे लाते हैं। अतएव महाप्रभु कहते हैं कि भगवत्प्रसाद प्राप्त होनेपर कुछ दुर्लभ नहीं पल्टु हमें तो प्रसादकर्ता प्रभुके साक्षात् स्वरूप हस्तगत हो जानेपर भी उनके सार्वजनिक व्यावसायिक प्रदर्शनद्वारा जनताके उद्घाटकी तथाकथित उदात्त भावनाके साथ वृत्त्यर्थ-भूर्यर्थ भगवदाराधन करना न केवल अन्तर्मनमें सुहाता है परन्तु प्रकटवाणी द्वारा उसकी वक्तालतमें लज्जाका अनुभव भी हमें नहीं होता। क्योंकि हमने भक्तिको आज अपनी आवाजिकाके रूपमें अपना लिया है सो हमारी भक्ति अहैतुकी भक्ति ही नहीं रह गई है। अतएव हमारे सेवाप्रभुकी सेवा हमारी भगवन्निष्ठा न हो कर जनताके उद्घाटारा अर्थोपार्जनकी लौकिक निष्ठा है। अतएव सामान्य साधुजन जहां, महाप्रभुके अनुसार, प्रत्युपकरकी अपेक्षा नहीं रखता, वहां अहैतुकी भक्तिके उपदेष्टा आचार्यके वंशज होनेके बावजूद हम भगवत्सेवा प्रदर्शनद्वारा हमारी आजीविका वृत्ति तथा समृद्धि की अवान्त लालसाका संवरण नहीं कर पाते हैं। किम् आशर्चर्यम् अतः पत्! निष्कर्षतया हमारे मूलपुरुष मूलचार्य महाप्रभु जिसे 'दृष्टा

श्री' कहते हैं वही आज रावणके जैसे आमुरी भावोंसे ग्रस्त हो जानेसे हमें अधिक प्रिय लग रही है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है।

[च]

विमर्शकानें या तो एक निस्तुरोज्यानुयोग किया है या सम्भावित पूर्वपक्षकी भीतिके बशं एक लचर शंका-समाधान ये प्रस्तुत किये हैं :

"पूर्वोदाहृत श्रीगोकुलनाथजीके 'भगवत्सेवा है सो काहूर्यों जनावे नहीं' विधानका पूर्वपक्षियोंने तात्पर्यार्थ जिस स्थानमें भगवत्सेवा कलेपर कोइँ जान न सके ऐसे गुप्त स्थानमें भगवत्सेवा करनी चाहिये।"

इसके उत्तरपक्षतया विमर्शकाने प्रश्न भी उठाया है :

"तब श्रीमहाप्रभुजी एवं श्रीगुसार्ङ्गजी के समय ऐसा स्थल क्यों नहीं चुना गया जिससे भगवत्सेवा पूर्णरूपसे गुप्त ही रह जाय। तब लोग श्रीमहाप्रभुजी आदिकी आज्ञा प्राप्त होनेपर दर्शनार्थ कैसे आते थे?"

(विम.पृ.सं.२०२)

वैसे इस विषयमें ऐतिहासिक तथ्य यह तो है ही कि भगवत्सेवार्थ महाप्रभुके द्वारा काशी/प्रयागके बजाय अड़ैलको निवासस्थलके रूपमें उनना तथा प्रभुचरणद्वारा ब्रजमें बुद्धावनादि जैसे अतिप्रसिद्ध स्थलोंके बजाय अल्पप्रसिद्ध गोकुलको निवासार्थ चुना, हम आधुनिक उनके वंशजोंकी मनोवृत्तिसे सर्वथ विपरीत ही था। क्योंकि जैसा कि भगवद्गीतामें भक्तके निवासस्थलके बारेमें निर्देशन मिलता है "मयि चानवयोगेन भक्तिर् अव्यविचारणी विवक्षिदेशसेवित्वम् अरतिर् जनसंसदि" (भग.गीता-१३।१०) तथा नारदभक्तिसूत्रगत "...कः तरति? यः सङ्गं त्यजति

यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति. यो विविक्तस्थानं सेवते...”  
 (नार.भ.मू.४६-४७) तदनुसारा ये पितापुत्र तो भक्तिमार्गपर्वतके आचार्य होनेसे पूर्ण निष्ठाके साथ भक्तिको अपना करके ही भगवत्याचारका उपदेश देते थे. जबकि हम आ़ुनिक गोस्वामी भक्तिमार्गपर्देशक होनेके बजाय सेवाभक्तिप्रदर्शक बनना अधिक पसन्द करते हैं. अतएव विविक्तदेश हमें भगवत्सेवार्थ सुहाते नहीं हैं. प्रायः पुष्टिमार्गीय हवेली गामके बजारावाले भीड़भाड़भेर मुहल्लेमें होती है ताकि बनियोंको दुकानदारी और दर्शन का लाभ एकहेलगा मिलता रहे।

वैसे पुष्टिमार्गीय सैद्धान्तिक आवश्यकता किसी गुप्त स्थलमें सेवा करनेके बजाय अपने भावात्मक भगवत्स्वरूप और भगवत्सेवा को गुप्त स्थलनेकी है. यह विषयवाक्योंके शुद्ध हृदयसे अवलोकन करनेपर सुस्पष्ट ही है.

आचार्यचरण तथा प्रभुचरण के दर्शनार्थ जो अनुयायी अडैल या गोकुल आते थे, उन्हें अपने आराध्य विग्रहकी सेवाराधनके प्रदर्शनार्थ समाधानी या पेफ्लेट के प्राचीनरूप ‘पत्रावलम्बन’ द्वारा आमन्त्रित नहीं किया जाता था. स्वगृहागत स्वीय भक्तोंको अपने सेव्यप्रस्तुके दर्शनकी अनुज्ञा, जैसे आज भी अनेकानेक वैष्णव भगवदीय जो स्वगृहमें भगवत्सेवा निभाते हैं, देते ही हैं. यह किन्तु वे अपने सेव्यस्वरूपकी सेवाके प्रदर्शनार्थ समाचारपत्रोंमें विज्ञापन दे कर या पेफ्लेट छपवा कर या समाधानी भेज कर परिचित-अपरिचित सभीको आमन्त्रित नहीं करते. उनका परिचित भगवदीय कोई घरमें आये तो दर्शन भी करा देते हैं.

क्या कारण कि आम पुष्टिमार्गीय भगवदीय अपनी स्वगृहस्थित भगवत्स्वरूपकी सेवाके प्रदर्शनार्थ दर्शनार्थीओंके उद्धारकी भावानाका बहना नहीं बनाते? प्रश्नके उत्तरतया केवल एक ही तथ्य उजागर होता

है कि उनकी भगवत्सेवाको वे आजीविकोपार्जनके रूपमें नहीं निभाते हैं, विशुद्ध भगवत्सुधार्थ भक्तिके रूपमें ही निभाते हैं. अतएव उनके ठाकुरजीकी सेवामें मनोरथ उनके भक्तिभावपूर्ण होते हैं, जबकि हम वल्लभवास्त्रजोंके अपने सेव्यस्वरूपके मनोरथ धनलालसाके नौ थोड़े प्रदर्शन केवल रह गये हैं.

विमर्शकार प्रश्नानुभ्वर कर रहे हैं कि “महाप्रसुतीकी आजासे दर्शनार्थी कैसे आते थे?” परन्तु यह प्रश्न खड़ा नहीं होता. क्योंकि उन्हें दर्शनार्थी आमन्त्रित नहीं किया जाता था आये हुवोंको दर्शनिकी अनुमति दी जाती थी. पितापुत्रोंमें इतनी भक्तिमार्गीय सामर्थ्य थी कि सेवाके दर्शन करते ही बहुधा उनके सेवकोंको सामुदाय रिंद हो जाता था. जबकि हम इतने असमर्थ हैं कि अपने सेव्यस्वरूपकी सेवाका प्रदर्शन न करें तो अधिकांश जनता हमारे मूँह देखा भी नहीं चाहेगी. अतएव द्रव्यसंग्रहकी अदम्य लालसाके विवश हमें कंठी भी कोई पहने या न पहने ऐसे, पुष्टिमार्गीय निषाशीत वैष्णवके बजाय प्रायः निषाशीत धनिकोंको ट्रस्टी बनाना पड़ता है! हमारे स्वरूपका गुणान एक पदमें इस तरह मिलता है :

परिचयवर्यं चयच्यतुराचारः ॥

धनिकवणिज्ञनकुसुमपृष्ठपातिदिशितविधिविकारः ॥१॥

शासनजनञ्जनविगलितमतिचातुर्वचनशृंगारः ॥

कलैकदेशविद्युधाप्रतिखण्डितखण्डितगरिवहारः ॥२॥

अतएव हमारी तो यह दुर्लिंग हुई है कि वैदिक कामिनामें भी वर्णाश्रमबाह्य मुसलमान कलेक्टर यदि उपस्थित न हो पाये तो हमें कर्मविगृण लगता है!

अतः प्राचीन आचार्योंकी प्रयोजननुद्धि और हमारी प्रयोजनबुद्धि

में आकाशपातालका अन्तर है। प्राचीन आचार्य जिस प्रयोजनवश स्वगृहमें सेवा करते थे उसमें स्वीयभक्तोंके अलावा अन्य किसीको दर्शन करनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। अतः जिन वाताओंके उद्धरणोंका तामाज्ञाम विमर्शकाने खड़ा किया है, वह तो एक पूँक मानेपर उड़ जानेवाला हल्का तामाज्ञाम है। क्योंकि जिनको महाप्रभु प्रभुचरणने स्वगृहस्थित स्वेष्यप्रभुके दर्शन कराये थे, वे सभी उनकी पैरी दिव्यदृष्टिये बाबर जाने-पहचाने स्वीय भक्त होंगे ही। उनके तो चरणोदक्षप्रदान या दीक्षाप्रदान में भी इनी सामर्थ्य थी कि लेते ही उनके सेवकोंमें मानसी सेवा भी सिद्ध हो जाती थी। हमारी इसके विपरीत ऐसी शोचायी दुखस्था है कि हमें यह स्वीकारेमें भी लज्जा नहीं आती कि वैष्णवोंसे वित्तां सेवा कर हम तुजा सेवा करते हैं तो ऐसी सेवा 'क्षीरकारणसमाझी'यायेन मानसीकी साधिका न भी हो तब भी उसे निषिद्ध नहीं माना जा सकता!( द्रष्टव्य : विम.पृ.सं.९२-९३)।

वैसे तो हकीकत एक यही है कि मतभेद प्राचीन व्याख्याकारोंमें भी होते थे कि भगवत्संघोग परमफल है या भगवदिप्रियोग; परन्तु, आद्य श्रीवल्लभ और हम आधुनिक वाल्लभों के बीच मतभेदकी ऐखाको स्पष्ट करना हो तो केवल एकही बात धूम फिर कर सामने आती है कि भगवत्सेवाके प्रदर्शनद्वारा जनतासे द्रव्य लिया जा सकता है या नहीं? इस तरही जग्यकोटीके मतभेदोंमें उलझी हमारी सामर्थ्यके बश हम दर्शनार्थी जनताकी उदाहरणके मानोवृति या मनोग्रन्थि रखते हों तो हमसे अधिक आत्मसमूढ़ विश्वमें और कौन होगा?

प्राचीन वाल्लभ उपदेश था:

अनं सर्वात्मना त्याज्यं तच्छेत् त्यक्तुं न शक्यते।  
कृष्णार्थं तत्पुञ्जीत कृष्णोऽनर्थस्य वारकः॥

हम आधुनिक वाल्लभवंशजोंका मनोभाव इसके विपरीत ऐसा

बन गया है :

अनं सर्वात्मना प्राहृचं गुहीतुं चेन शक्यते।  
'सेवा'नामातु गृहणीयाद् अर्थोऽनर्थनिवारकः॥

इसलिये अर्वाचीन प्रयोजन दर्शनार्थिजोद्दासरे पहले हम गोस्वामिओंके हमारा उदाहरण कैसे होगा इसका मार्गदर्शन श्रीहरिराधरचरणके इन शब्दोंमें खोजना चाहिये :

तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वथर्मतः।  
न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठाप्रसिद्धये॥  
श्रीमदाचार्यमार्गेण नायेनापि कदाचन।  
न कल्पितप्रकारेण न दुर्भावसमन्वयात्॥

निष्कर्षतया जैसे कि प्रभुचरणकी सुस्पष्ट शब्दोंमें आज्ञा मिलती ही है :

(१) "कृष्णासेवा" इति फलात्मकनामोक्तस्य स्वतःपुरुषार्थ-  
त्वेन सेवाकृतिः स्वसिद्धान्तो ननु अन्यशेषत्वेन।"  
(सिद्धा.मुकुटा.विवृ.१).

(२) "भगवत्स्वरूपतिरिक्तफलके कर्मणि ज्ञाने त्रा न  
भक्तित्वं भक्ती च न स्वल्पपातिरिक्तफलकत्वम्... नच  
'माप्' इति पदेन पूजायाऽपि विषयः पुरुषोत्तमएव इति  
वाच्यं विभूतिरूपस्यापि भगवद्पूत्वात् तथा उक्तम्...  
अन्यफलाद्यनुसन्धानाहित्यपूर्वकं भगवद्भावनायां क्रियमाणायां  
पुरुषोत्तमायेऽपि अन्तःकरणे पूज्ये च भवति..., तदापि  
अथार्थिष्यः कृतः चेत् तदा तथा (कर्मणार्गात्), वृत्त्यर्थं  
चेत् कृषिवद् लौकिकात्व, शौचार्थिग्रास्यर्थवत् च. नहि  
तस्य मलनिवृत्तरिक्तो धर्मः उत्पद्यते प्रत्युत निषिद्धाचरणात्

पापमणि।

( भक्तिरहस्य )

अतः जनोद्धारके छव्यमें वित्तोपार्जनार्थ की जाती भगवत्सेवा अन्यथेष्टया अनुष्ठित होनेसे शुद्ध अपसिद्धान्तरूपा ही नहीं प्रत्युत पापाचरण ही सिद्ध होती है। चित्रमहाकविकी कथा तो लोकविलक्षणा मानी जा सकती है परन्तु प्रातःस्मरणीय श्रीगोविन्दरायजी सदृश आदर्श व्यक्तिके द्वारा सुपाठित उनके आत्मज विमर्शकारद्वारा वृथ्यथ प्रतिष्ठार्थ भगवत्सेवाकी वकालत वस्तुतः पुष्टिस्मृदायकेतिये सामुदायिक लज्जाका विषय है, सिर नीचा हो जाता है कि क्या मूँह ले कर अब किसीको पुष्टिभक्ति मर्यादाभक्ति प्रवाहभक्ति और पापाचरण के बीच रही भेदेखा समझानी।

वैसे जनोद्धारार्थ या वित्तोपार्जनार्थ ये दोनों अलग-अलग प्रयोजन हैं परन्तु चित्रमहाकवि, जैसे अधिकार्येदवश स्वीकारते हैं, वैसे ही विमर्शकार प्रकरणभेदशः दोनोंको स्वीकारते तो हैं ही फिर दोनोंका एकवद्वावद्वारा निरुपण दोषावह नहीं माना जा सकता ( द्रष्टव्य : विम.पृ.सं.-४५ तथा २०१ )।

### इस समग्र विषयकी संग्रहकारिका

लोकार्थी तु भजन् कृष्णं विलष्टा भवति सर्वथा ॥

जीविकार्थी भजन् कृष्णं भवेद् देवलकोऽसुधिः ॥१॥

लोकार्थित्वं जीविकार्थित्वं च गृह्णेऽप्रोजने ॥

सेवा नहींदुर्गी कायां पुष्टिमार्गानुगामिभिः ॥२॥

कृष्णो हि साधनं भक्ती भक्तिः कृष्णो हि साधनम् ॥

तात्पात्रामन्यस्तु यद् किञ्चित् न फलं नापि साधनम् ॥३॥

फलसाधनयोः स्थाने एतदभिन्ने प्रकल्पिते ॥

न सा भक्तिः पुष्टिभक्तिः कृष्णः पुष्टिप्रभूनवा ॥४॥

जनतोऽद्वृत्ये तस्मात् सेवायास्तु प्रदर्शनम् ॥

कल्पितो हि प्रकारोऽयं मार्गे दुर्भावयोगतः ॥५॥

शिक्षाश्लोकमां हि “लोकार्थी...” कारिकाविवृतावपि ॥

आचार्याणां स्फुटभिप्रायान्म जनतोऽद्वृतिः ॥६॥

सेवाप्रयोजनवेन वक्तुं शक्या कथञ्चन ॥

ननु प्रयोजनं नैतत् सेवायामानुरंगिकी ॥७॥

प्रवृत्तिरेणा मनव्यति देव न तथा भवेत् ॥

नियतनियता वैति प्रवृत्तिहर्चनुरंगिकी ॥८॥

आद्ये सर्वेः कुतो नैवद् अनुष्ठानं प्रदर्शयेति ॥

सर्वे न ऊदो शस्मात् सर्वेः कर्तुं न शक्यते ॥९॥

गुर्वभावस्य कल्पेतु “तादृशाश्चेन् मिलन्ति हि ॥

प्रकाराणेऽतु प्रष्टव्यः सेवायाः” श्वेति वाक्यतः ॥१०॥

अन्येवामधिकारेऽपि हानिर्वैवास्ति काचन ॥

स्वाच्छन्द्यान्मालितोपस्य शंका देव वंशजैति ॥११॥

स्वाच्छन्द्यादेव मार्गोऽयं लुप्तप्रायः कुतोऽधुता ॥

तस्माद् यद् हरिरायेषु शिक्षापत्रे निरूपितम् ॥१२॥

विस्मर्तव्यं न केवलि हर्येतन्मार्गानुगामिना ॥१३॥

तस्य सेवां प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मिः ॥

न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठाप्रसिद्धये ॥१४॥

श्रीमद्बाचार्यमार्गेण नान्येवापि कदाचन ॥

न कल्पितप्रकारेण न दुर्भावसमन्वयात् ॥१५॥

इति श्रीमद्बाचार्यमिदीक्षितात्मजेन श्याममनोहेण विरचिता

‘सेवाप्रयोजन’ शीषकान्तर्गतसंकलितविषयवाक्यविचारो

‘विमर्शं’ विशेषधनिका



‘सेवोपदेशदीक्षा’ तथा ‘सेवोपदेशा’ शीर्षकान्तर्गत  
संकलित  
विषयवाक्यविचारमूलक  
विशेषधन

(विषयवाक्य)

(क) परम् अत्र न सर्वेषां फलमुखाधिकाः किञ्चु  
येषु भगवत्कृपा, कृपापरिज्ञाने च मार्गार्थ्यते.  
तत्र आहितः साधनानि आह—कृष्णसेवारं वीक्ष्य  
दम्भादिरिहतं नरं, श्रीभगवत्तत्त्वज्ञं भजेद् जिज्ञासुः आदरात्  
(त.दी.नि.का.२१२७).

‘कृष्णसेवापरम्’ इति, योहि गुरुः सेवाम् उपदेश्यति  
स स्वयं चेत् तां उत्तमां जानीयात्, तदा कथं स्वयं  
न कुर्यादिवि सेवापरएव गुरुः। तत्रापि निमित्तानि बारयति  
‘दम्भादिरिहतम्’ इति। सेवाच प्रमाणमूलैव पुरुषार्थपर्वत्वसा-  
दिनी। अन्यथा मनसि अन्यद् विश्या अन्यथा करो न  
फलसिद्धिः इति अभिप्रायेण आह ‘श्रीभगवत्तत्त्वज्ञम्’ इति।  
‘जिज्ञासुः’ नतु कौतूकाद्याविट्ठः। ‘भजेन्त’ सर्वभावेन, तदा  
तदुक्तप्रकारेण भगवत्सेवा कर्तव्या (त.दी.नि.प्रका.२१२७).

‘वीक्ष्य’ इत्यनेन मार्गान्तराद् अत्र वैलक्षण्यं ज्ञापितम्.  
“‘इक्ष’ दर्शनाङ्कनयोः”, “विना च सम्यक्त्वं परीक्षणे  
द्योत्यते, तथाच तन्ने “‘गुरुः परीक्षेत् शिष्यम्’” इति वाच्यात्  
शिष्यो यथा परीक्षयते तथा अत्र गुरुः नोचेद् अतादृशस्य  
लोकानुगतपशुरूपतावात्, तादृगो अनुसरणे अन्यानुगान्धवद्  
उभापि पतेताम्, एतदर्थमेव जलमेदग्रन्थकरणं ज्ञेयम्... तेन  
ब्रह्मसम्बन्धोऽपि फलमुद्धा तस्येव इति सिद्धद्वयति। एवम्

अधिकारसूचनेन अनधिकार्यपि व्यावर्तितः (त.दी.नि.आव.२-  
१२७).

(क) यह मार्ग, परन्तु, फलदायक ही सिद्ध हो ऐसा  
अधिकार सभीका नहीं होता। वह तो जिनपर भगवत्कृपा  
हो उन्हींके लिए फलदायक बन पाता है। किसी व्यक्तिपर  
भगवत्कृपा है कि नहीं इसका निर्णय उस व्यक्तिको,  
भगवत्कृपैकलभ्य भवितमार्ग या प्रपत्तिमार्ग में रुचि है  
या नहीं, इस कसोटीपर उसे जाँचनेपर ही निश्चित हो  
पाता है।

अतः जिनपर भगवत्कृपा रहती है उनके प्रारम्भिक  
साधनोंका निरूपण करते हैं—

कोई पुरुष कृष्णसेवामें परायण है कि नहीं, दम्भादि  
दुर्गांगेसे रहित है कि नहीं; और श्रीमद्भगवत्पुराणके  
मर्मका विज्ञ है कि नहीं, यह सर्वप्रथम देखना चाहिये  
और तभी किसी जिज्ञासुको ऐसे व्यक्तिमें गुरुबुद्धि रख  
कर उसके पास जाना चाहिये।

जिसे गुरुकी हैसियतमें भगवत्सेवाका उपदेश देना है  
वह स्वयं भगवत्सेवाको उत्तम मानता हो तो स्वयं भी  
भगवत्सेवा करो नहीं करेगा? अतः गुरु तो कृष्णसेवामें  
परायण ही होना चाहिये। कृष्णसेवा भवित्वावेके अलावा  
अन्य किसी भी निमित्त (दध-काम-लोध-प्रतिष्ठा)के वश  
की जाती नहीं होनी चाहिये। अतः गुरुका दम्भादि दुर्गांगेसे  
रहित होना दूरी शर्त है, यह सेवाभी जब यथोपदिष्ट  
प्राप्तिग्राहक हो तभी पुरुषार्थमें पर्याप्ति हो सकती है।  
अन्यथा, बुद्धि या हृदय में कुछ और विचार या भाव  
रखकर, जब कोई सेवा करने प्रवृत्त होता है तो वह  
सेवा सफल नहीं हो पाती। अतः गुरुका श्रीभगवत्का  
तत्त्वज्ञ होना भी आवश्यक है। ऐसे गुरुको खोजनेवाला

व्यक्ति जिजासु होना चाहिये, केवल कौतुक आदि भावोंवाली मनोवृत्तिवाला नहीं। गुरुके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे तब सर्वभावपूर्वक सेवामें प्रवृत्त हो जाना भजनका सच्चा प्रकार है (त.दी.नि.का.प्रका.१२२७)।

मूलकारिकामें ‘वीक्ष्य’ पदका प्रयोग किया गया है, इससे अपने मार्गाका अन्य मार्गसे कुछ वैलक्षण्य सिद्ध करना अभीष्ट है। ‘ईक्ष’का अर्थ होता है: ‘देखना’ या ‘अंकित करना’. उसके साथ ‘वि’उपसर्ग जोड़ेपर यह अर्थ बनता है कि किसी व्यक्तिको गुरु बनानेसे पहले उसका भलीभांति परीक्षण कर लेना चाहिये। तन्त्रशास्त्रमें जैसे शिष्यकी परीक्षा करनेका नियम है वैसे ही यहां गुरुकी परीक्षाका नियम है। अन्यथा जिस पुरुषमें उल्लिखित लक्षण न मिलते हों उसे लोकानुग्रात पशु समझना चाहिये। ऐसे पशुका अनुसरण करनेपर एक अंधा दूसे अंधेका अनुसरण करता हो जायेगा। और एक दिन दोनों ही, एक-दूसोंके कारण, एकसाथ ही गिर पड़ेंगे, जब भी एक जन गिर तब! श्रीमहाप्रभुने गुरुके परीक्षणार्थी ही ‘जलभेद’ग्रन्थ प्रकट किया है... इन सारी बातोंकी सावधानी रखेनेपर ही ब्रह्मसम्बन्धीक्षा सफल होती है। इस तरह ब्रह्मसम्बन्धकीं दीक्षा प्रदान कर पानेवाला अधिकारी कौन हो सकता है यह सूचित करके श्रीमहाप्रभुजीने यह भी समझा दिया है कि ब्रह्मसम्बन्धीक्षा कैसे व्यक्तिसे नहीं लेनी चाहिये (त.दी.नि.आव.१२२७)।

(ख) याहात्म्यापानयैव श्रवणं गुणकरणं, शास्त्राणाम् उपर्योगोऽत्र तत्राकाङ्क्षा गुरुरेव भवेत्, कृष्णसेवापरं वीक्ष्य दम्भादिरहितं नरं, श्रीभावावततत्त्वज्ञं भजेद् जिजासुरादाद्, देहद्वेष्या वियासूनां परं पारं भवामुद्योः, गुणाणं कर्णधरेण उत्तरार्थं स्वोपदेशतः (साधनदीपिका : १-११)

(ख) भगवन्माहात्म्यज्ञानकी प्राप्तिके लिये भगवद्गुणों एवं भगवलीताओं का श्रवण आवश्यक होता है। शास्त्रोंकी उपर्योगिता भी वहीं है और अतएव गुरुकी भी अपेक्षा रहती है। अतः कृष्णसेवामें परायण, दम्भादि दुर्गांओंसे रहित; और श्रीभावावतके यर्मज्ज होनेके रूपमें भलीभांति जान लेनेके बाद ही जिजासुको किसी पुरुषको आदरसहित गुरु बना कर उसकी आज्ञाके अनुसार भगवद्भजनमें प्रवृत्त होना चाहिये। स्वदेहकी डोंगीसे भवसामाको पार कर लेनेकी इच्छा रखनेवालोंका कर्षण्डार बनकर गुरुको अपने सदुदेशद्वारा (न कि सेवाप्रदर्शन या सेवार्थ वित्तग्रहण द्वारा) उन्हें पार लगाना चाहिये (सा.दी.१-११)।

(ग) क्षेत्रप्रविष्टाते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः (जलमेव : ४). ननु ब्रह्मवैरं श्रीकृष्णजन्मदण्डे “कल्याणसूक्तसामानि होरार्थमिकमङ्गलं कुर्वन्ति विक्रियं वे वै तेषां भारेण पीडिता” इति ब्रह्माणं प्रति पृथिवीवाक्यात्, “मनाचविकीर्णि विप्रो नहि मुकुतो भवेद् धूवं मृतुकाले च मन्नामसमृतियात् न विद्यते” इति श्रीनन्दं प्रति भगवद्ब्राह्मणात् च नामविक्रियस्य दोषेष्व शिष्येष्यो भगवान्नामोपदेशस्यापि दोषत्वापत्तिः, तत्र शिष्योपदौ-कित्तग्रहणेन नामविक्रियसम्भवाद् इति चेत्, सत्यम्, तथापि गुरुत्वस्य साहजिकाब्राह्मणवृत्तिरेन अत्याज्यत्वात्... एवज्य यत् प्रभुचरणीः उक्तं “विचार्यं च सदा देयं कृष्णानम् विशेषतो अविचारितदानेन स्वयं दाता विनश्यति” इति, तत्रापि स्वस्य शिष्येष्य च उद्धरं विचार्यं देयम्, लोभाद् अविचारित दानेतु नामविक्रियापत्त्या दाता स्वयम् अपारथभाग् भवति इति अर्थोऽज्ञा: (श्रीपुरुषोत्तम-कृत-विवृतिः ४).

(ग) घर-गृहस्थीके निर्वाहार्थं भगवद्गुणगान करनेवालोंके मुखसे सुनी हुई भावत्कथा संसारासाक्तिको बढ़ानेवाली

होती है (ज.भे.का.४).

यहां एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मवैरपुरुषाणके श्रीकृष्णाजन्मधंडमें “कल्याणसूतसामानि होरामिकपङ्गलं कुर्वन्ति विक्रयं ये वै तेषां भरेण पीडितां” इस ब्रह्माजीको कहे गये पृथ्यके वचनके आधारपर; तथा “मनामविक्री विप्रो नहि मुको भवेद् श्वरं मूल्यकाले च मनामस्युतिमां न विद्यते” श्रीनंदको कहे गये इस भगवद्वचनके आधारपर भी, भगवन्नामके विक्रयको दोषरूप माना गया है. ऐसी स्थितिमें गुरुभेट धनेवाले शिष्यको भी भगवन्नामोपेश दोषरूप सिद्ध हो जायेगा. क्योंकि शिष्यद्वारा रखी गई भेटको भी स्वीकारना एक तरहसे नामविक्रय तो हुवा ही न! यह बात तो ठीक ही है फिरभी गुरुत्व ब्राह्मणोंकी सहज एवं शास्त्रानुमोदित वृत्ति है, अतः उसे त्यज्य नहीं मानी जा सकती... इसी तरह जो बात प्रभुचरणने कही है “पात्राप्राक्त्रा विचार करके ही दान करना चाहिये, श्रीकृष्णके नामके दानमें तो इसकी आवश्यकता और अधिक है, क्योंकि बिना विचारे उसका दान करनेपर स्वयं नामदान करनेवालेका ही विनाश हो जाता है”. अतः अपने और शिष्यके उद्धारकी केवल भावनाके वश नामदीक्षा प्रदान करनेपर दोष नहीं लगता. अन्यथा लोभके कारण पात्राप्राक्त्रके विचार किये बिना नामदीक्षा प्रदान करना एक प्रकारका नामविक्रय ही है, जिसके कारण दीक्षादाता उसके विक्रयका अपराधी बन जाता है (श्रीपुरुषोत्तमजीकृत ज.भे.वि.४).

(घ)सच दुर्लभगति तेनापि वक्तव्यप्रकास्य आह—

तदभावे स्वयं वापि मूर्ति कृत्वा हरे: कवचित्, परिचर्या सदा कुर्यात् तद्रूपं तत्रच स्थितम्.

‘तदभावे’ इति. ‘कवचित्’ देशविशेषे सत्यरिपन्निनाम्

अभावयुक्ते, ‘हरे: मूर्ति कृत्वा’ भजेत् अयमेव अस्य मार्गास्थ प्रकारः उत्तमा यत् मूर्तीं कृतं सर्वं भावाति कृतं भवति (त.दी.नि.का.प्रका.२१२८).

नु अत्र मूलएव कुठारपातः इति आकाङ्क्षायां कलैः बलिष्ठत्वेन अप्रिमेषु गुरुलक्षणाभावम् आलोच्य स्वस्मिन्नेव एतन्मार्गार्यागुरुत्वं नियच्छन्त आहुः ‘सच’ इत्यादि. ‘तदभावे’ इत्याद्यापाननद् इदं ज्ञात्वा कणे “यस्त्विच्छया कृतः पुण्याभासो ह्यात्रभावो पृथग्” इति आभासत्वाभावः सेवायाः; तुतीयस्कन्दोक्त-मीडचापावः च सेवाकर्तुः साधितः. स्वप्रमेव सेवाकरणेऽपि प्रकारविशेषसन्नेहे तादृशा यदि मिलन्ति तदा प्रकारांशे प्रष्टव्याः इत्यपि सूचितम् (त.दी.नि.प्र.आ.२१२८).

(घ)ऐसा गुरु तो बड़ी कठिनाई ही है. मिल सकता है. अतः कभी न मिलनेपर कथा करना चाहिये, यह अब दिखलाया जा रहा है : ऐसे गुरुके न मिलनेपर भगवान्नकी मूर्तिको अपना आपाद्य बनाकर उसकी परिवर्या-भजन तो सदा करना ही चाहिये. क्योंकि मूर्तिमें भगवान्नके रूप एवं सत्त्व दोनों ही विद्ययान होते हैं. किसी ऐसे देशमें कि जहाँ सज्जनोंसे दुर्बल्हवार करनेवाले लोग न रहते हों, हारौकी मूर्तिको (अपना आराध्य) बनाकर भजन कर लेना चाहिये. भजनका यही प्रकार ऐसी अवस्थामें इस मार्गमें उत्तम है. जो-जैसा कुछ भगवन्मूर्तिके लिये किया जाता है उसे साक्षात् भगवदाराधन ही समझ लेना चाहिये (त.दी.नि.का.प्र.२१२८).

यहां एक ऐसी शंका उठती है कि ऐसे इस गुरुलक्षणके कारण तो इस बातके मूलपर ही कुठराघात हो जाता है. अतः जैसा गुरु श्रीमहाप्रभुके अनुसार इस मार्गमें अपेक्षित है वैसे लक्षणवाला व्यक्ति आगे चलकर कलियुगके बलवान् होनेके कारण उपलब्ध न होता हो तो क्या

कला चाहिये? इस समस्याके समाधानरूपेण श्रीभगवाप्रभु एतन्मार्गं गुरुव स्वयमें ही प्रस्थापित करते हुवे कहते हैं कि उपरिनिर्दिष्ट लक्षणयुक्त गुरुके न मिलनेपर स्वयमेव भगवत्सेवामें प्रवृत्त हो जाना चाहिये। इस तरहकी श्रीभगवाप्रभुकी ही आज्ञा है, ऐसे शिरोधार्य करनी ही चाहिये, ऐसी भावान रखते हुवे जो स्वयं ही भगवत्सेवामें प्रवृत्त हो जाता है, उसके द्वारा की जाती भगवत्सेवामें “शस्त्रिवच्छया कृतः पुणिभासां ह्यश्चामात् पृथक्” इस वचनमें निर्दित धर्माभासता या पाषण्ड का आरोप नहीं लगता; और इसी तरह तृतीयस्कंधमें निर्दित मूर्ताका आरोप भी ऐसी भगवत्सेवा करनेवालेपर लग नहीं सकता। स्वयं ही सेवामें प्रवृत्त होनेपर भी भगवत्सेवासम्बन्धी किसी प्रकारविशेषकी जिज्ञासा होनेपर, सेवाके जानकार वैसे किसी भगवदीयसे मिलजुल कर कुछ पूछ-जान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है, यह भी सूचित होता है (त.दी.नि.प्र.आ.२२२८)।

(अ) गुणव भक्तिमार्गः: कृष्णसेवापरायणः: श्रीभगवत्तत-त्वज्ञो दम्भादिहितो नः तदधावे तथाभूपोपदोऽत्र नियामकः: अथायुक्तिर्थानामथाभूतोऽपि हि, उपदेशस्थाभूतुपुरीव फलिष्यति, यदि दुःसङ्गदेषेण नान्यथा चेद् भवेन्मतिः (श्रीहरि.कृत स्व.श.स.स.निरु.४०-५१)।

(इ) गुरु भी भक्तिमार्गानुसारी, कृष्णसेवापरायण, भगवत्के तत्त्वको जानेवाला तथा दम्भादिसे रहित होना चाहिये। ऐसे लक्षणवाले गुरुके न मिलनेपर आचार्यवाणील्प गुरुसे भी स्वकर्तव्यनियामक उपदेश ग्रहण किया जा सकता है। आचार्यकुतोदभूत आधुनिक गोस्वामिमहानुभाव यदि उत्त लक्षणवाले न भी हों फिरभी उनसे भी सर्वलक्षणसम्पन्न श्रीकृष्णजानप्रद गुरु श्रीमद्बाचार्यवरणके वचनानुसारी उपदेश

मिलता हो तो सद्युस्के समान ही फल देनेवाला हो सकता है, यदि दुर्संगादिसे भवि ही अन्यथा (मार्गविपरीत) न हो गयी हो (त्रैव)।

(च) अदमः: सर्वथापेक्षारहितः करुणापरो विचार्य वरणं श्रीमद्बाचार्यपदसंश्रयः स्वसेवकाय शुद्धाय सततं प्रयत्नाम्भने प्रयच्छेत् तत् स्वरूपं तु फलरूपतया पुनः (स्वामा.स्वरू.स्थाप.-प्रका. १६-१७)।

(च) श्रीमद्बाचार्यचरणोंका भलीभांति आश्रय ग्रहण कर किसी भी प्रकारकी शिष्यसे अपेक्षा रखे बिना, समुचित जीवात्माका परमात्माद्वारा पुष्टिमार्गमें वरण किया गया है, अतः ऐसा पुष्टिजीव पुष्टिलाभसे बच्चित न रह जाय बस इसी करुणाभावको रखते हुवे, पुष्टिमार्गपर अग्रसर होनेको सतत प्रयास करनेवाले अपने शुद्ध सेवकके मांथे पुष्ट किया हुवा स्वरूप फलरूपतया (नकि केवल गुरुभावतया अथवा स्वसेव्यसे न्यून पुरुषोत्तमभावतया) पध्य देने चाहिये (त्रैव)।

(छ)...बच्चकस्तु ततोऽयेष... तेतु मार्गं चालयन्ति वचोभिः कटुकौर्चैः (द्र.आमुखः : दुःस.विज्ञा.निरु.१३-३५)।

(छ) चोरोंकी तुलनामें बच्चक तो अधिक दुष्ट होता है... जबकि भक्तजन तो कडवी दवाके जैसी बारें करके भी सम्मार्गकी ओर ही ले जाना चाहता है... (द्र.आमुखः : त-त्रैव).

(ज) यो वदत्यन्यथावाक्यम् आचार्यवचनानज्जनः संसृतिप्रेरको वापि तत्सङ्गे दुष्टसङ्गमो, यश्च कृष्ण रैतं नित्यं बोधयत्प्रयोजनां, निरेषः सात्त्विकश्च तत्सङ्गः साधुसङ्गमः (शि.प.३८-९)।

(ज) आचार्यवचनके विपरीत जो बातें करता हो अथवा संसारपके बातें करता हो उसका संग दुरुसंग होता है, जो श्रीकृष्णमें निष्ठायोजन नियरति बढ़ानेकी बातें करता हो और स्वयं भी निरपेक्ष हो उसका संग साधुसंग होता है (तत्रैव).

(झ) तेन गुरुत्वमेव वृत्तिलेन फलति. युक्तज्ञ एतद् अतुपकृत्य परस्वग्रहणे ऋणिलेन बन्धस्य प्रसञ्जनात्. किञ्च ऋतोत्तरम् 'अमृता' ख्यायाः अयाचितद्वतः उक्तत्वात् तस्यामपि शिष्यस्त्वैव प्राहच्च न इतरस्यतु एवं सङ्क्षेपे तस्यामपि प्रसरत्वसिद्धिः (स्ववृत्तिवाद).

(झ) इससे फलित होता है कि गुरुत्व ही अपनी आजीविका वा वृत्ति है, यही उचित भी है क्योंकि किसीका कुछ भी कार्य किये बिना मुफ्तमें धन ले लेनेपर लेनेवाला उसका ऋणी बन जाता है जो बन्धनकारी होता है, इसके अलावा ऋतवृत्तिके बाद जो 'अमृत' नामिका अयाचित वृत्ति कहीं गयी है उसे अपनेनेपर भी यदि शिष्यसे ही अयाचितग्रहण करनेका आग्रह रखा जाये, हर किसीसे नहीं, तो ऐसा संकोच और भी प्रशंसनीय है (तत्रैव).

(ज) गुरुणा वेशादिना मार्गसुचिं परीक्ष्य जिज्ञासां च अवात्य प्रश्नानननां सेवादिकम् उपदेष्ट्यम् इति ( त. दी. नि. प्र. आ. २५५-२५६ ).

(ज) सेवोपदेश ग्रहण करना चाहनेवाले व्यक्तिकी वेश (भाषा भाव रुचि आचार विचार) के द्वारा मार्गसुचिकी परीक्षा कर के और उसकी जिज्ञासा क्या है यह जान कर तदुकूल प्रश्न करनेपर ही सेवा आदिका उपदेश

करना चाहिये (तत्रैव).

### (संशय)

इस परिच्छेदमें हमें यह देखना है कि उल्लिखित (क) से (ञ) तकके विषयवाक्योंके आधारपर अथवा एतस्मानार्थक अन्य भी पूर्वाचार्यकी वचनोके आधारपर पुष्टिमार्गीय सेवाके उपदेशप्रकार एवं दीक्षाप्रकार के विवरण करनेपर क्या कोई उपदेशक गुरु या गुरुस्थानीय व्यक्ति जनसाधारणके सन्मुख अपनी भगवत्सेवाका प्रदर्शन कर सकता है या नहीं? अपने आराध्य प्रमुखी सेवाके लिये अनुयायिजन अथवा अनुयायिजन से वित ले सकता है या नहीं? जब कोई निजाधूमें निजमस्तकम्प विराजमान भगवत्स्वरूपकी तुवितजामिका सेवा निजपरिजनोंके सहयोगसे सम्पन्न करता हो तो निज सेव्यस्वरूपकी सेवाके द्वारे लोगोंको दर्शन करने तथा दर्शनार्थीओंकी भीड़से सम्झूर्खें तथा समाधानीद्वारा मनोरथोंकी निश्चितानिश्चित राशीकी वसूली एवं भंडारीद्वारा धी-गुड़-दाल-चावल-मसाला आदि सामग्री जुटाने से सेवाप्रदर्शनार्थी तथा सेवार्दानार्थी को क्या वस्तुतः भक्तिमार्गीय लाभ होता है या अपराध? अतः इसमें उपरोक्तपक्षकी संगतिका निरूपण पहले आवश्यक प्रतीत होता है.

### (पूर्वपक्ष)

इस संशयग्रस्त विषयको विचारनेकी आवश्यकता या संगति यों हैं—

(१) “भगवद्भावस्य स्वात्मकत्वेन गुप्तस्त्वैव अभिवृद्धिस्व-  
भावकत्वाद् आश्रमधीर्मेव लोके स्वभगवद्भावम् अनाविक्षुर्वन्  
भजेत्. एतेन यावद् अन्तःकरणे साक्षात्कारभोः प्राकट्यं नस्ति  
तावदेव वहि आविक्षकरणं भवति. प्राकट्येतु न तथा  
सम्भवति” (अणुग्र. ३४।४९).

(२) “स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत्” ( साध.दीपि. १७८ ).

(३) “३८ तमो अपराधः = मुहूर्देवतयोः पुन्नप्रकटीकरणम्  
 फलं = श्वयोनिव्रयम्, ११ अपराधोः = अवैष्णवास्त्र स्वसेव्यप्रदर्शनम्  
 नम्, फलं = वार्षिकेसेवा निष्कलत्वम्, प्रायशिच्छत् =  
 पञ्चांशतुस्तुसापनम्, ३६ तमो अपराधः = भगवन्नामा यावनम्.  
 फलम् = उपचारसैकल्लभ्य, प्रायशिच्छत् = पञ्चगुणितनैवेद्यादानम्,  
 ३५ तमो अपराधः = गुरुकोललंघनम्, फलम् = असिष्पत्रादिवोर-  
 नस्तपातः, प्रायशिच्छत् = वैष्णवगुणसादनम्.”  
 ( श्रीहरिरायकृत-६६ अपराध फल-प्रायशिच्छानि ).

इन वचनोंके कारण निज सेव्यस्वरूपकी सेवाका प्रदर्शन यदि सिद्धान्तनिष्ठ होता तो, महाप्रभु तथा प्रभुचरणों की वार्ताओंमें, अनेक स्वमार्गीय/अस्वमार्गीय वैष्णव/अवैष्णवों भक्त-अभक्तों को भगवदर्शन करनेके उल्लेखों अकारण अप्रायाणिक मानना पड़ेगा, इसे यह सिद्ध होता है कि दर्शनके निषेधका नियम यदि गम्भीर होता तो वह सम्प्रदायके आचार्योंके चरित्रमें भी प्रकट होना चाहिये था। प्रत्युत इन नियमोंके विपरीत ही वृत्तान्तोंके उपलब्ध होनेसे ऐसे किसी भी नियमकी गम्भीरता सिद्ध नहीं हो पाती है।

प्रस्तुत अनुच्छेदके विषयवाक्यान्तर्गत (क) तथा (ख) वचनोंमें गुरु स्वयं कृष्णसेवामें परायण है या नहीं इसके वीक्षण = भली भाँति परीक्षणकी बात कही गयी है। अतः भावसंगोपनके दुराग्रहके अन्तर्गत यदि भगवत्सेवाको सर्वथा गुत ही रखी जाये तो इस सम्प्रदायमें जो दीक्षित होना चाहता हो वह दीक्षाके लेनेसे पहले दीक्षादाताका वीक्षण कैसे कर पायेगा? अतः भगवत्सेवाके उद्देश एवं दीक्षा की प्रणालीके आधारपर भी भगवत्सेवाके प्रदर्शन कमसे कम सेवोपदेश या सेवादीक्षादाता गुरुके लिये कोई आपत्तिजनक बात होनी नहीं चाहिये।

विषयवाक्यान्तर्गत (ग) वचनमें गुरुत्ववृत्तिको साहजिक वृत्तितया

‘अत्याज्य’ कहा गया होनेसे गुरुत्वकी योग्यताके घटकतया भी भगवत्सेवाप्रदर्शनको दोषरूप नहीं माना जा सकता है। अतः सेवाप्रदर्शनको तथा प्रदर्शनीय सेवार्थ परमनस्तीकारको गुरुत्वकिणित्वेन दोषरहित मान लेना चाहिये।

ये पूर्वपृष्ठ न तो सिद्धान्तचर्चासभामें चि.महाकविद्वाप्रस्तुत हैं और न विमर्शकारद्वारा उपस्थिति, फिरभी वैसी मनोवृत्तिकी सम्भावनामें सहज प्रस्तुत हो सकते हैं। अतः विचारार्थ स्वयं मेरेद्वारा ही उद्धकित हैं।

### (उत्तरपक्ष)

इस सन्दर्भमें महाप्रभुपृष्ठीति पूर्ववार्योंके वचनोंके स्वारपिक अभिप्रायकी निश्चल मीमांसा करनेपर यह उत्तरपक्ष अवधेय है।

गुरुत्वेन वरणीय पुरुषके कृष्णसेवापरायण होनेकी भलीभाँति परीक्षा करना जैसे दीक्षादाता करत्य है, वैसे ही उस गुरुत्वेन वरणीय पुरुषद्वारा अनुष्ठित सेवाके प्रकारकी सिद्धान्तशुद्धताकी भी परीक्षा करणीय है कि ‘नहीं?’ यदि परीक्षा करणीय है, ऐसा स्वीकार कर चलते हैं तो जिस व्यक्तिका गुरुत्वेन वरण करके उससे सेवोपदेश प्राप्त करना है, उससे पहले ही सेवोपदेश बनने जाते तथा उपरेक्षणार्थी दोनों ही व्यक्तिओंको भगवत्सेवाके सच्चे स्वरूपका परिज्ञान आवश्यक मानना पड़ेगा, ऐसी स्थितिमें जिज्ञासाका लोप भी सम्भव है। जिज्ञासुता ही न रह जानेपर गुरुके द्वारा किया गया सेवाप्रदर्शन या ज्ञानोपदेश भी निर्थक सिद्ध होगा। यदि दीक्षार्थीको स्वयं सेवाके शुद्धाशुद्ध स्वरूपका ज्ञान न हो तो गुरुत्वेन वरणीय व्यक्तिद्वारा अनुष्ठित भगवत्सेवा सिद्धान्तशुद्ध है या अपरिसिद्धान्तयुक्त यह जाने बिना गुरु सेवापरायण है कि कि नहीं अथवा उसके द्वारा अनुष्ठित भगवत्सेवा स्वमार्गीय सिद्धान्त एवं प्रणालिका के अनुसार है कि कि नहीं यह जान पाना भी शक्य न हो पायेगा।

यह उभयतःपाश है।

अतः अपरिहार्यतया इस उभयतःपाशसे मुक्त होनेको ऐसी कुछ कल्पना करनी ही पड़ेगी कि दीक्षार्थी जिज्ञासु व्यक्तिको कृष्णसेवाके साम्प्रदायिक सेवास्वरूपके बारेमें सूक्ष्म सिद्धान्त एवं प्रकारों का परिज्ञान भरते न हो परन्तु स्थूल सिद्धान्त एवं प्रकारों का परिज्ञान तो अपेक्षित होता ही है। तो फिर यह भी स्वीकार लेना चाहिये कि भगवत्सेवाके स्थूल प्रकार एवं स्थूल सिद्धान्तों का सामान्यज्ञान सेवाप्रदर्शनमें दर्शक बने बिना भी कण्ठपर्की सत्तंगस्त्री प्रक्रियाद्वारा अथवा सामान्य धर्मोपदेशद्वारा ही शक्त होनेपर उसीके आधारपर गुरुत्वेन वरणीय व्यक्तिकी भी भलीभांति परीक्षा कर लेनेकी परिपाठी सुनाक्य मान लेनी चाहिये। अतः तदर्थ भगवत्सेवाप्रदर्शन आवश्यक नहीं रह जाता है। उदाहरणतया — “किसी रूपाको अपनी चिकित्सा करानेसे पहले, स्वयं चिकित्सक, रोगनिदान एवं चिकित्सा का भलीभांति जानकार है कि नहीं? वह प्राणपाहारी लोभादि दोषोंसे रहित है कि नहीं तथा जो औषधि वह देता है वह शुद्ध है कि नहीं इसका भलीभांति परीक्षण करके किसी चिकित्सकके पास चिकित्सार्थी बनकर जाना चाहिये” — ऐसे विधानकी विवेचनामें भी उभयतःपाश खोजा सकता है कि यह चिकित्सासांख्यको पहले भलीभांति जाने बिना सम्भव नहीं और जान लेनेपर अन्य किसी चिकित्सकद्वारा चिकित्सा करानेके बजाय स्वयं ही चिकित्सा भी शक्य बन जायेगी।

इसी तरह कोई धर्मगुरु भी जब अपनी धर्मसाधना निजात्मार्थ न करके जनसंग्रहार्थ या धनसंग्रहार्थ करता है, तो वह अपनी धर्मसाधनाको साधन और धनजनसंग्रहको फल मान रहा है। ऐसी स्थितिमें (क) वचनमें निरूपित “मनसि अन्यद् विधाय अन्यथा करणे न फलसिद्धिः” ऐसे व्यक्तिद्वारा अनुष्टुप्ति भगवत्सेवा निष्कल्प होनेसे सेवोपदेष्ट बनना चाहते व्यक्तिकी (क) वचनमें निरूपित कृष्णसेवापरता असिद्ध हो

जानेसे वह व्यक्ति गुरुत्वेन वरणार्थ अयोग्य सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थितिमें श्रीहरिरायजीके “...तत्सङ्गे दुष्टसङ्गमः... एवं निश्चित्य सर्वेषु स्वीयेषु अनेषु वा पुनः महत्कुलप्रसेतुवा कर्तव्यः सङ्गीर्णियः श्रीमादाचार्यरचना मतिः स्थाप्य सदा स्वतः ततएव स्वकीयानां सिद्धिः कार्यस्य सर्वथा” (शि.प.३८-११) वचनसंगितके अनुरोधवशा “तदभवति स्वयं वापि भूर्ति कृत्वा... परिच्छाया सदा कुर्यात्” (त.दी.नि.२२२८) कल्प समाश्रयणीय बन जाता है। क्योंकि अन्यथा जहां वह स्वयं रहता ही न हो ऐसे गायत्रेमें अर्थोपार्जनार्थ हवेलियोंको मुखिया-भीतरिया आदिकी बटालियन रख कर चलानेकी आवश्यकता क्या हो सकती है? क्यों वह वहांके अनुयायियोंको स्वयं उनके धर्ममें ही भगवत्सेवापरायण रहेनेकी प्रेरणा नहीं दे पाता? अतः प्रतीत होता है कि ग्रामान्तरोंमें प्रदर्श्यमान भगवत्सेवा कर्तव्यभाववशा की जाती भगवत्सेवा होनेके बजाय (क) वचनमें निरूपित निमित्तान्तरवश ही की जाती होनी चाहिये। अर्थात् देवलक्तव्यापादक दम्भवशात् ही की जा रही है। तो वह तो गुरुचक्षा अर्थात् सेवादीक्षा अथवा सेवाज्ञा प्रदान कर पानेकी अधिकारिताका निवारक दोष हो गया। ऐसी स्थितिमें अलिखित श्रीहरिरायजीके वचन तथा आवरणभक्तकार श्रीरुद्रोतमजीके “लोकानुतपत्यगुरुपत्वात् ताद्वौ अनुसरणी अन्यातुगम्यान्यवद् उभावपि पतेताम् एतदर्थमेव जलभेद्यग्रन्थकरणं ज्ञाये... एवम् अधिकारासूद्यनेन अनवार्त्यार्थी व्यावर्तिः” (त.दी.नि.ग्र.आ.२२७) पारस्परिक संगतिके अनुरोधवशा ऐसे पूरा महाराजी व्यावर्तिं सिद्ध हो ही जाते हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीरुद्रोतमजी इस तरहके अयोग्यव्यक्तिके व्यावर्तनार्थ ही महाप्रभुद्वारा ‘जलभेद’ ग्रन्थके निर्माणकी बात जो कर रहे हैं वह व्यावर्तन स्वयं उहीके शब्दोंमें “क्षेत्रविष्टा ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः” (ज.भे.४)की विवृतितया “गुरुत्वस्य साहजिकब्राह्मणवृत्तित्वेन अत्याज्यत्वात्... लोभाद् अविचारितवदेनु दाता स्वयम् अपराधभाग् भवति” निरूपित हुवा है। अतः दोनों वचनोंकी परस्पर संगति भी बैठ जाती है कि अविचारित दीक्षा प्रदान करनेपर भी जहां दाताको लोभदोषवशात् अपराधी माना जा रहा है वहां अपनी प्रदर्श्यमान भगवत्सेवामें अविचारिततया

दर्शनानुज्ञा प्रदान तथा वित्तजा सेवानुज्ञा प्रदान करनेवाला व्यक्ति तो कितना अधिक अपराधी बन जाता होगा ! विमर्शकारको “एकत्र निर्णातः शास्त्रार्थो असति वायके अन्यत्रापि युज्यते” इस सन्दर्भमें पुः यद दिलाना चाहेंगे। अर्थात् अविचारिनामदीक्षाके दानवश नामविक्रयापति होती हो जो अपराधपूर्ण होती है तो अविचारित दर्शनानुज्ञादान और वित्तजा सेवानुज्ञादान (“जो दर्शन करने आया है वह भक्त ही होगा!”) द्र. विम.पृ.सं.८० तथा २०९ ) वर्णों रूपविक्रय नहीं होने चाहिये ?

विमर्शकार (पृ.सं.२११) पर कहते हैं कि “इस एक वाक्यसे ही व्यवस्था करने चलेनेपर ब्रह्मसम्बन्धके बिना ही भगवत्सेवा करनेकी आज्ञा श्रीमहाप्रभुजी दे रहे हैं ऐसा भ्रम होता है। यद्यपि यह विषय यहाँ कहना नहीं है तथापि प्रसंगतः कहा गया है। ‘तदभावे स्वयं वापि’ इस वाक्यका तात्पर्य आगे स्पष्ट किया जायेगा” (विम.पृ.सं.१०-१४)। आगे जब भी जो कुछ विमर्शकार स्पष्ट करेंगे उसका भी विचार निश्चय करेंगे परन्तु वह जब तक प्रकट नहीं किया जाता तब तक इतनी बात तो अवश्य कही जा सकती है कि हम यहाँ केवल एक वचनके आधारपर कुछ कह नहीं रहे हैं प्रत्युत महाप्रभु, प्रभुचरण गोस्वामिश्रीगोपीनाथजी तथा गोस्वामिश्रीविडलानाथजी ही नहीं; अपितु, श्रीहरिरायजी एवं श्रीपुल्लोदतमजी आदि सभीके वचनोंकी एकवाक्यताके आधारपर यह जो कुछ कह रहे हैं वह आधारित है। व्यक्तिके महाप्रभु (क) वचनमें “तदा तदुक्तप्रकारेण भगवत्सेवा कर्तव्या” आज्ञा प्रदान कर रहे हैं नकि “तदा तत्प्रदर्शिता सेवा द्रष्टव्या अथवा तत्प्रमाधानीद्वारा याचितसेवार्थं वित्तजा सेवा कर्तव्या” आज्ञा कर रहे हैं। अतएव श्रीगोपीनाथ प्रभुचरण भी (ख) वचनमें अनुयायिजनोद्धारार्थं “माहात्म्यापनार्थव श्र/श्रावणं गुणकर्मणं शास्त्राणाम् उपयोगेऽत्र त्र आकाङ्क्षा गुरोभिष्ठत्... गुणां कर्मार्थारेण उत्तार्थः स्वोपदेशः” भावनामाहात्म्य भगवत्पूर्ण भगवत्स्तीता के श्रवणार्थ ही शास्त्रानुसारी उपदेशकी ही बात कर रहे हैं नकि भगवत्सेवाप्रदर्शनकी। श्रीविड्लनाथ प्रभुचरण भी (ग) वचनमें उद्धृत कारिकारमें

अविचारित दीक्षा प्रदानके कारण दीक्षादाता गुस्के अपराधी होनेकी निन्दा कर रहे हैं सो “एकत्र निर्णातः शास्त्रार्थं असति वायके अन्यत्रापि युज्यते” न्यायानुसार अविचारित भगवत्सेवादर्शनानुज्ञा या वित्तजेवानुज्ञा पर भी लागू करनेमें विमर्शकारको वाधा क्या लग रही है, यदि उसे अपनी आजीविका ही बनानेकी कोई विवशता न हो तो ! श्रीहरिरायजी भी दुसंगविज्ञाननिरूपणमें “तदीयत्वभात् तस्मिन् विश्वासो संगदोषतो असत्यपि सद्व्यावात् पतनं भक्तिमार्त्तः अतएवोक्तम् आचार्यः गुरोरपि च वीक्षणं ‘कृष्णसेवापरः वीक्ष्यत्यदिष्टे निबन्धगे... अनाकारितावतारी सङ्केताति सर्वथा प्रार्थित भगवद्भक्तः कृपयन्ति कथञ्चनः स द्रव्यमेव विज्ञाय सज्जते स्वार्थमीहितः” (दु.वि.प्र.२०-३४) द्रव्यार्थं विमोहित जो दर्शन करने आ रहा है वह भगवद्भक्त ही होगा ऐसा अविचारित उपदेश या अविचारित अनुज्ञा अपने भगवत्सेवाप्रदर्शनमें देता हो उसके सङ्केतोंको महाप्रभुद्वारा आज्ञाप्त वीक्षणकी प्रक्रियाद्वारा दुसरक्तताया निर्धारित करना चाहते हैं सो एकवाक्यता सर्वथा सुस्पष्ट ही है। आवरणभक्तकार श्रीपुल्लोदतमजी तो इन सर्वनिर्णयकारिकाओंके आवरणभक्तमें “कहे बलिष्ठत्वेन अप्रियेनु युक्तलक्षणाभावम् आलोच्य स्वस्मिन्नेव एतनार्थाण्युरुचं नियच्छन्तः आहुः ‘सच्च’ इत्यादि। ‘तदभावे’ इत्याद्याज्ञापनाद् इदं ज्ञात्वा कणे... आपासात्त्वाभावः सेवायाः... मौद्याभावः च सेवाकर्तुः साधितः” (त.दी.नि.प्र.आ. २२८) मुख्यतम शब्दोंमें श्रीमद्वार्यचरणोंके अनन्यासुके प्रतिपादनानुरूपक स्वतो भगवत्सेवामें प्रवृत्त होनेकी रीतिको आचार्यचरणाद्वारा ही मान कर चल रहे हैं फिरी इस निजाचार्याज्ञाकी अवहेलना कर विमर्शकारको यह कह पानेका महान् दुःसाहस कि “इस एक वाक्यसे ही व्यवस्था करने चलेनेपर ब्रह्मसम्बन्धके बिना ही भगवत्सेवा करनेकी आज्ञा श्रीमहाप्रभुजी दे रहे हैं ऐसा भ्रम होता है” आचार्यचरणके साथ ही असूयामें पर्वतसित हो रहा है ! किन्तु गहर्यम् अतः परम् ! लगता है कि श्रीहरिरायचरणनिरूपित ६६ अपराधोंमें ११ वें अपराधकी वक़ालत विमर्शकार ३६ वें अपराधकी दुर्दम मोदवृत्तिवश कर रहे हैं जिसके कारण श्रीहरिरायजीके अनुसार ३५ वें अपराधके और वे अपराधी

ही सिद्ध होते हैं। यह सभी इन उद्गत वचनोंकी एकवाक्यतामूलक निष्कर्ष है कि किसी एकाद वचनका लेखण् अभिप्रायाविच्छयण नहीं।

इस ३६ वें अपाराधकी मोनोवृतिके विवरण कोई व्यक्ति जनधनसंग्रहकी निम्नमानोवृतिका भी उदारतीकृत प्रयोजन जनमोद्धार प्रचारित कर सकता है। इसमें, परन्तु, समझनेकी बात यही है कि प्रत्येक व्यक्तिका आत्मोद्धार तो स्वयं उसके द्वारा अनुष्ठित धर्माचरण ‘‘तदा तदुक्तप्रकारेण भावत्सेवा’’ द्वारा ही सम्भव होता है निक तत्प्रदर्शित भगवत्सेवाप्रदर्शनको केवल आर्थिक प्रोत्साहन देनेमात्रसे स्वधर्मानुष्ठान स्वयंकृत होना चाहिये परकृत धर्मानुष्ठानके हेतु केवल विच्छप्रदाता दर्शक बननेसे आत्मोद्धारकी कल्पना अतीव बचकानी मनोवृति प्रकट करती है।

यदि परकृत धर्मानुष्ठानके हेतु विच्छदानपूर्वक दर्शनमात्रसे आत्मोद्धार शक्य हो जाता हो तो जिस कनिष्ठ गोस्वामीने जिस ज्येष्ठ गोस्वामीसे ब्रह्मसम्बन्धीदीक्षा ली हो उस दीक्षाप्रदाताके द्वारा अनुष्ठित कृष्णसेवके प्रदर्शनसे कनिष्ठ दीक्षाग्रीही गोस्वामीका भी उद्धार शक्य हो जाना चाहिये था। यदि जनसाधारणका व्यावसायिक छपनप्रेषणके प्रदर्शनमें दर्शक या आर्थिक सहयोग प्रदान करनेमात्रसे ४८ लाख योनियोंमें चलनेवाले जनमरणके दुष्वक्रते छुटकारा हो जाता हो तो कनिष्ठ गोस्वामीका भी हो जाना चाहिये। यदि नित्यप्रदर्शित कृष्णसेवको दर्शनोंके अपकृत आवर्तनोंसे ही जनसाधारणका उद्धार हो जाता हो तो कनिष्ठ गोस्वामीका भी हो जाना चाहिये। यदि सकृद अथवा असकृद दर्शनोंके आवर्तनोंके बावजूद गोस्वामिताजका उद्धार स्वयंकृत कृष्णसेवासे ही होता हो तो वही बात जनसाधारणके लिये भी स्वयं हीनी चाहिये। यदि इसे इष्टापतिके रूपमें स्वीकारा जाता है तो ज्येष्ठ गोस्वामिप्रदर्शित कृष्णसेवाद्वारा ही केवल कनिष्ठ गोस्वामियोंका उद्धार निश्चित हो जानेके कारण कनिष्ठ गोस्वामियोंकी कृष्णसेवाका प्रयोजन केवल जनमोद्धार ही शेष रह जायेगा। अर्थात् आत्मोद्धार नहीं। तब यह प्रश्न उठ खड़ा होगा

कि कृष्णसेवाप्रदर्शन क्या —

(क) अन्यानिरेक्ष वैकल्पिक या आनुकृतिक एकाकी उद्धार साधन हैं?

अथवा

(ख) अन्यासापेक्ष सहकारिकारण?

अथवा

(ग) अन्य किसी अंगी अनुष्ठानका अंगभूत या आनुवंशिक साधन है?

(क) इनमें वैकल्पिक साधन होनेके कल्पको स्वीकारनेपर तो दर्शनार्थी जनताको 'ब्रह्मसम्बन्धीदीक्षा प्रदान करना, 'उससे अपने ठाकुरजीके लिये भेंट-सामग्री-मनोरथके रूपये ऐंटेको वितजा सेवा करानी, 'उसे प्रवचन-भागवतकथा सुनाना या 'ब्रजयात्रा करवाना आदि सभी जलताङ्गवत् निरर्थक क्रिया सिद्ध होंगी।

भगवत्सेवाप्रदर्शनको आत्मोद्धारका आनुकृतिक कारण/साधन माननेपर मुख्य कल्प जो भी हो उसपर भार देनेके बजाय इस अनुकृतपके अन्यान्यालम्बनकी आवश्यकता क्या? मुख्य कल्प यदि 'तुम्हा और/अथवा वितजा' हो और वह वैष्णवोंसे देशकालकी विपरीताके कारण निभ नहीं पाती, ऐसा मान लेते हैं, तो उद्देशकर्ता स्वयं उस मुख्य कल्पका अवलम्बन क्यों नहीं करते? महारथु तो स्वयं स्पष्ट आज्ञा करते हैं “‘योहि गुरुः सेवाय उपदेश्यति स स्वयं चेत् ताम् उत्तमां जानीयात् तदा कथं स्वयं न कुर्याद्’” (वर्णी) इससे स्पष्ट होता है कि गुरु सेवाके जिस या जैसे प्रकारको उत्तम मनता हो तदुसार गुरुके उपदेश और अनुष्ठान में एकरूपता होनी चाहिये। तनुवितजा सेवाके आचार्योंपदिष्ट कल्पकी अक्षम्य अवहेलनाके बावजूद 'तुम्हा और/अथवा वितजा' सेवाके क्योंलकल्पित प्रकारका भी अनुष्ठान हम सेवाप्रदर्शक गोस्वामियोंके आचारणमें भलीभांति अनुष्ठित होता दिखलाई तो नहीं देता। क्योंकि

अधिकांश तुजा सेवा पगारदार नोकर करते हैं और वितजा सेवा प्रायः दर्शनार्थी जनता ही। अतः भगवत्सेवाप्रदर्शनके आनुकृतिक एकाकी कारण होनेकी कल्पना करनेपर मुख्य कारण अन्य कोई अनुपदिष्ट अप्रदर्शित है, जबकि उपदेश्य प्रदर्शित कारण कृष्णसेवाका भोंडा प्रदर्शन होगा अनुकूलरूप। इस तरह उपदिष्ट एवं अनुष्ठित धर्मोंमें भेद किसी न किसी तरहके दम्भका ही प्रमाण बन जायेगा।

(ख)यदि इस कारणसे भगवत्सेवाप्रदर्शनको आत्मोद्धारके अन्य किसी/किन्हीं साधन/साधनोंका सहकारी कारणके रूपमें स्वीकारा जाये तो जिन दर्शनार्थी व्यक्तियोंको ब्रह्मसम्बन्धीका अथवा भागवतकथाप्रवचनोपदेश एवं ब्रजयात्रा सेवाप्रदर्शक गोस्वामी न करते हों उनके सन्दर्भमें कृष्णसेवाप्रदर्शन जलताडनवर्त् निर्थक क्रिया सिद्ध होगी।

यदि कहा जाये कि बहुजनके उद्धारार्थ अनुष्ठित कृष्णसेवाप्रदर्शनके कारण अब्रह्मसम्बन्धी या भेंटसामग्रीमनोरथोंके निषित वितजा न करनेवाले कारित्य अवैष्णव मुक्तिया दर्शनार्थियोंको उद्धार सहकारी कारणके अभाववश न भी हो पाता हो, एतावता कृष्णसेवाप्रदर्शनको निर्थक नहीं माना जा सकता, तो इस नैर्थक्यपरीहारके सन्दर्भमें यह कथनीय है कि कमसे कम मन्दिरोंके द्वारपर एक चपरासी तो दर्शनार्थियोंकी भीड़की छंटीके लिये नियुक्त करता चाहिये। ताकी सबको यह वास्तविकता पता चल जाये कि सहकारी कारणके अभावमें वेवल कृष्णसेवाप्रदर्शनमें दर्शक बननेरे आत्मोद्धार नहीं हो जाता है! इससे एक और अतिरिक्त सूचना हम प्रदर्शनप्रेमी गोस्वामियोंको उपलब्ध हो पायेगी कि दर्शनार्थियोंमें ब्रह्मसम्बन्धीका लिये हुवे कितने लोग होते हैं और कितने लोग ऐसे ही जो आत्मोद्धारकी भावनावश नहीं प्रत्युत एक धार्मिक तमाशा या साधारण कुतुहलवश आ धमकते हैं। कुतुहलवश जागी दर्शनार्थिता दर्शन में अनधिकारिता है ऐसा तो विमर्शकाने (पृष्ठ.२०५) स्वीकारा है तब भी उसकी सावधानी तथाकथित अपनी घट्ठीठोंमें ली जाती

हो ऐसे प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। उस चपरासीसे निरन्तर यह भी घोषणा करवाई जा सकती है कि ‘ब्रह्मसम्बन्धीका लिये बिना एवं वितजा सेवाके बिना, केवल कृष्णसेवाप्रदर्शनमें दर्शक बननेसे आत्मोद्धार नहीं होगा।’ हमारे मन्दिरोंमें इस व्यवस्थाका प्रावधान रखे बिना वैष्णव बहुजनोंके उद्धारकी बात तो युक्तियुक्त नहीं लगती।

(ग)यदि कृष्णसेवाप्रदर्शन आत्मोद्धारका एक आनुषंगिक कारण हो तो मुख्य कारण कौन सा है यह खुलासा भी करना पड़ेगा। यदि तुवितजा सेवा हो तो सेवोपदेश हम युसाँई स्वयं वह क्यों नहीं करते? यदि ‘तुजा और/अथवा वितजा’ सेवा तो भी क्यों मुखिया-भीतरिया आदिकी बायालियन रखते हैं और क्यों वैष्णवावैष्णव दर्शनार्थियोंसे सेवाके नामपर धन ऐंठते हैं? प्रदर्शनके गौण या आनुषंगिक कारण होनेपर भी उसपर इतना भार कि निरन्तर विज्ञापनोद्धारा उसका ही प्रचार करते हैं परन्तु मुख्य कारणका प्रचार विज्ञापनोद्धारा क्यों नहीं करते? यदि कहा जाये कि कृष्णसेवाप्रदर्शन निषिद्ध तो माना नहीं गया है तो केवल आत्मोद्धारके माना गया है और आधुनिक वैष्णव समुदाय उनके आत्मोद्धारके मुख्य कारण तुन्जा-वितजा सेवाको निभा पानेमें सक्षम नहीं। अतः अनुकूलपके अवलम्बनद्वारा उनके उद्धारके केवल सद्यशयवश कृष्णसेवाप्रदर्शनपर इतना प्रचारभार दिया जाता है। अतः इसे सभीको अनुमोदनीय ही माना चाहिये।

वास्तविकता इस विषयमें यह है कि आज जितनी महत्ता दर्शनकी सीधी या तिरछी तरह दिखाई जा रही है, उसे देखते हुवे कोई भी इसे पुण्यार्थी धर्ममुनियांकी आनुषंगिक या अनुकूलरूप प्रवृत्ति मान नहीं पायेगा। कई दर्शनार्थी हम गोस्वामियोंद्वारा प्रदर्शित कृष्णसेवाके दर्शनके बिना घरमें भोजन भी नहीं करते। उन्हें रोकने-टोकनेके बजाय प. भ. के रूपमें बिरदार्या जाता है। कई बार तो काण्ठतः वैष्णवोंको उनके घरमें बिराजते ठाकुरजीकी उत्सवसेवा हमारी कृष्णसेवाके प्रदर्शनसे

पहले न करनेकी भी आज्ञा दी जाती है।

तनुवित्तजा न सही तनुजा/वित्तजा सेवाको भी सिद्धान्ताभिमत मान कर चलें तो भी हम अनेक गोस्वामिओंके अनेकानेक मन्दिर जो अनेकानेक गांवोंमें चलाये जा रहे हैं, वहां तो हम गोस्वामिओंका उपस्थित रह पाना भी शब्द नहीं तो तनुजा सेवाका तो प्रश्न ही उठ नहीं सकता। रही बात वित्तजा सेवाकी तो वहां जिस मन्दिरमें हम स्थथिरपैण निवास करते हैं उस मन्दिरमें हमारे स्वयं आयके स्वेत हमारी चरणभेट, अथवा और भी जो कुछ हों, उसे सेवाप्रकार नहीं निभाते प्रत्युत शाकुलीकी सम्मुखभेट, भंडारें और ऐडी में जमा होनेवाली सामग्री और मनोरथदेवा आदि अनेकविध भेटोंसे सेवा निभाते हैं। अपनी चरणभेट तो अपने टी.बी. विडिओ नई-नई कार्मोंडलों आदिके वैभव निभानेमें ही खर्ची जाती है।

इसके अलावा कृष्णसेवाप्रदर्शन यदि 'तनुजा और/अथवा वित्तजा' सेवाकी आनुषंगिक प्रवृत्ति हो तो वह केवल हम गोस्वामिओंका एकाधिकार क्यों बना दी गयी है? जो भी उद्धिमार्गानुगामी ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र या वर्णश्रेमत व्यक्ति भी, क्योंकि कृष्णसेवार्थ तो सभीको अधिकारी पाना गया है, हम गोस्वामिओंकी तरह व्यावसायिक सेवाप्रदर्शन क्यों नहीं कर सकता? क्या हमें अपने इस व्यवसायपर अपने एकाधिकारको हानि पहुंचनेकी भीति सताती है?

यदि 'हाँ'में उत्तर दिया जाये तो बात खुल गयी कि कृष्णसेवा हम गोस्वामिओंकी भवितव्यी प्रवृत्ति न हो कर केवल अपोपजनार्थ एक आजीविका मात्र है। अन्यथा अधिकाधिक मन्दिरोंके उद्घाटन करवा कर सभीको कृष्णसेवाप्रदर्शनार्थ क्यों प्रेरित नहीं किया जाता है। जनतामें बहुसंख्याक जीवोंके उद्घाट होनेमें बुराई क्या हो सकती है!

केवल हम गोस्वामिओंकी गुरुज्ञाकी मर्यादा हो तो आर्थिक

या कानूनी हक जताये बिना केवल नामसे जुड़े हुवे होनेसे आज्ञानुसार चलते होना अनिवार्य बताया जा सकता है। उसमें भी पुनः भीति यही अन्तर्मनमें सताती होती चाहिये कि ऐसे मन्दिर अधिक प्रसिद्ध या जनप्रिय बन कर हमारी कृष्णसेवाकी व्यावसायिक गतिविधिमें कहीं प्रतिस्पर्धा न बन जायें।

इसके अलावा यह भी तो विचारणीय है कि हम गोस्वामिओंके नाम और आज्ञा में क्या वस्तुतः इतनी दिव्य सामर्थ्य है कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण, उनकी सेवा अथवा सेवाका प्रदर्शन भी हमारी आज्ञाके आधीन ही हो कर जनोदारक हो पाते हैं? अन्यथा नहीं!

यदि यह नियम त्रैकालिक या शाश्वत हो तो इसका निरूपण भगवतादि भक्तिप्रतिपादक शास्त्रोंमें क्यों नहीं मिलता? यदि यह नियम त्रात्कालिक या व्यावहारिक है, तो ऐसे नियमके औचित्य एवं सम्प्रदायके हितमें होनेका प्रमाण क्या? क्योंकि यदि सार्वकालिक इस नियमको मानते हैं तो भगवतादि अवतारकथाओंमें वर्णित अनेकानेक जीवोंके उद्घाटको अप्रमाणिक मानना पड़ेगा। क्योंकि वहां हम गोस्वामिओंकी आज्ञासे उद्घाटका कोई संकेत उपलब्ध नहीं होता। और त्रैकालिक न मान कर वल्लभवंशजोंकी विद्यानातके कालमें सीमित नियम मानते हैं तो केवल कालसीमा ही क्यों देशसीमा क्यों नहीं इस नियमपर लादी जाती कि "जिस देशमें वल्लभवंशज गोस्वामी विद्यमान हों वहां हम गोस्वामिओंकी आज्ञा एवं नामसे जुड़े बिना कृष्णसेवाप्रदर्शन जनोदारक नहीं होगा?"

यदि ऐसा देशनियम भी स्वीकार लिया जाता है तो हमारी जिन अनेकानेक हवेलियोंमें हम रहने नहीं जाते उनमें चल हो व्यावसायिक कृष्णसेवाप्रदर्शनकी उद्घारकता निरस्त हो जायेगी। क्योंकि जिन छोटे-छोटे

नगर या गांवों में हमें प्रत्युत आय नहीं होती वरणर्मट-पधारामणी-तपेली आदिकी वहांकी पुष्टिमार्गी निर्धन जनता हम गोस्वामिओंके पधारनेकी बाट चातक बन कर निहारती रहती है परन्तु हम जाना पसन्द नहीं करते।

यदि इस नियमको कालमें सीमित परन्तु सार्वदेशिक मान लेते हैं तो जो गोस्वामिमहानुभाव जहां अपने व्यावसायिक मन्दिर चला नहीं पाते वहां उन गोस्वामिओंसे ती हुयी ब्रह्मसम्बन्धदीक्षा निर्थक सिद्ध होगी। क्योंकि कृष्णसेवाको प्रदर्शित करनेवाला किसी गोस्वामीके नामसे जुड़ा मन्दिर वहां चल ही नहीं रहा। अतः दीक्षा प्रयोजनहीन बन जायेगी।

कोष्ठक (क)के अन्तर्गत उद्भव महाप्रभुवचन तथा श्रीपुरुषोत्तमजीकृत उसकी व्याख्या दोनोंके आधारपर यह स्पष्टतया दिखलायी देता है कि कृष्णसेवापदेशदीक्षाकी सफलता “भागवततत्त्वज्ञत्वे सति दम्भादिर्हितत्वे सति कृष्णसेवापरायणत्वे सति नरत्वं” लक्षणवाले गुरुसे ग्रहण करनेपर निरुपित हुयी है निकि केवल बल्लभवंशजत्वके आधारपर “एवम् अधिकासूचनेन अनयिकार्यपि व्यावर्तितः” (वर्हीं) व्याख्याके आधारपर यह करतामलकवत् स्पष्ट है।

यह तो हम कह ही चुके हैं कि “तदा तदुक्तप्रकारेण भगवत्सेवा कर्तव्या” (वर्हीं) विधान उपलब्ध होता है निकि “तदा तदुद्विर्तिं सेवा ब्रह्मव्या”。 अतः वास्तविक सिद्धान्त और वर्तमान अन्धरुदि के बीच आकाश-पातालका अन्तर स्पष्ट दिखलायी देता है।

यह भी दिखला चुके कि कोष्ठक (ख)के वचनमें भी यही स्थित हो रहा है कि भगवन्माहात्म्यानके लिये भगवद्गुण एवं भगवचरित्र का श्रवण आवश्यक होता है और इस आवश्यकताकी पूर्ति शास्त्रोंसे

होती है और शास्त्रोपदेशग्रहणार्थ ही गुरुकी अपेक्षा होती है। वह गुरु महाप्रभु निर्दिष्ट लक्षणविशिष्ट होना चाहिये। ऐसे गुरुके उपदेशके अनुसार, स्वधर्मनुष्ठानसे उद्धार सिद्धान्तित हुवा निकि सेवाप्रदर्शनसे या सेवादर्शनसे, स्पष्ट है कि गुरुकी यहां इस वचनमें दृष्टेपकारकता निरुपित हुयी है निकि अद्वृष्टेपकारकता।

कोष्ठक (ग)के रूपमें उद्भव वचनकी भी मीमांसामें भगवन्माहोपदेशद्वारा गुरुत्वकी वृत्तिसे भी भगवन्मामविक्रियके दोषका परिहार तभी सम्भव माना है जब वह केवल कर्तव्यनिर्वहनबुद्ध्या तथा शिष्योदैरैकप्रबोधनवश कथञ्चित् अपनायी जाती हो। अन्यथा धनलोलुपतावाया या अधिकारिवेक रखे बिना किये जानेपर तो नामोपदेशदीक्षा भी उपदेशरूपा न होकर विक्रियरूपा बन जाती है। अतः “एकत्र सिद्धः शास्त्रार्थः असति बाधके अन्यवापि युज्यते” न्यायके अनुसार ही भगवत्सेवापदेश भी भगवत्स्वरूप/भगवद्भजनके विक्रियमें विकृत न हो जाये इसकी नितान्त सावधानी अपेक्षित थी। ऐसी स्थितिमें व्यावसायिक सेवाप्रदर्शनकी कथा तो सिद्धान्तसे कितनी दूरापास्त है!

यदि वैष्णवादैवेन्द्रिय स्वीकारस्वीय के अधिकारिविचार और विवेक के बिना सभी दर्शकोंके सामने सेवाप्रदर्शन और सभीसे द्रव्य तदर्थ ऐंठा जाता हो तो उसे भगवत्स्वरूप तथा भगवत्सेवा का विक्रिय ही मानना पड़ेगा।

उल्लेखनीय हो जाता है कि विमर्शकासे कृष्णसेवाप्रकरण (पृ. ५-१०)में ब्रीत या विक्रीत तनुजा सेवायें मानसीकी साधिका सेवा नहीं होती, एतावता उन्हें निषिद्ध नहीं मान लेना चाहिये ऐसा अशृतपूर्व-अकल्पितपूर्व कुविर्मश तो कर दिया परन्तु वे भूल गये कि नामविक्रियको जब नामविक्रेताका विनाशकारी दोष माना गया है तो “एकत्र सिद्धः शास्त्रार्थः असति बाधके अन्यत्रापि युज्यते” न्यायानुसारिणी

शुद्धा सात्त्विकी मति रखते हुवे भगवत्सेवाके भी क्रय-विक्रयको भी देवरूप माना क्यों भूल गये? भगवत्सेवाको आजीविका ही बनानेका ऐसा भी दुराग्रह किस कामका?

यों कृष्णसेवाप्रदर्शन दर्शनार्थी जनताका उद्धारक होता है, इस धरणके खण्डित होनेपर भी “तुष्टुतु दुर्जनन्यायेन” कथचित् स्वीकानेको उद्धर भी हम हों जायें एताकां अपनी सेवके प्रदर्शनद्वारा दर्शनार्थी जनतासे द्रव्य ऐंठेकी बात कथमपि उचित ठहरानी शक्य नहीं लगती।

“विचार्यैव सदा देयं कृष्णानाम विशेषतः अविचारितदानेन स्वयं दाता विनश्यति” वचनके अनुसार जब पुष्टिमार्गप्रवेशार्थी नामदीशाश्रणमें सभीका अधिकार मान्य नहीं रखा गया तब पुष्टिमार्गीय कृष्णसेवाके प्रदर्शनसे सभीका उद्धार हो जायेगा ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है। “एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थः असति वाधके अन्यत्रापि पुञ्जते” न्यायके अनुसार ही।

कोष्ठक (घ)के वचनके अनुसार यह भी हम दिखला ही चुके हैं कि मार्गप्रवेशार्थी आधुनिक गुरुओंकी अपेक्षा या उपरोक्तां होनेपर भी अनिवार्यता नहीं है। क्योंकि कृष्णसेवामें स्वयं भी प्रवृत्त हुआ जा सकता है और ऐसी कृष्णसेवामें न तो धर्माभिसंहेनेका दोष स्वीकारा गया है और न कृष्णसेवामें स्वतः प्रवृत्त होनेवालेके बारेमें पौल्यादि दोष ही स्वीकरे गये हैं। तब महाप्रभूपदिष्ट लक्षणवाले या लक्षणरहित हम गोस्वामिओंद्वारा प्रदर्शित कृष्णसेवाके दर्शनकी अपरिहार्य न होनेके बारेमें प्रश्न भी उठ नहीं सकता है।

कुछ लोग कहते हैं कि “जनशिक्षाकृते कृष्णभक्तिकृद्” (सर्वोत्तमस्तोत्र : १२) नामके अनुसार धर्मिक जनताको भगवत्सेवाके प्रशिक्षणार्थ प्रदर्शन आवश्यक होता है ताकि प्रदर्शित सेवाविधिको जान

कर स्वयं निजगृहमें अनुयायिजन भलीभांति सेवा कर पायें।

इस सन्दर्भमें कई तथ्य विचारणीय लगते हैं, यथा——

(१) आजकी तारीखमें यह रेडियोड सेवाप्रदर्शन लोगोंमें कितनी गृहसेवास्वर्दि जागामें बढ़ानेमें और निभानेमें सक्षम हुआ है अथवा घटाने और नष्ट करनेमें सफल हुआ है, इनके पुष्टिमार्गीय सर्वेक्षणद्वारा कितने प्रतिशत क्या कर रहे हैं इसका आकलन जब तक कोई प्रकट न करता हो तब तक कोई प्रामाणिक अभिप्राय कैसे बांधा जा सकता है?

(२) इन सेवाप्रदर्शनोंमें भटकनेवाले दर्शनार्थीओंकी निष्ठा स्वमार्गीय सिद्धान्त साधना धर्मोपदेश या धर्मोपदेशकोंमें भी बढ़नेके बजाय घटी है। क्योंकि अन्यमार्गीय सिद्धान्त साधना और धर्मोपदेश कलेवालोंको मुनने मानने जानेवालोंमें अधिकांश नहीं भी तो अच्छी-खासी तादातमें पुष्टिमार्गीय वैष्णव या वैष्णवपुर होते ही हैं। कृष्णसेवाप्रदर्शनकी, साम्प्रदायिक हितके सन्दर्भमें, इससे अधिक निर्भकता और क्या हो सकती है?

(३) स्वयं इन रेडियोड प्रदर्शनोंसे होनेवाली रेडियोड आशदानीके कारण आशवस्त हम गोस्वामिओंमें स्वमार्गीय ग्रन्थोंकी कथा ही दूरपास्त है—अध्ययन-आध्यासकी सचि क्षीणप्राय रहती है, परिणामरूपेण कठिय अपाठित गोस्वामी बालकों तो गंडा-ताबीज झाड़-फूंकके गोरखधर्में वैष्णवोंकोभी उलझाना पड़ रहा है।

(४) अपने घरमें ब्रह्मवर्चस्वी गोस्वामी आचार्योंचित् गौरवपूर्ण जीवन जीनेके बजाय धनिक वरिष्ठजनोंको टूस्टी बना कर

उपानदुपलोही बन कर देवलकतोपजीवन करनेको बाधित होना पड़ता है। कुछ गोस्वामियोंको निजगोहस्थित प्रभुपरसे अपना स्वत्व भी खोन पड़ा है। चोरी आदिके आरोप लगाकर कुछ गोस्वामियोंका भगवत्सेवामेंसे निष्कासन भी हुआ है। स्वयं विमर्शकारको हालमें अपने सेव्यस्वरूपको बराछामें अपने बंगलामेंसे पुँः चौटाबाजार स्थित जर्जर भवनमें पश्चरनेको बाधित होना।)

(५) वीडिओ जैसी आधुनिक कमखर्चीली प्रशिक्षण सुविधाओं द्वारा भगवत्सेवाप्रशिक्षण सुकर होनेपर भी केवल जनप्रशिक्षणके कुद्र प्रयोजनार्थ अपनी कृष्णसेवा जैसी दिव्यतम साधनाको व्यावसायिक प्रदर्शन बनाना कहां भवित्वमार्यि नीतिमत्ता या बुद्धिमत्ता हो सकती है? नित्यसेवा न्यतुसेवा उत्सवसेवा मनोरथसेवा के वीडिओसेट तैयार कर वितरण और/अथवा विक्रय कर कृष्णभक्तिप्रशिक्षण सिद्धान्तशुद्ध गैरवपूर्ण ढांगसे भी दिया जा सकता है।

(६) महाप्रभुके नाममें भी “जनशिक्षाकृते कृष्णभक्ति कृत्” पद प्रयुक्त हुवे हैं परन्तु “जनशिक्षाकृते कृष्णसेवाजीविकाकृद्” अथवा “जनशिक्षाकृते कृष्णसेवाप्राद-र्जनकृद्” पद प्रयुक्त नहीं हुवे हैं।

(७) आज महाप्रभु और प्रभुचरण के निधि सेव्यस्वरूपोंमें से बहुतीके ऊपर उनके हम वंशजोंका स्वत्व इसी सेवाप्रदर्शनकी जगत्य मनोवृत्तिके वश निःशेष हुवा है। अपने देहसम्बन्धी बहुबोटियोंके तो अन्योंकी कुटृष्टिकी आशकाके बगा परदेकी ओरपर हमने छिपाये रखना चाहा परन्तु अपने आत्मसक्षभी सेव्यस्वरूपरसे जहां पहुँचनेपर स्वत्व खोना पड़े ऐसी सीमाओंको लांघकर भी प्रदर्शन करना चाहा। हमें न तो पुष्टिमार्यि विवेक और न किसी तरहकी आत्मसम्मानमूलक

लज्जा ही अपने इन कुकृत्योंसे बचनेको हमें रोक पायी। इससे अधिक निम्नतर कक्षा हमारे अधःपतनकी और क्या हो सकती है?

(८) यदि कृष्णसेवाप्रशिक्षण हमारी कृष्णसेवाका वास्तविक प्रयोजन हो तो वह कृष्णसेवा न तो कर्त्तव्यभावसे और न तत्सुखके भावसे अनुग्राणित मानी जा सकती है। अतः ऐसी अवस्थामें लोकहितार्थ केवल होनेके कारण वहं भगवदर्थ न होनेसे आधिदैविक दृष्टिसे कितनी निम्नस्तरीय बन जाती है। इसके विपरीत अनेक हमारे अनुग्रामी जनोंके धरोंमें अनुष्ठित भगवत्सेवा या भगवत्सुखीकार्य होनेसे आधिदैविक या आत्मकर्त्तव्यात अनुष्ठित होनेसे आध्यात्मिक रूपा ही होती है, आधिमौतिक तो नहीं ही। यों कृष्णसेवाके उपदेशकोंकी कृष्णसेवासे तो वह हर तरह उच्चस्तरीय होती है। अतः हम कृष्णसेवाका वास्तविक स्वरूप एवं प्रयोजन समझना चाहिये, उहें पुलतया माय रख कर।

(९) यदि वस्तुतः कृष्णसेवाप्रशिक्षणार्थ कृष्णसेवाप्रदर्शनका औचित्य हम सिद्ध करना चाहते हों तो भी दर्शनार्थियोंके प्रशिक्षणार्थ उन्हें सेवामें जो भीतर नहाना चाहे उसे रोकना दोकना नहीं चाहिये। सेवा को देखनेके बजाय सेवा को करने देनेसे प्रशिक्षण और भलीभांति दिया जा सकता है।

वैसे पता नहीं कि इतना बाहियात तर्क विमर्शकारको अभीष्ट है कि नहीं परन्तु अन्य कई हमारे देवलकबन्धु भरी सभामें ऐसा तर्क देते हैं।

इस तरह ‘कृष्णसेवोपदेशदीक्षा’ शीर्षकके अन्तर्गत प्रस्तुत

विषयवाक्योंका स्वारसिक अथविचार करनेपर कृष्णसेवाप्रदर्शनकी सिद्धान्तविपरीतता सिद्ध होती है। इसके बाद 'सेवाप्रदर्शन' शीर्षकान्तर्गत विषयवाक्योंके विचारार्थ प्रस्तुत होनेसे पूर्व प्रस्तुत प्रकरणसे सम्बन्धित विचारोंकी संग्रहकारिका मुदिधार्थ यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :

### संग्रहकारिका

प्रदर्शनेनोद्घासरचेद् दर्शकस्य यदा तदा ॥  
 उद्धाराय बहूनं तु कुतो न क्रियतेऽधुना ॥१॥  
 सर्वैर्हु पुष्टिमार्गिः कृष्णसेवाप्रदर्शनम् ॥  
 गोस्वाम्येककुरुं तच्च मतं सेवाप्रदर्शनम् ॥२॥  
 तत् किं तेवां प्रभुः सेव्यः परार्थकृति हेतुना ॥  
 उत सेवैव दम्भार्था क्रियते तैरिति स्थितिः ? ॥३॥  
 तत्र नाथः परार्थत्वे गोस्वामिन्दृताक्षतेः ॥  
 परार्थश्च गृहे वैति न कथं व्याहतः स्वतः ॥४॥  
 वस्त्वा च जननीचेयं नरीति कथनं यथा ॥  
 दम्भैकार्था ततः सेवा दीक्षादावत्वलोपिका ॥५॥  
 तथा चोक्तं निवन्धस्य सर्वनिर्णयवानेऽ ॥  
 "कृष्णसेवापरं वीक्ष्य दम्भादिरहितं नम्" ॥६॥  
 इहावरणभेदोऽपि व्याख्यातं नृवैः स्फुटम् ॥  
 "अधिकारस्त्वनेनेवं मार्गं हृचनधिकारणी" ॥७॥  
 लोकानुगः पशुहृचन्योऽपरस्तमुगस्तथा ॥  
 व्यावर्तिनात्मुभौ तेन कथं तस्योद्भुतिर्वेत् ? ॥८॥  
 जलभेदस्त्रं विवृतीं प्रभकृतं समुदाहृतम् ॥  
 पुरुषोत्तमेत्यु तच्चेव सर्वत्वं हि सर्वदा ॥९॥  
 "विचार्यैव सदा देवं 'कृष्ण'नाम विशेषतः" ॥१०॥  
 अविचारित दानेन स्वयं दाता विनश्यति ॥  
 मार्गेऽत्र दीक्षाग्रहणाद्यकारो  
 नो सर्वगस्त्रं मुपास्मदीयाः ॥

उद्घासमोहेन परस्य तेऽत्र

जाता स्वर्यं नो पतन्यालवः किं ॥११॥  
 गोपीनाथार्थभूतं च हृचनधेयं स्वमार्गिभिः ॥  
 "माहात्म्याजपनायैव श्रवणं गुणकर्मणम्" ॥१२॥  
 शास्त्राणामुपयोगोऽत्र तत्राकांक्षा गुरो" इति ॥  
 आकांक्षा तैव तस्येह कृष्णसेवाप्रदर्शने ॥१३॥  
 प्रदर्शनेन नोद्घासे हृचुद्धारः स्वोपदेशातः ॥  
 दुर्लभत्वे तु तस्यापि हृचनार्थवचसा स्फुटे ॥१४॥  
 स्वयं वा कृष्णसेवैका निजोद्युतिकर सदा ॥  
 कर्तुरुच माँहृचदम्भादिदोषराहित्यवर्णनाम् ॥१५॥  
 सेवोपदेशीशादेः सिद्धान्ते दातृकर्तृकम् ॥  
 सेवाप्रदर्शने तैव जनतोद्घारकारणम् ॥१६॥  
 "जनशिक्षाकृतेकृष्णभक्तिकृदवृशाज्ञ" इति ॥  
 प्रदर्शने हि सेवायाः नवेषं न विलङ्घयते ॥१७॥  
 जनशिक्षात्वाच कृष्णसेवा स्वादत्र वै फलम् ? ॥  
 अन्ये किमन्तराङ्गुना जनानां शिक्षणेन तु ॥१८॥  
 गुह्यतादिति चेनात्र दम्भादिरहित सदा ॥  
 श्रीकृष्णसेवापत्ता प्रथमा योग्यता मता ॥१९॥  
 प्रदर्शनकृते सेवा कृता चेद् दर्शितैव हि ॥  
 नो भक्तिर्नैव धर्मो वा जनोद्घारकः क्वचिचिद् ॥२०॥  
 नाम्भीतेन निजाचार्यनिन्दनं किमु कार्यं ? ॥  
 इति चेनाहि तन्नास्ति कृष्णभक्तिप्रदर्शनम् ॥२१॥  
 उच्यते किन्तु कर्तुरुत्वं हृचनापिडलबोधकम् ॥  
 आचिनोति शास्त्राणि स्वांचारे स्वापयत्यपि ॥२२॥  
 यश्चोत्तदिशात्यन्यान् तमाचार्यं विदुर्जनाः ॥  
 निवेद्येऽप्येवमेवादुराचार्यचरणाः स्फुटम् ॥२३॥  
 "उपदेश्यहि तां सेवामुक्तमां यदि मन्यते ॥  
 स्वयमेव कुतो नायं कृष्णसेवापरो भवेत् ?" ॥२४॥

इति हेतोः सदा कृष्णसेवायां तत्परं जनम्॥  
 संवीक्ष्य वै गुरुं कुर्यात् साधनं हीदमादिमम्॥२५॥  
 तस्मान्नैवोपदेशोहि प्रदर्शनम् अपेक्षयते॥  
 न परार्थं ततः कृष्ण-सेवा सिद्धान्तसम्मता॥२६॥  
 अथापि चेत् प्रश्ननं मतं वरं ति साधनं  
 कृतं तदा कृतेन कार्यिकेन सेवनेन तु  
 यतोहि वर्ततेऽधुना तु साधनं हि वीडियोः॥  
 प्रदर्शयते कुतो न तेन वार्यिकं हि सेवनम्॥२७॥

इति श्रीमदगोपस्वामिदीक्षितात्मजेन श्यामसनोहरेण विरचिता  
 'सेवोपदेशदीक्षा' - 'सेवोपदेशृ' शीर्षकान्तर्नात्मसंकलितविषयवाक्यविचारे  
 'विमर्श' विशोधनिका



'सेव्यस्वरूप'शीर्षकान्तर्गत संकलित  
 विषयवाक्यविचारमूलक  
 विशोधन

(विषयवाक्य)

(क)गुप्तो हि स्तो स्तत्वम् आपद्यते—अगुप्तो स्तो  
 स्ताभासः स्यात् (सुबो १०।१८।५—१०।५१।४॥).

(क)गुप्त रखेपर ही रस स्त रह पाता है—प्रकट  
 होनेपर वही रस स्ताभास बन जाता है (तत्रैव)..

(ख)सच्च हुलीभद्रिति तेनापि वक्तव्यं प्रकारम् आह—  
 तदभावे स्वर्यं वापि मूर्ति कृत्वा होते: क्वचित्।

परिवर्यां सदा कुर्यात् तद्यूर्धं तत्र च स्थितम्॥

'तदभावे' इति. 'क्वचिद्' देशविशेषे सत्परिपन्थानाम्  
 अभावयुक्ते, 'हे: मूर्ति कृत्वा' भजेत्. अयमेव अय  
 मार्गास्त्र प्रकारः उत्तमः यत् मूर्ती कृतं सर्वं भगवति कृतं  
 भवति. तत्र मूर्ते: भगवत्वं वेदा निरूपयति 'तद्यूर्धम्' इति.  
 वस्तुविचारण सर्वेष्य भगवद्व्रूपत्वाद् विशेषस्तु अयम् : 'एनम्  
 उद्भरिण्यामि' इति तदा मुदादेः प्रादुर्भूतो, अक्षितमार्गानुसारेण  
 आह 'तत्रच स्थितम्' इति ( त.दी.नि.प्र. २१२८ ).

नु अत्र मूलएव कुठापातः ! इति आकांक्षायां, कले:  
 बलिष्ठेन अग्निमेषु युच्छक्षणाभावम् आलोच्य स्वमिलेव  
 एतन्मार्गांग्यापुरुत्वं नियच्छनः आहुः 'सच्च' इत्यादि. 'तदभावे'  
 इत्याद्याजापनद् इदं जात्वा करणे, "यस्त्विलक्ष्या कृतः पुम्हिः  
 आभासो हच्यत्वात् पृथग्" इति आभासत्वाभावः सेवायाः,  
 तृतीयवक्त्रन्योक्तमीद्याभावः च सेवाकर्तुः समितिः. स्वयमेव  
 सेवाकरणेऽपि प्रकारविशेषसन्देहे तादृगः यदि मिलन्ति तदा

**प्रकारांशे प्रष्टव्याः इत्यपि सूचितम् ( त.दी.नि.आ.१२२८ ).**

(ख)ऐसा गुरु तो बड़ी कठिनाईसे ही मिल सकता है अतः कभी न मिलनेपर क्या करना चाहिये यह अब दिखलाया जा रहा है- ऐसे गुरुके न मिलनेपर भगवान् श्रीकृष्णकी मूर्तिको ( अपना आराध्य ) बना कर उसकी परिचर्या-भजन तो सदा करना ही चाहिये. क्योंकि मूर्तिमें भगवान्नका रूप एवं सत्त्व दोनों ही विद्यमान होते हैं. यह किसी ऐसे देशमें कि जहाँ सज्जनोंसे दुर्व्यवहार करनेवाले लगा न रहते हों, श्रीहारिकी मूर्तिको ( अपना आराध्य ) बना कर भजन करने लग जाना चाहिये. भजनका यहीं प्रकार ऐसी अवस्थामें इस मार्गमें उत्तम है. जो-जैसा कुछ भगवान्मूर्तिके लिये किया जाता है, उसे साक्षात् भगवान्नाथन ही समझ लेना चाहिये ( त.दी.नि.प्र.१२२८ ).

यहाँ एक ऐसी शंका उठती है कि जिसके कारण इस बातके मूलपर ही कुठारायात हो जाता है- जैसा गुरु श्रीमहाप्रभुके अनुसार इस मार्गमें अपेक्षित है, वैसे लक्षणवाला अक्षित आगे चल कर कलियुगके बलवान् होनेके कारण यदि उपलब्ध न होता हो तो क्या करना चाहिये? इस समस्याके समाधानप्रयेषण श्रीमहाप्रभु एतन्नार्थाय गुरुत्व स्वयमें ही प्रस्थापित करते हुवे कहते हैं कि निर्दिष्ट लक्षणयुक्त गुरुके न मिलनेपर जो स्वयमेव भगवत्सेवामें प्रवृत हो जाता है उसके द्वारा की जाती भगवत्सेवामें “थस्तिव्युच्या कृतः पुमिः आभासो ह्याश्रमात् पृथक्” इस वचनमें निन्दित धर्माभासता या पाषण्ड का आरोप नहीं लग सकता. और इसी तरह तृतीयस्कन्धमें निन्दित मुद्रात्का आरोप भी सेवाकर्तापर नहीं लग सकता. स्वयं ही सेवामें प्रवृत हो जानेपर भी, भगवत्सेवासम्बन्धी किसी

प्रकारविशेषके बारेमें जिज्ञासा होनेपर, किसी वैसे जानकार भगवदीयको मिलकर कुछ पूछ-जान लेने में कोई आपत्ति नहीं. यह भी सूचित होता है ( त.दी.नि.आ.१२२८ ).

**(ग)गुरुदत्तं स्वयं लब्धं भक्तैरपि सुपूजितम्।**

**व्यांगीयमपि सेवेत यदि भावो न बाधते॥**

( साध.दीपि.१० ).

(ग)भगवत्स्वरूप चाहे गुरुकेद्वारा अपने माँथे पथराया गया हो, या स्वयं कहींपर प्राप्त हुवा हो, या अन्य किसी भवतके द्वारा सुपूजित हो; अथवा खंडित भी चाहे क्यों न हो, परन्तु है वह है तो ‘अपने माँथे बिरजता सेव्यस्वरूपं’ ऐसा भाव उस स्वरूपके प्रति अखंडित रहता हो ( अर्थात् वहाँ ‘बॉटेज’ कम न लगते हों ) तो ऐसे स्वरूपकी ही सेवा अनन्यभावसे करनी चाहिये ( साध.दीपि.१० ).

**(घ)सेवायादिः समग्रोपि क्रमलैव विलिख्यते।**

**प्रकारेतेमत्तत् पूर्वं मूर्त्तिं सेवा विधीयते॥**

**मूर्त्तीं भगवत्ते ज्ञानं साकारावेशते मतम्।**

**भक्तिमार्गप्रकारेण ज्ञानतस्तु तदात्मता॥**

**पूजामार्गे वरेन्मन्त्रविद्यानात् पूज्यस्येवनम्।**

**विशेषो भक्तिमार्गेऽद्यं पुरुषोत्तमलयिणः॥**

**मणिस्पर्शेन ताम्रादि सीवर्णमिव तत्त्वतः।**

**अतस्तत्र कृतं सर्वं साक्षात्कृष्णे कृतं भवेत्॥**

( श्रीहस्तिरायकृत : स्वमा.शर.सम.से.नि.३-४१ ).

(घ)अब समग्र सेवायादि क्रमशः लिखी जाती है. उत्तम प्रकार होनेके कारण सर्वप्रथम मूर्तिकी सेवा कही जाती है. भक्तिमार्गिक प्रकारके अनुसार मूर्तिमें प्रभुका ज्ञान प्रभुके साकार होनेके कारण एवं मूर्तिमें आविष्ट

होनेके कारण मान्य किया गया है। ज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाये तो सब कुछ भगवदात्मक होनेसे मूर्ति भी साक्षाद् भगवद्वूप ही होती है। पूजामार्गिक अनुसार प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रादिकी विधिके कारण मूर्तिम् पूजनीय प्रभुकी सेवा प्राप्त होती है भक्तिमार्गिं, किन्तु, अंच मार्गोंकी अपेक्षा विशेषता यह है कि मूर्ति स्वयं पुरुषोत्तमरूप मानी गयी है (विष्णु, प्रतिनिधि या केवल अक्षरात्मक नहीं)। जैसे पारसमणिके स्पृशसे तांबा आदि धातु तत्वतः सुवर्ण बन जाती हैं, वैसे ही मूर्तिके साथ किया गया भक्त्युपचार तत्वतः साक्षात् श्रीकृष्णके प्रति किया गया भक्त्युपचार हो जाता है (श्रीहरिरायकृतः : स्वमा.शर.सम.से.नि.३९-४१)।

(इ) स्वमार्गीसेव्यरूपस्य चिन्तने रीतिरुच्यते।  
 तदेकहृदयस्थायी तद्भावः कृष्णएव हि॥  
 लीलासहस्रवलितः सामग्रीसहितस्थाय।  
 भावानीयः सदानन्दः सदानन्दादिलालितः॥  
 इदेवेक्तमाचार्यः सिद्धान्तस्य निरूपणो।  
 “आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेवे” ति यद्यच्चः॥  
 तदाशयत्तु विवृतः कृपयैर्मेया।  
 अद्वगत्य जना: सर्वे चिन्तनयन्तु हर्ति सदा॥  
 (श्रीहरिरायकृत श्रीमद्भौशिंघवनप्रकारः : १-१३)।

(ड) स्वमार्गीय सेव्यस्वरूपके चिन्तनका प्रकार अब कहा जाता है... पुष्टिभवतके हृदयमें स्थित जो भक्तिभाव है वह निश्चित श्रीकृष्ण ही हैं, जो श्रीकृष्ण अनेक लीलायुक्त हैं और उन लीलाओंकी सामग्रीके सहित बिराजमान रहते हैं। ऐसे सदानन्दरूप और सदा श्रीनन्दादि ब्रजभक्तोंद्वारा सेव्यमान श्रीकृष्णका ही भावन करता चाहिये। सिद्धान्तमुक्तावतीमें “आत्मानन्दसमुद्रमें स्थित श्रीकृष्णका ही चिन्तन करना चाहिये” इस वचनद्वारा श्रीमहाप्रभु

यही बताया है। उसके आशयका विवरण प्रभुचरण श्रीगुरुसार्विकी कृपासे मैंने किया ताकि सभी लोग उसे भलीभांति समझ कर सदा श्रीहरिरायकृत चिन्तनप्रकार कर पायें (श्रीहरिरायकृत श्रीमद्भौशिंघवनप्रकारः : १-१३)।

(च) भक्तिमार्गास्थितेः श्रीमद्वार्चार्यपदसंश्रितेः।  
 सेव्यमानं सदा भावनिरोधं साधयेद् ध्वम्॥  
 (श्रीहरिरायकृत स्वमार्गायस्वरूपस्थापनप्रकारः : १८)।  
 (च) श्रीमद्वार्चार्यचार्योंके आध्य धारनेके सौभाग्यशाली ऐसे भक्तिमार्गीद्वारा पुष्टिभावोंसे (प्रवाही भावोंसे नहीं) सदा सेव्यमान प्राप्तु निश्चित ही निरोध-प्रपञ्चविस्तृतिरूपकृत भगवदासक्ति - को ‘सिद्ध करो’ ही (श्रीहरिरायकृत स्वमार्गायस्वरूपस्थापनप्रकारः : १८)।

### (संशय)

संशय इन वचनोंके आधारपर यहां यह उठता है कि पुष्टिमार्गमें भगवत्त्वरूप भावात्मक होनेसे रसात्मक होता है और अतएव वह भावात्मिका सामग्री और भावात्मिका सेवा का ही अंगीकार करता है, यह बात यदि सत्य हो तो (क) वचनके आधारपर न केवल स्वरूप अपितु सेवा-सामग्री सभी कुछ संगोपनीय होनी चाहिये। यों इस सुवोधीनीके वचनकी तात्पर्याङ्कका ‘सेवाप्रशस्ति’ शीर्षकात्मक पूर्वोदाहृत भगवद्भावाविक्षणनिषेधपरक “लोके रथं भगवद्भावम् अनाविष्कुर्वन् भजेत्” (अणुभा.३४४१) आध्यवचनके साथ समन्वयसाधिका बात लगती है। इस अधिप्रायकी श्रीगोपीनाथप्रभुचरणकी सेवा या सेव्य के प्रदर्शनकी अनुसा “स्वीयान् भक्तान् प्रदशयेत्” (सा.दी.१८) के साथ तुलना करनेपर ऐसे ‘स्वीय भक्तोंके पूर्वोक्त सामान्यनिषेधका अपवादरूप विशेषविधान स्वीकारना पड़ता है। उसके बाद कोई स्वीय भी हो और देवतानातका भक्त भी हो तो उसे दर्शन करने कि नहीं? इसका स्पष्टीकरण पूर्वोदाहृत श्रीहरिरायचरणके “११.अपराधः=अवैष्णवस्य सेव्यप्रदर्शनम्,

फलं-वार्षिकसेवानिष्ठलत्वं, प्रायशिंचत्तं=पञ्चामुतसनानम्, ३६तमो अपराधो भगवानामा याचनम्, फलं=उपर्यानेष्टलत्वं, प्रायशिंचत्तं=पञ्चगुणितवैदेयदानम्” (षट्ख.अप.फ.प्राय.) वचनमें उपलब्ध होता है। अतः यहां भी पुः सामान्यविशेषभाव संगति ही सुन्दर होती है। पुनः जैसा कि विमर्शकरने भगवत्सेवाका एक वचन उद्धृत किया ही है कि “अपने ठाकुरजीके दर्शन अन्यमार्गिकों न करावने यहू जातायो” (दो सौ बाबन वार्ता : ३१९) तो यहां सामान्यविशेषभावुपाती बन कर या तो वैष्णवोंमें भी कदाचित् स्वभागीय वैष्णवके ही दर्शनाधिकारकी नियतिका अथवा अधिकाधिक अस्वभागीय वैष्णव भक्तोंके भी दर्शनाधिकारके नियमका विधायक बन कर अपने सेव्य तथा उनकी सेवा के एतदितके दर्शनाधिकारके नियमें पर्यवसित होगा। (ख) वचनमें जैसा निरूपण मिलता है तदनुसार सेवांगीकरणार्थ “एनम् उद्धरिष्वामि” पदप्रयोगवशात् भगवान्नका यह विशेष प्राकृत्य ही होता है, सर्वजनसाधारण प्राकृत्य नहीं। अतएव ६६ अपराधान्तर्ता ३६ वां अपराध भगवत्सेवाके नाम ले कर परायोंका द्रव्य/सामग्री ले कर सेवामें विनियोगाका पुष्टिभावके साथ ३६ आंकड़ेका सम्बन्ध है यह किसीरो वार्षिकी वार्तामें — “तब श्रीठाकुर्जी बोले जो तेने मेरेलिये सामग्री क्यों लीनी? सो हम कैसे आरोगे?”(वार्ता) यामें यह जाताये जो वैष्णवकर्मा औरकी सत्ता-सामग्री अपने श्रीठाकुर्जीको आरोगावनी—नाहीं। और कक्षु वैष्णवपरेते लैके श्रीठाकुर्जीको विनियोग न करावाने। दो श्रीठाकुर्जी अंगीकारा न करें(अ.प.)” (२५२ वैष्ण.वा. २०१२) आते इस नियमके साथ एकवांक्यता करनेपर यह बात और भी पुष्ट हो जाती है।

स्वयं विमर्शकरने भी ‘पुष्टिने शीतल छांगड़े’में पहले यह सिद्धान्त स्वीकारा ही था—

“पुष्टिमार्गमें जो स्वरूप अपने मांथे पथराया जाता है वह प्रभु(स्वरूप) और उनकी सेवा प्रत्येकको व्यक्तिगत रूपमें उसकी भावनाके अनुसार पथराया जाता है। अपने

श्रीठाकुर्जीकी सेवा पुष्टिमार्गीय जीवका एकमात्र निवी कर्तव्य बन जानेवाला निजी धर्माचरण है। पुष्टिमार्गमें सेवा समूहिक जीवनका विषय नहीं परन्तु व्यक्तिगत जीवनका विषय है। जैसे लोकमें पल्ली अथवा माता का पति अथवा पुत्र की सेवा या वास्तव्य प्रदान करना उनका व्यक्तिगत धर्म कर्तव्य और अधिकार होता है। इसी तरह जिस सेवकका जो सेव्य स्वरूप हो उनकी सेवा करनेका उसका व्यक्तिगत धर्म और अधिकार होता है। सेवा यह कोई सार्वजनिक प्रवृत्ति नहीं परन्तु सेवा तो स्वयंके आन्तरिक जीवनके साथ सम्बन्ध स्वेच्छावाली अपने जीवनकी अपने घरमें की जाती स्वधर्मरूप प्रवृत्ति है।”  
(पु.शी.छां.पु.सं.१५७).

अब, परन्तु, वही व्यक्ति ‘विमर्शमें’ “सेवार्थं अनुसुंहृत्यूर्धक द्रव्यग्रहीता एवं द्रव्यसे सम्पन्न प्रसादके ग्रहीतामें देवलक्तव्यादि नहीं” (विम.पु.सं.३३) ऐसा विपरीत विधान करे तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवत्सेवार्थ पदव्य लिया जा सकता है या नहीं इस बारोंमें पुष्टिमार्गमें वैष्णव अनुयायी तथा वैष्णव गुरु यों दोनोंकेलिये अलग-अलग तरहके नियम हैं!

क्यां सचमुच्चों ऐसा ही सकता है, यह भी संभव होता है। कहीं ऐसा तो नहीं जब अपेनपर कोई कानूनी आपत्ति आये तब पू.पा.गोरखामियोंकी भगवत्सेवा निवी कर्तव्य और निजी गृह की प्रवृत्ति बन जाती है और जब वह बाधा निवृत्त हो जाये तो पुनः भगवत्सेवा गुह-शिष्योंके बीच आर्थिक आदानप्रदानकी समुदायिक प्रवृत्ति। एतदर्थ हम देख सकते हैं कि पू.पा.श्रीब्रजरालताल महाजनश्रीने नडेयादकी सैदानिक गवाहीमें वैष्णवोंके द्वारा पू.पा.महाराजोंके हवेलियोंमें न तो तनुजा और न वितजा सेवा की कोई पद्धति होनी स्वीकारी थी। साथ ही साथ इस स्पष्टीकरणके साथ ऐसा व्यवहार कहीं चलता हो तो उसे पुष्टिमार्गीय

नहीं माना जा सकता। वह गवाहीके तोरपर परन्तु सूरत-बड़ौदा-कलोल की स्वयंकी हवेतियोंको सन् ८०में निजी धोषित करवानेको तत्कालीन असीस्टेंट चेरीटी कमिस्नर श्रीमान् एन.के.ज्वेरीके समक्ष प्रस्तुत सिद्धान्तके नमूने कुछ देखेने लायक हैं :

"All celebration, seva, puja of a deity is made by maharajshri. Vaishanav or public has nothing to do for that"(p.10). "As against that it is the case of the opponent that whatever offerings or gifts are made they are made to maharajshri...All celebration seva, puja of a deity or idol is made by maharajshri or Acharya. Vaishana or public has nothing to do for that" (p.12).

और इस तरह निजी मान्य कर कर कानूनी बाधा दूर हो जानेपर अब केवल एक ही युग अर्थात् बारह वर्षिके बाद मुः सकल शिष्टाचारकी दुहाई दे कर वैष्णवोंसे द्रव्य लेनेका सिद्धान्त प्रकट हो गया है 'विमर्श' में देखिये :

"किशोरी बाईको जिस वैष्णवने ठाकुरजीकेलिए सामग्री दी है वह विश्वोरी बाईके परिवारका है या शिष्य है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। सकल शिष्टाचारके अनुसार परिवार आदिके द्वारा प्रदत्त सामग्रीका भगवत्सेवामें विनियोग करना मान्य होनेसे किशोरी बाईकी वातिंके भावप्रकाशमें वर्णित नियमको परिवारजन तथा गुरुशिष्य स्थलमें न मानना ही उचित है।"

"सेव्यसन्तोषजनकक्रिया सेवा कहलाती है। ऐसी स्थितिमें शिष्योंद्वारा गुरुधरके ठाकुरजीकिलिये सोंपे गये द्रव्यपर शिष्योंके स्वत्वको रखना या न रखना गुरुके सन्तोषपर निर्भर रहता

है।"

(विम.पृ.सं.११—१३).

ऐसा सिद्धान्त प्रकट हो गया ! अतः ऐसी परस्पर विरोधाभासी स्वीकृतियोंको देखनेपर वास्तविक सिद्धान्तके बारेमें संशय उठ जाना स्वाभाविक ही है। अतः पूर्वस्वीकृतिके आधारपर सेवा/तत्सामग्री भी सार्वजनिक प्रदर्शनार्ह नहीं हो सकती। नूतन विमर्शकी आधारपर हो सकती हैं।

वैसे गुरुद्वारा पुष्ट किये गये हों या नहीं, भगवत्स्वरूपके भावत्वमें, महाप्रभुके अनुसार, कोई न्यूनाधिक भाव तो होता नहीं है परन्तु वह भगवत्व युनः सेवार्थ समुद्घात भक्तविद्योपके विशेषवाचोंका ही अनुकारी होता है या सर्वसाधारण जनताके सर्वसाधारण भावोंका भी अनुकारी हो सकता है ?

श्रीमुखोत्तमजीद्वारा किये गये (क)वचनके व्याख्यानके अनुसार इस प्रकारकी सेवा करनेमें गुरुद्वारा सेवाकर्ताकि आत्मविदेनदीक्षामें दीक्षित होने या सेव्यस्वरूपके पुष्ट किये जानेको अनिवार्य नहीं माना गया है। और ऐसा करनेमें, श्रीमुखोत्तमजीके अनुसारे, न तो धर्माभास न पाषण्ड और न मृदुता आदि दोषकी ही कोई संभावना सोची जा सकती है। अतः पू.पा.गोस्वामियोंके ही यहां स्वमार्गायि वैष्णव भक्तोंके लिये भी बाह्य तनुजा या विनजा सेवा करनेकी रीति पुष्टिमार्गमें कोई आवश्यक कर्तव्य सिद्ध नहीं होती।

ऐसी स्थितिमें इसे नियत कर्तव्यतया दिखलाना अनुयायिजनोंको कुपथपर चलनेको बरगलाना है कि नहीं? भगवत्स्वरूप और भगवत्सेवा

का प्रचलित व्यावसायिक प्रदर्शन पुष्टिमार्गमें क्या न केवल अनावश्यक है अपितु मूल भगवत्स्वरूपके सिद्धान्तके भी विपरीत होनेसे वर्जनीय ही होता है या नहीं? (ग) कोष्ठकात श्रीगोपीनाथप्रभुचरणके वचन भी इसके उपोद्घाततया ही समझे आते हैं। अन्यथा “‘गुरुदत्तां/ स्वयं लब्धां’” का विकल्प या तो अर्थहीन अनुज्ञा सिद्ध होगी या फिर इसका अन्य कुछ अभिप्राय खोजना पड़ेगा। (घ), (ड) और (च) कोष्ठकात श्रीहरिरायजीके तीनों वचनोंके आधारपर भी तथाकथित गोस्वामिवर्गके परार्थ सेव्य भगवत्स्वरूपों के बीच किसी भी तरहका तात्पर्य तो किसी भी तरह इंगित होता नहीं है।

अतः न तो महाप्रभु, न प्रभुचरण और न श्रीहरिरायजी के ही इन उद्भूत वचनोंको देखनेपर तथाकथित ‘शिष्टाचार’ या प्रचलित अन्धरुदि की कोई सैद्धान्तिक संगति प्रतीत होती है। सभी भगवत्स्वरूप समान ही हों तो अपने आराध्य भगवत्स्वरूपको छोड़ कर अन्यत्र दर्शनार्थ भजनार्थ प्रसादग्रहणार्थ अथवा निजद्रव्यविनियोगार्थ भटकना क्यों आवश्यक माना जाता है? ऐसी स्थितिमें गोस्वामिओंद्वारा सेवित भगवत्स्वरूपोंके दर्शनादि ही जब पुष्टिमार्गमें नियत कर्तव्यतया प्राप्त न होते हों तो “न स्वैरी स्वरिणी कुतः?” न्यायेन गोस्वामिसेवित स्वरूपोंके दर्शन मनोरथ भेट या सामग्री पुष्टिमार्गमें न केवल जलताडनवत् निष्योजन कुर्ति अपितु मार्गिक्रोह भी क्यों न मान लेने चाहिये?

फिरभी विगत डेढ़सो-दो-सो वर्षोंमें पनपी ऐसी परम्पराके अनुसार ऐसा करना अनिवार्यतया माना जाता होनेसे संशय होना स्वाभाविक

लगता है।

### (पूर्वपक्ष)

पुष्टिसिद्धान्तचर्चासभा (दि. १०-१३ जनवरी १२, पार्टें मुंबई) विमर्शकाराभिनन्दित चि. हरीरायजीद्वारा गृहीत पक्ष जैसा कि पहले कह आये है इस तरह था :

“पुष्टिमार्गीय वैष्णवके लिये जब सेव्य स्वरूप पधाराया जाता है तो वह स्वार्थप्रतिष्ठा होती है; परन्तु, पुष्टिमार्गीय... गुरु जो सेवा करता है, वो सेव्यस्वरूप स्वार्थ-परार्थ प्रतिष्ठा होती है, अर्थात् परार्थ भी होती है... (वैसे स्वरूपके यहां परार्थ भी होने पर भी स्वामित्व तो भगवत्स्वरूपपर गोस्वामी गुरुओंका ही होता है, वह बात कभी भूतनी नहीं चाहिये)”。

(विस्तृ.विव.पृ. १५९).

### (उत्तरपक्ष)

क्योंकि गोस्वामी गुरुओंके माध्यं विराजते स्वरूपोंमें कुछ अपवादोंको छोड़कर अवशिष्ट भगवत्स्वरूप प्राप्त: वैष्णवोंके ही माध्यं पधाराये जानेके द्वेषु महाप्रभु-प्रभुचरणद्वारा पुष्ट किये गये थे; अतः, उस भावप्रतिष्ठाको यदि हम अद्भुत मानते हो तो आज भी उन सोरेके सारे स्वरूपोंकी स्वार्थ ही भावप्रतिष्ठा स्वीकारनी पड़ेगी। यदि महाप्रभु-प्रभुचरणद्वारा स्वार्थप्रतिष्ठापित भगवत्स्वरूप गोस्वामिहूमें पुनः पधासेके कारण स्वार्थ + परार्थ = उभयार्थ बन जाते हों तो वह महाप्रभु-प्रभुचरणद्वारा सम्पन्न उत्तर भावप्रतिष्ठाको निवृत करके अथवा निवृत किया बिना ही? यदि निवृत करके तो वे भगवत्स्वरूप महाप्रभु-प्रभुचरणके निषिद्धस्वरूप नहीं रह जायेंगे! यदि निवृत किये बिना तो स्वीकारना पड़ेगा कि महाप्रभु-प्रभुचरणकी तुलनामें उनके वंशजोंका सामर्थ्य अधिक है, क्योंकि महाप्रभु-प्रभुचरणद्वारा स्थापित धर्मको भी हमारे पू.पा.गोस्वामिक्यु निवृत कर सकते हैं(!).

ऐसी स्थितिमें, परन्तु, क्योंकि प्रभुचरण अपने छहे लालजीको श्रीबालकृष्णलाल पथगना बाहरे थे एतावता उनमें आज भी वृष्टव धर्म अक्षुण मानेकी बात उपर्यन नहीं हो पायेगी! क्योंकि तीसरे दरमें विराजनेके कारण सुप्रियस्थ श्रीबालकृष्णलालजीमें तृतीयनिधित्व अथवा उपतृतीयनिधित्व ही प्रकट हो पायेगा। ऐसी स्थितिमें महाप्रभुके कालमें जो श्रीनाथजीके सेवाप्रकारमें मंदिर तथा दर्शन का जो प्रावधान था वह भी अक्षुण नहीं रह जायेगा। क्योंकि सत्पराम (मुहुर) में प्रभुप्रणके गृहमें पाट विराजते ही वह प्रावधान निरत हो जायेगा! इसके अलावा श्रीनाथजीकी सेवामें बिना ब्रह्मसम्बन्धदीक्षा लिये हुवे बंगालिओंको साकाशत्वरूपसेवाका अधिकार था सो शिखाचारपारिपाठिके अनुरोधवां आज भी भगवत्सेवाधिकारार्थ पूरा-पुराईओंसे ब्रह्मसम्बन्धदीक्षा अनिवार्य नहीं रह जायेगी। ऐसी स्थितिमें पूरा-पुराईओं और पुष्टिमार्गीय वैष्णवोंके बीच गुरु-शिष्यभाव भी अनिवार्य न रह जानेसे उस सम्बन्धते वैष्णवद्रव्यांगीकार पुरुः किशोरी बाईकी बाताविमर्शानुसार अवैध हो जायेगा।

वैसे जहां तक चि.महाकविद्वारा अंगीकृत पक्षोंका प्रश्न है तो उनकी जांते तो प्रायः ग्रन्थवाचोदयार्थ केवल काव्योत्तोकासदृशा ही होती है। इस विषयमें किसी तरहके प्रमाणकी अपेक्षा हो तो चि.महाकविद्वारा विरचित श्रीमद्भगवत्भाषालक्षण्य नामक ग्रन्थ, जिसमें ग्रन्थकाके निरंकुशकल्पनाकौशलके प्रदर्शनवारा समाधिभाषाका लक्षण घोडे-गोथेमें भी अतिव्याप्त हो रहा है, उमरें स्वयं चि.महाकविके स्वयंके शब्दोंमें पुष्टिभक्त्याधारभूत समर्पणके बारेमें उनकी समझ देखने लायक है—

“यद्या न्यायो अयं भद्रच्या व्युत्पाद्यते उत्सर्गो नाम दानम्,  
अर्थात् त्यागः, स्वेच्छाया कृतिः। तथादि जीवात्मा यदा  
स्वविभन्त्वेन देहेन्द्रियदाराऽग्राम्याद्यवच्छेदकम् अहंताममता-  
रूपाविद्यावच्छिन्नं जीवत्वम् आत्मना सह भगवत्कृपया  
सर्वामिभावेन भगवत्तं भजन् तत्त्वरणारविनद्योः स्वसर्वस्वम्  
अतःकरणेन समर्पयति निरुणपुष्टिमार्गानुरोधात् तदा सएव

भगवदनुग्रहैकलभ्य उत्सर्गः इति ज्ञेयम्。”

(श्रीम.भगा.भा.ल.पु.सं.६४).

“ईश्वर अल्ला तेरे नाम सबको समर्पि दे भावान!” अब क्या कहना? “उत्सर्ग” यानि दान और ‘दान’ यानि समर्पण! वैसे विविधत सन्दर्भमें स्वयं ‘उत्सर्ग’पर श्रीमहाप्रभुद्वारा तो “बलवद्वाधकापीट्यत्व” रूप सामान्यशास्त्रके अधिप्रायवश ही प्रयुक्त है, जहां भृकृतर सोचना भी स्वयंमें एक अकाण्डताण्डव ही है। फिर्भी महाप्रभुको अभिलिप्त अधिप्रायके अनुसार लेनेमें महाकविको अपने बुद्धिकौशलके प्रदर्शनका अवकाश न मिलता हो तो इस पदका औसतिक अर्थ तो पुनः “स्वातुयोगिक्रापाचवस्तुप्रतियोगिकसम्बन्धविद्वद्वा” रूप त्याग ही होता है। यह त्यागरूप उत्सर्ग, परन्तु, सम्प्रदानक होनेपर ही दानवर्धक माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि दान तो “स्वस्वत्वनिवृत्पूर्वकपरस्तवत्वोत्पादानातुकूलः तुभ्यम् अहं सम्प्रददे न मम्” इत्यादिशब्दभिव्यङ्ग्यो मनोव्यापारः” रूप होता है, जो प्रत्येक उत्सर्गके उदाहरणों अनिवार्य नहीं होता। जबकि ‘समर्पण’/‘निवेदन’ पदोंका अर्थ तो “तदीयत्वानुसन्धानपूर्वकः स्वत्वाभिमानत्यागानुकूलत्वायापारः तुभ्यम् अहं समर्पयादि/निवेदयामि इत्यादिशब्दभिव्यङ्ग्यो मनोव्यापारः” रूप होता है, यह श्रीपुरुषोत्तमजीने नवरत्नविविधकशमें सुन्पत्त पृथक्करण दिखलाया ही है; फिर्भी, महाकविकी मनोवृत्ति “शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नराः मनांसि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति... (महाकवयः!)” उक्तिकी बाँकेस याद दिलाती है!

अब भला पूछा जाये कि “(उत्सर्ग = दान) = समर्पण” ऐसा समीकरण वहां प्रस्तुत करनेपर “दाने हि न स्वविनियोगो ननु निवेदे। अन्यथा निवेदितानादे: भोजनं न स्वात्” (नव.रुप्रका.१) इस प्रभुप्रणके वचनकी क्या गति होगी? तो मान कर चलना पड़ेगा कि फिरसे कोई शाखाक्रमण करके “तटस्थ मध्यस्थके सामने सारे स्पृष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता हूँ अन्यथा नहीं!” ऐसा कुशकाशालकृत्व ही एक गति रह जायेगी! “स्वभावो दुरप्रिक्रमः!”

“शास्त्रेषु भ्रष्टाः कवयो भवन्ति” तो सुना था परन्तु “तत्र महाप्रिणाः कदाचिद् महाकवयोऽपि भवन्ति” तो हमारे महाकविद्वारा ही चरितार्थं हुवा है! यह तो निश्चय ही महाकल्पनाकौशलकी महासाहित्यकाका महाप्रमाण है! अस्तु.

प्रकृतानुसरणार्थ महाप्रभु या प्रधुरचण जब ठाकुरजी पधारते थे तो किसी व्यक्ति या परिवार के मांथे ही पधारते थे। इसमें, परन्तु, यह अवधेय है कि श्रीनाथजी और अन्य कुछ ऐसे भगवत्स्वरूप आपने किसी एकके मांथे पधारते के बजाय देवालयविधिसे पराये थे। अतः ऐसे भगवत्स्वरूपको सर्वजनोदाक माननेकी परिपाटी रही है। इसे ही तन्त्रशास्त्र ‘पार्थिप्रिण्ठा’ कहते हैं। ऐसे स्वरूपकी सेवाके गोपनकी आवश्यकता भी उपलब्ध नहीं होती। इस परार्थ-स्वार्थके अन्तराका निरूपण सुविशदित्य द्विरूप प्रकरणमें हो ही चुका है। अतएव महाप्रभुका “...जो श्रीठाकुरजीकी इच्छा यह है जो जगत्में पुजाय बहोत जीवको उद्धर करें। सो देवालयकी रीति यहां राखनी उचित है” (४४ वैष्ण.वा.२४१) विधान भी तो वारासाहित्यमें उपलब्ध होता है।

यहां एक शंका उठ सकती है परार्थ प्रतिष्ठापित देवालयमें भी पुरोत्तमत्व तथा स्तापनकत्व तो स्वीकासा ही पड़ता है। अतः वहां भी भगवत्स्वरूपकी सेवाके प्रदर्शन करते से उसमें स्तापनाका “गुरुतो ही रसो रसत्वम् आपद्यते—अगुरुतो रसो स्तापनः स्यात्” (सुबो.१०१६५-१०१५१४४) वचनोके बलपर या तो स्वीकासी पढ़ोगी अथवा संगोपनकी अपरिहार्यता स्वीकासी पढ़ेंगी। यों दोमेंसे कुछ एक तो स्वीकासा ही पड़ेगा।

यह विभीषिका, परन्तु, घोड़शग्रन्थ तथा सुबोधिनी के अवलोकनसे वित्तुण्ण लोगोंके लिये कारागार बन सकती है अन्यथा नहीं। क्योंकि सर्वप्रथम तो “सेवाकृते: गुरोः आज्ञा बाधनं वा हरीच्छया” (नव.७)

बचनके अनुसार यह गुरुजीके अनुसरणका कल्प नहीं था परन्तु गुरुजीके बाधनका कल्प था। अतएव सुबोधिनीके अनुसार कहना हो तो “अन्यथाकर्तुं सामर्थ्यवच्चेन स्तापनास्त्रप्रकारेणापि रसम् उत्पादयितुं शक्तः” (सुबो.१०२१२१४) रीतिसे भगवान्के अन्यथाकर्तुं सामर्थ्यका यह कल्प या निर्दर्शन भी हो सकता है। एतावता अन्यथाकर्तुं असमर्थ जीवात्माओंको भवित जीवात्माओंके सहज धर्मकी तरह रसशास्त्रीय प्रक्रियाद्वारा निष्ठन होनेवाला एक स्वतन्त्र रस भी है अतः सो सर्वत्र स्तापनः—जीविकोपर्जनार्थ भासासेवाके प्रदर्शनद्वारा भक्त्यापास अर्थात् भक्तिके दम्भ या पाण्ड—= धर्माभासको सदैन्य प्रक करतेकी या गुरुजीके उल्लंघनकी अनुमति दी नहीं जा सकती। क्योंकि गुरुजीका अनुसरण औत्सर्विक कल्प है जबकि गुरुजीके बाधनका कल्प आपवादिक कल्प।

यहीं चिमाकविके कल्पनाकौशलवशा प्रकटी भीतिसे एक ऐसी आशंका हृदयमें जाग सकती है कि कहीं यहां भी उसी “भद्रचन्तरवशाद् उत्सर्गोऽदान्, दानं = समर्पणं” कल्पनाकौशलका प्रदर्शन कर गुरुजीके औत्सर्विक कल्पको भगवदाज्ञालब्ध कर्तव्यार्थ उसे देव अर्थात् समर्पणीय कहीं न मान लिया जाय।

वैसे यह एक वास्तविकता है कि आज उस आज्ञासिद्ध अपवादको हम आचारकी दुही देकर उत्सर्ग बना-मान कर चल रहे हैं। अतएव पूछा जा रहा है कि सूर्यसज्जीने जैसे अपुष्टिमार्गीय अभक्त बनियाको आग्रहपूर्वक श्रीनाथजीके दर्शन कराये थे; वैसे ही स्वगृहमें विराजमान भगवत्स्वरूपका भी प्रदर्शन अस्वभवतोंको क्यों नहीं कराया जा सकता? अपुष्टिमार्गीय दर्शनार्थी, परन्तु, जब कभी यह कहते कि श्रीनाथजीकी सेवामें गैरबहसम्बन्धी बंगाली भी जब नहा सकते थे तो हम क्यों नहीं नहा सकते? तब क्या जबाब देना? श्रीनाथजीकी निजेच्छावश उस समय अपवादके रूपमें जो कुछ करना पड़ा उसे औत्सर्विक सिद्धान्तके रूपमें मान्य करतेपर आज होकृष्णवाले अपरीकीओंको क्यों

सेवामें नहाने नहीं दिया जाता? यदि कहा जाये कि हरेकल्पवाले अमरीकियोंको ब्रह्मसम्बन्धीया नहीं होती तथा “आत्मविवेदिनों हि भावदभजनार्थः न इतरे। अतो निवेदो भजनाधिकारः... द्विष्टस्य वैदिककर्मणि गायत्र्यनुपदेशजासंस्कारवत्” (नव.विवृ.१) वचनके आधारपर ब्रह्मसम्बन्धीया के बिना सेवाधिकार सिद्ध नहीं होता होनेसे सेवा नहीं दी जाती। तो मीराबाई जैसे अस्वामार्गीय भक्तवतो दर्शन करवानेके उदाहरणके आधारपर अस्वामार्गीयके समर्पणे कृष्णसेवाप्रदर्शनका औचित्य जैसे सिद्ध किया जा रहा है, वैसे ही बांगालियोंको साक्षात् स्वरूपसेवाकी अनुमतिके उदाहरणके आधारपर अब्रह्मसम्बन्धियोंको प्रदर्शनमान कृष्णसेवाके व्यवसायमें थैंड-न्योडावर ले कर साक्षात् स्वरूपसेवाकी अनुमति क्यों नहीं दी जाती? बांगालियोंको बिना ब्रह्मसम्बन्धके श्रीनाथजीकी साक्षात् सेवाका शिष्टाचार महाप्रभुके समर्पणे प्रभुचरण श्रीगोपीनाथजी तथा श्रीविठ्ठलनाथजी के काल तक तो था ही। उसके आधारपर ब्रह्मसम्बन्धियबुद्धचा साक्षात् सेवाकी अनुमति प्रदान करनेमें कोई भी दोष हो नहीं सकता। अतः ब्रह्मसम्बन्धियोंको भी भक्तबुद्धचा साक्षात् सेवामुमति प्रदान करनेमें कोई दोष, कमसे कम विशर्षकारकी विचारनातिके अनुसार होना तो नहीं चाहिये था (इ. : चिप.पृ.२०५).

### बतर्ज पु.सि.सं.शि.चि.महाकवि —

“श्रीनाथजीकी सेवा जो प्रकट करी उसमें मन्दिस्सेवा और अब्रह्मसम्बन्धी बांगालियोंको साक्षात् स्वरूपसेवाधिकारका प्रावधान था। उस समय अब्रह्मसम्बन्धियोंके सेवाधिकारको सिद्धान्ततः स्वीकार लिया गया था!”.

परन्तु ऐसी छलनाभरी वातोंमें मूल हेतु यही दिखलायी देता है कि वल्लभवंशजत्व पुरुषोत्तमसेवारूपव्यवसायप्रदर्शकत्व देवलकल्प मुख्योत्तमपत्व अपतित्व अपाठकल्प दोराधारा-ताबीज-मन्त्र-झाड़फूक्कारित्व प्रसादविक्रेतत्व व्यावसायिकव्रजयात्रानायकत्व वैदिककर्मयज्ञानान्तव आदि जिन-जिन

उपाधियोंसे द्रव्य मिलता हो उसे कथंचित् बटोरे ही रहना हम गोस्वामियोंको अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य प्रतीत होता है! अतएव गो-बालकको भेट करके व्यावसायिक सार्वजनिक मन्दिर भी चलाया जा सकता है परन्तु गो-बालकसे ब्रह्मसम्बन्ध लिये बिना, गो-बालकसे पुष्ट कराये बिना कोई भगवत्सेवा भी नहीं कर सकता! इस तरहकी स्वार्थीया नीतिमें कितनी सैद्धान्तिक भक्तिभावना और कितनी व्यापारिक एकाधिकारितासे भी दुर्मनोद्वितावाली द्रव्यलालसा काम कर रही है, यह आजकी तारीखोंमें कोई गुप्त कथा नहीं रह गई है! अतएव शासी तथा वैष्णव भी अब सार्वजनिक हवेली खोलने लगे हैं। उन मन्दिरोंमें गुरुकी आजाके बिना भी मनोरथ करवाने लगे हैं: गुद्धार बिना ही मूर्तिको पुष्ट भी करवाने लगे हैं। भागवतकथाव्यास भी अब ब्रह्मसम्बन्धीया देने लगे हैं और वैष्णवगण लेने भी लग गये हैं। यह खुल्लम-खुल्ली उपेक्षा गोस्वामियोंकी जो होने लाई है, वया यह हमारी सिद्धान्तनिष्ठाविहीनताके प्रति सर्वथा और सर्वथा उचित ही प्रतिभाव प्रतीत नहीं होता। सिद्धान्ततः यह अनुचित होना चाहिये था परन्तु “नाभूतं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशृणपि” व्यायसे तो उचित ही लगता है।

अतएव “तदभावे स्वयं वापि मूर्ति कृत्वा होः क्वचित् परिच्छर्या सदा कुर्यात्” वचनमें गुरुलक्षणरहित निजवंशजोंद्वारा दी जाती दीक्षाकी या की जाती स्वरूपपरिषिष्ठाकी या सेवाकी आज्ञा आदिकी अपीरार्थाता निरस्त की ही गई है। श्रीपुष्पोत्तमजी भी इस भगवत्सेवामें स्वतःप्रवृत्तिको धर्मभिस या मूढ़ता नहीं मानते। विमर्शकार तो अपने-आपको श्रीपुष्पोत्तमजीके अनुगामीके रूपमें दरसाते हैं। अतः इसी इकार भी नहीं पायेंगे, चि.महाकवि तो प्रभुचरणके भी वचनोंके प्रामाण्य मानने भी बंधे हुवे नहीं ओर न अपने स्वयंके पितृघरणके तो बिचारे श्रीपुष्पोत्तमजीकी तो बिसात ही क्या? यह तो कर्तव्यविचारणाप्रयुक्त निरूपण हुवा।

तत्त्वचिचारणकी दृष्टिसे भी पुरुषोत्तमभजनकी स्वधर्मरूपता ब्रजभक्तोंके

भावोंके अनुसरणद्वारा ही उपदिष्ट हुयी है। ब्रजभक्तोंके सातमक भावोंका पात्रस्थानीय अर्थात् आलमन विभावात्मक स्वरूप यथायथ अवतारलीलामें कभी शुद्धसत्त्वात्मक वासुदेव व्यूह होता है अथवा कभी लोकवेदप्रसिद्ध पुरुषोत्तमः।\*

उन ब्रजभक्तोंके भावोंकी हृदयमें निरन्तर चलती भावनाके कारण श्रीपदाचार्यचरणके हृदयमें भी तत्त्वावात्मक भगवान् सर्वदा बिरजमान हहते हैं। इन महाप्राप्तुद्वयस्थितभावात्मक स्वरूपकी हृदयमें भावना करके जब भगवत्यूर्तिके अंगप्रत्यामें भवन्नाय सिसा जाता है तब वह भगवन्मूर्ति उस भावकी प्रांतस्थानीय आलंबनविभावं बनती है। उसमें साक्षात् सातमक पुरुषोत्तमकी भावना खड़े हुवे जब शुगारादि सेवा और सेवाके अवसरमें ब्रजलीलाके अनुभावन द्वारा सेवा-स्मरण करनेवालाका भाव बैधा मुरु होता है। तब वह भगवत्स्वरूप सेवा-स्मरण करनेवाले भवतके भी बाह्याभ्यन्तरमें आलंबनविभावात्मक तथा स्थायिभावात्मक स्वरूप धारण कर विभिन्न रसानुभावोंको प्रकट करने लगे जाता है। अर्थात् सेवा-स्मरणकर्ताको भगवान् उसके भावोंसे भावित होते हुवे निजनिरुद्ध बना लेते हैं। इसीका निरूपण श्रीहरीरायचरणने “भक्तिमार्गं स्थितैः श्रीमदाचार्यस्वरूपसंश्रितैः सेव्यमानं सदा भावैः निरोधं साधयेद् ध्युवम्” (स्वमार्गस्वरूपस्थानप्रकार)।

इस प्रथके प्रारम्भकी भी कुछ कारिकायें, अतएव, इस विषयपर प्रकाश डालती हैं :

प्रार्थयित्वा निजाचार्यान् ध्यात्वा तद्गदयस्थितम्।

भावात्मकं प्रभो रूपं सर्वलीलायुतं सदा॥

.....

रक्षामिषेण विहितं भावात्मस्थापनं प्रसी॥

\*प्रष्टुवः : “ननु प्रश्नोः रसात्मनः आलम्बनाभावे कथं प्राकदद्वः सम्पवः इति चेद् वासुदेवव्यूह्य शुद्धसत्त्वात्मकस्य अत्र प्रकटितस्य तत्स्थानियत्वात्”  
(भगवत्प्रादुर्भाविद्वान्तः).

स्वाचार्यसंश्रितैः तद्वन् मूर्तावपि हरिस्थितिः ।  
इदमेवोत्तम आचार्यैः भक्तिमार्पिकातः ॥  
‘तत्र च स्थितैः मित्यादि स भावात्मा हरिः स्मृतः ।  
( स्व.मा.स्वरु.स्थाप.प्रका.५-९ )

अतएव जबतक कोई ब्रजभक्तोंके तथा महाप्रभुके भावात्मक प्रभुको निजभावनासे भावित नहीं कर पाता तब तक भगवन्मूर्ति न्यूपातिन्यून भगवदाकारिणिश्च ब्रह्मसंदश केवल होती है अथवा अधिकमें अधिक सचिदानन्दात्मक स्पृष्टुषोत्तम भक्तिमावलम्बनरूप पात्रस्थानीय भगवन्मूर्ति। वह सातमक पुष्टिषुषोत्तमतया प्रकट तो किसी व्यक्तिविशेषकी ब्रजभावों तथा पुष्टिमार्गी भावोंकी भावनासे भावित होनेपर ही हो पाती है।

यहां “मल्लानामशनि” (भाग.१०।४३।१८)न्यायानुसार तत्त्व दर्शनार्थियोंके तत्त्व भावानुरूपध्यात्मा तत्त्वात्मिका भावात्मकी दर्शनका कल्प परार्थ देवात्मस्थ भगवत्स्वरूपके बोर्में सोचो जा सकता है, “कृत्वा तावन्तम आत्मानम्” (भाग.१०।३।०२।०२)न्यायानुसार स्वगृहापिष्ठित स्वार्थप्रतिष्ठापित भगवत्स्वरूपके सेवनका कल्प समजना कायिते। ऐसे स्वगृहापिष्ठित सातमकी स्वरूपकी सातमकीलानुभावनात्मक भजन यदि सर्वजनामें प्रदर्शनार्थ हो तो सर्वज्ञ परार्थ देवालय ही होनेमें बुराई क्या थी? प्रत्येक वैष्णव मोहल्ला गांव नगरमें एक-एक सार्वजनिक परार्थ पुष्टिमार्गी देवालयमें “मल्लानामशनि” न्यायसे अपने-अपने घरसे आकर गोस्वामी भी सेवा कर्मों नहीं कर लेते, जैसे दर्शनार्थी वैष्णव जनतासे वे अपने अर्थसंबंधकी दुर्लिलासावश अपेक्षा रखते हैं? इसमें आपत्ति हम क्या गोस्वामियोंको क्या हो सकती है? रोजी-रोटीके सवालका तो हल ऐसे परार्थ देवालयोंमें पौराणित्वात्मकी दक्षिणार्थे भी हो ही सकता था! इसमें देवालकर्ताके कलंकसे भी वबा जा सकता था!

अतः सिद्ध होता है कि स्वार्थप्रतिष्ठापित भगवत्स्वरूप अस्वीक्य भक्तोंके समक्ष तो अप्रदर्शनीय ही होता है। अन्यथा साभासताका दोष दुर्लभ ही रहेगा। “कृत्वा तावन्तमात्मानं”कल्पमें प्रत्येक कुमारिकाद्वारा

**व्यक्तिशः** अनुष्ठित व्रत एवं प्रार्थना को तावदभावपतिमें निमित्त माना गया है। यदि प्रत्येकको ब्रह्मसम्बन्धीया दिलवायी जाती है उसे कुमारीकाओंके व्रतस्थानीय मानें तो तावदभावपतन प्रभुके स्वरूप ही सेवनीय होते हैं। तब अन्यके समक्ष प्रदर्शनका प्रश्न कैसे उठ सकता है? “यूथाधिपितूष” नायके अनुसार स्वयूधके अर्थात् स्वीयभक्तोंको ही अपनी सेवाके दर्शनितुआगमे परिचारक सहभागी बनाया जा सकता है।

विमर्शकार कहते हैं-

“स्वमार्गीय वैष्णवको छोड़ कर अन्य किसीको भी अपने श्रीठाकुरीका दर्शन नहीं कराना चाहिये ऐसा यदि उस ‘अपने श्रीठाकुरीके दर्शन अन्यामार्गीयों न कराने’ भावप्रकाशवाक्यका तात्पर्यार्थ है तो प्रश्न आता है कि मीरासुईंको श्रीनाथीका दर्शन श्रीगुरुसुईंजीने कैसे कराया? गोविन्ददास खावासको नामसिंहेनके पूर्व श्रीगुरुसुईंजीने दर्शन कैसे कराया? सूदासाजीने उस बनियाको श्रीनाथजीका दर्शन कैसे कराया? अतः ‘स्वमार्गीय वैष्णवको छोड़ अन्य किसीको भी अपने श्रीठाकुरीका दर्शन नहीं कराना चाहिये’ यह भावप्रकाशवाक्यका तात्पर्यार्थ ही है। ऐसा नहीं स्वीकारा जा सकता अपितु ‘जो भगवदभक्त नहीं है ऐसे अन्यामार्गीयोंको भगवदभक्त ये नहीं हैं हय यह जानते हुने उद्धिष्ठित भगवान्नका दर्शन कराना निषिद्ध है’ इतना ही इस वाक्यका तात्पर्यार्थ है। यह स्वीकारना पड़ता है। उज्जीनिके पास हनेवाली ब्राह्मणीने वह साक्षत भगवान्‌का दर्शन करना चाहता है तो भगवदभक्त ही होगा यह समझ कर यदि उसे भगवान्नका दर्शन कराया होता तो कृष्णभट्ट यह न कहते कि ‘हमारे श्रीठाकुरजी बनज्यापार करत नहीं जो ऐसे लोगन्‌कों दिखाइये... और वे लोग ऐसी भाँति वैष्णव जानि अहसान करें तो वैष्णवता विकानी’ इस वाक्यका तात्पर्यार्थ यह है कि भगवदभक्त यदि

होगा तो वह भक्तिभावसे प्रभुका दर्शन करेगा और उसमें अपना अहोभाव्य समझेगा। अपने ऊर दर्शन करनेवालेने अनुग्रह किया यह समझेगा। अभक्त जब भगवान्नका दर्शन करते जाता है तब वह जिस प्रकार संग्रहालय(स्मितिअम)में रखी हुई वस्तुको देखने लोग जाते हैं उसी प्रकार केवल भगवान्नकी मूर्ति(स्वरूप)को देखने जाता है।”

(विम.पृ.२०५).

प्रश्न तो इस कुविमर्शको पढ़ कर अनेक मेरे मनमें भी उठ रहे हैं कि हम पूरा गोत्वामी जब अपनी व्यावसायिक सेवाका प्रदर्शन अपने सेव्यस्वरूपके दर्शन खोल कर कराते हैं तब क्या इतनी भी सावधानी भरते हैं? उज्जयीकी ब्राह्मणीसे तो उस शाक्त अफससे स्वयं दर्शन करनेको कहा था, तभी उस बेचारी ब्राह्मणीने दर्शन कराये थे! क्योंकि दर्शनीकी माना करनेपर अपनी आयके एकमात्र स्रोतस्वरूप अपने खेतके नाप-जोखमें वह शाक्त अफसर कोई गडबड़ी न कर दे! इस तरह हमें भी कोई बुझारी अफसर हमारी समिक्षा हमारे भगवत्सेवाव्यासायके कारण खुटी है या कोई अवैध समालिंग आदि उपायोंके द्वारा ऐसा जानेके हेतुवा दर्शन करनेको कहे तब तो हम भी दर्शन करा दें तो वह क्षम्य हो सकता था। अन्यथा अकारण क्यों दर्शन करने चाहिये? यदि दर्शनार्थिकि उद्धरार्थ कर सकते हैं तो उस ब्राह्मणी भी ऐसी भावानके वश न कराये हों, इसमें प्रमाण क्या? स्वयं अपनी ओरें चलत कर अपने पेट भरनेको हम पूरा गोत्वामीओंकी तरह फेलेदूस छपा कर, अखबारोंमें विज्ञापन प्रकाशित करवा कर; अथवा, समाधानी भेज कर तो शाक्त अफसरको दर्शनार्थ अनेको ब्राह्मणीने ललचाया नहीं था। हर सूतमें कमसे कम ‘विमर्श’ सदृश ग्रन्थ प्रकाशित कर अपनी वित्तेष्वा और लोकेणण को सिद्धान्त होनेका मुदोया तो उस बेचारी ब्राह्मणीने सर्वथा नहीं पहनाया था। तिसपर भी कृष्णभट्ट उसे यह कह दिया “हमारे श्रीठाकुरजी बनज्य-व्यौपार करत नहीं हैं जो ऐसे लोगन्‌कों दिखाइये। और वे लोग वैष्णव जानी अहसान करें तो वैष्णवता विकानी!” तो हमारे बारेमें कृष्णभट्ट

केवल सम्पत्तिमात्रकी सुरक्षाके हेतु कितनी अधिक दूर्भोवृत्तिके विवश स्वयं हमने चला कर अपने घरोंको पब्लिकट्रस्टटया धोखा या रजिस्टर करवा दिया है, उसकी भी वकालत करने को स्वर्धमानभिमानकी सारी मर्यादाओंको उल्लंघन करते हुवे विमर्शकार कहते हैं—

“संकटकालीन व्यवस्थाके रूपमें (जहां) द्रस्टका बाह्यस्वरूप मात्र वहां दिया गया हो (वहां) वस्तुतः द्रस्ट (होता) है ही नहीं भले ही द्रस्टका लेखन क्यों न कर दिया हो... यहां यह विचारणीय है कि भगवत्सेवायुक्त सम्पत्तिके संरक्षणार्थ जहां द्रस्टका स्थापक बाह्यस्वरूपमें द्रस्टकी स्वाक्षरता करे तथा मनसे द्रस्टकी स्थापना न करे ऐसे स्थलमें द्रस्टके स्थापकको अनुभावणका लगेगा या नहीं? जब ‘स्त्रीयु नर्मविवाहेषु वृत्यर्थं प्राणसंकटे गवर्ध्नेण ब्राह्मणार्थं नानृतं स्याजुगुप्सितम्’ इन कार्योंकि लिए अनुभावणको दोषावह नहीं माना जाता है तो भगवत्सेवार्थ आवश्यक होनेपर वैसे लौकिक युक्ति किसीने की हो तो उसे दोषदृष्टिसे नहीं देखा जा सकता.”

(विम.पृ.६६).

ऐसे रितिमें उज्जयनीकी ब्राह्मणीने भी वृत्यर्थ अथवा भगवत्सेवायोगी सम्पत्तिके संरक्षणकी ही केवल भावासे दर्शन करा भी दिये हों तो हम पू.पा.गुसाइंओंकी तुलनामें तो वह अधिक क्षम्य लगती है! यदि कहा जाये कि उसके यहांसे ठाकुरजी तिरोहित हो गये जबकि हमारे यहां तो बिराज रहे हैं, अतः उसकी अधिक अक्षम्यता फलबलकल्प्या है और हमारी क्षम्यता भी तो यह भी सोचा जा सकता है कि उसके अपाराध प्रभुते बुरा माना जूतना उस ब्राह्मणीको प्रभु अपना समझते होंगे जबकि हमारे अपाराध प्रभुको बुरा ही नहीं लगता होगा क्योंकि हमें प्रभु सर्वथा प्रवाही या दुर्ज आसुरी जीव ही मानते होंगे! मथुरास्थित श्रीकृष्णजन्मभूमिस्थित भगवद्विग्रहभञ्जक महम्मद गजनवीके

द्वारा खण्डित किये जानेपर भगवद्विग्रह खण्डित हो गया तद्वत्!

स्वयं विमर्शकारने श्रीमत्रभृत्युचरणके पत्रमेंसे “अन्यच्च यवनादयो भगवद्वारे आगच्छन्ति, तदा यथाएवं भाषणमिलनप्रसादादिकं कार्यं यद्यपि हार्द न भवति तथापि बाह्यतोऽपि कार्यम्” (विम.पृ.६७) यह जो वाक्यांश उद्भव किया है उसके आधारपर ही उस ब्राह्मणीने भी दर्शन कराये होंगे ऐसा क्यों विमर्शकार नहीं कह पाते? अस्वमाणीयताके रूपमें, यवन अफसर और शाक्त अफसर के बीच अन्तर क्या हो सकता है? अतः सिद्ध होता है कि भगवत्स्वरूपसेवाके निर्विघ्ननिर्वार्ता सरकारी अफसरोंको निरीक्षणार्थ अनें देना दर्शन करने देना दोषरूप न होनेपर भी उनसे सम्पत्तिकी सुरक्षा या प्राप्ति के हेतु दर्शन करना अवश्य दोषरूप होता होगा.

ऐसी स्थितिमें चला कर अपनी ओसे गामको आमंत्रित करना और फिर आमंत्रितोंमें कौन भक्तिभावश दर्शन करने धुस रहा है और कौन मूर्जिअमीकी तरह हमारे घरोंमें भी अनुकूल्यमान भगवदाराधनको केवल ‘कानुकूवश ताक-जाङ्क करने आ रहा है उसकी भी लेशमात्र सावधानी या विवेक रखे बिना, जो धुस रहा है वह भगवदीय होगा ऐसे सोच लेना “प्रोज्जितकैतवोऽत्र परमो निर्वत्सरणां सताम्” (भाग.पुरु.११।२) भगवत्धर्मके बजाय हमारे घरोंमें कैतव्यपूर्ण भक्तिके ननताण्डवकी गवाही क्या नहीं देता?

अपने आराध्यके दर्शन करते रहनेसे अपने ठाकुरजीकी सेवाके लिये विवेद नामोंको घड़कर द्रव्य ऐंठना तो शुद्धदेवलकता नहीं तो और क्या हो सकती है? सेवार्थ आजीविका और देवलकता आदिकी विस्तृत मीमांसा तो अपनी विशेषनिकाके प्रथम और द्वितीय भागोंमें हम कर ही चुके हैं. यद्यपि विमर्शकारको भेंटके रूपमें जब वे पुस्तिकार्ये भेजी थी तब विमर्शकारने रुष हो कर कहा था कि

“हम भी विशेषिका-अशुद्धिप्रदर्शन प्रकाशित करवा देंगे” परन्तु मेरे दुर्भाग्यवश वह या तो लिखी ही नहीं जा सकी है या प्रकाशित नहीं हो पायी! वैसे प्रकाशनार्थ मेरे सहयोगकी अपेक्षा हो तो विमर्शकार निःसंकोच मुझे सूचित करें उसे प्रकाशित करनेको जो भी सहयोग मुझसे बन पड़ेगा देनेकिलिये सदा सनन्द हूँ एक बार परीक्षा ही हो ले कर क्यों देख नहीं लेते! मैं अटीब उनका उपकृत होऊंगा। अपनी अशुद्धि समझ आनेपर स्वीकारने भी सदा सनन्द हूँ, इतना तो अपनी ओरसे आश्वासन देता ही हूँ।

अस्तु, यदि हम पूरा.गुसाईं लोग धर्मप्रियेश सरकारको बेकूफ बनानेको निजीको सार्वजनिकतया घोषित एवं सरकारी विभागोंमें दर्ज करानेपर भी छूट बोलनेके दोषी नहीं होते तो उस उच्चायनीकी ब्राह्मणीने भी झट्ट ही उसकी प्रशंसा न की हो ऐसा क्यों नहीं मानना चाहिये? उसके पक्षमें एक प्रबल अन्यथानुपर्याप्ति यह भी सोची जा सकती है कि उसे तो श्रीनाथजीके वरत्रोंकी सेवामात्र करनेसे “सो वह बाई अति प्रीतिसंतो श्रीनाथजीकी सेवा करती... तब वा बाईसंतो श्रीनाथजी सानुभावता जनावन लागे त्वय्-त्वय् वह बाई मन लगायके सेवा करन लायी। पाछें वा बाईसंतो श्रीनाथजी प्रत्ययच्छ वात करन लागे। वा बाईके पासते जो वस्तु चाहिये सो माँगि लैन लागे!” (२५२ वैष्ण.वा.३१९) इतनी उच्चाधिकारिता निरूपित हुयी है। मुझे नहीं लगता ग्रामोद्धारण्य भगवत्सेवाका व्यावायिक प्रश्नेन करनेवाले हम पूरा.गुसाईंओंसे हमारे साक्षात् सेव्यस्वरूप कभी सानुभाव जता कर ऐसी प्रसन्नतासे हमारी सेवा स्वीकारते हों।

निष्कर्षतया विमर्शकाद्वारा उद्भूत श्रीगोकुलनाथजीके तीनों वचनामूर्तीमें लीलाभाव<sup>(क)</sup>, शरण-निवेदन-भक्ति-मार्गीय मन्त्रों<sup>(ख)</sup>, भगवत्सेवा<sup>(ग)</sup> तथा निजधर्म<sup>(घ)</sup> आदि अनेक बातोंके गोपनकी आज्ञा दे रहे हैं, उन सभी आज्ञाओंको अभिहितार्थ प्रमाण माननेके बजाय लक्षितार्थ या

गौणार्थ के अभिप्रायात्तरोंसे उनकी अन्यथाव्याख्या करना तो महाप्रभुकी शास्त्रावाङ्माननीतिके सर्वथा विपरीत ही है, यथा—

(१)लीलाको भाव<sup>(क)</sup> अन्यमार्गियकों तथा पात्र बिना न कर्नेलो पुष्टिमार्गमें अनन्य होय ताकों मिलिके निवेदन<sup>(ख)</sup>को तथा अष्टाकार-उच्चाक्षर<sup>(ख)</sup> तिनकों प्रकाश जहां-तहां पात्र बिना न करनो。(११)

(२)भगवत्सेवा<sup>(ग)</sup> है सो गोप्य है सो काहूँकों जतावे नहीं जो सेवा प्रकट करि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे ताको ‘पाणुड़ी’ कहिये सो ताकि सेवामें कछु पुष्टिमार्गको फल नाहीं और पाखंड करिवावेके हृदयमें लौकिक आवेश आवें सो लौकिक आवेशते बहिर्मुख होय और सेवामें प्रतिबंध पे, सो जब लोभ छूटे तब पाखंड न होय... तारें सेवा थोरी ही करे यथाविति करे, ताको कछु बाधक नाहीं, सो थोरी ही भगवद्धर्मसें वाके सधेरे कार्य सिद्ध होय जाय और बहुत करे और पाखंड सहित होय तो भगवद्धर्म न बढे, तारें अलौकिक रीतों सेवा करे सो श्रीठाकुर्जिके जानिवेष्टु कार्य सिद्ध होयगे जो लोगनके जानेते कछु सिद्ध होय नहीं।”(२२)

(३)और पुष्टिमार्गमें शरण आवे ताकों अपनो सु(स्व)जाति जाननो, शरण बिना विजाति जानिए उनसों अपनो धर्म<sup>(घ)</sup> गोप्य राखे।”(२४)

विमर्शकार कहते हैं इन वचनोंका अर्थ भगवत्स्वरूप या भगवत्सेवा के प्रदर्शनानिषेधके रूपमें लेनेके बजाय “‘अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेकेलए भगवत्सेवाका प्रचार नहीं करना चाहिये, अर्थात् अपनी प्रतिष्ठा हो इसकेलिए लोगोंको यह कहना कि ‘हमारे यहां ऐसी भगवत्सेवा होती है’ यह सब ठीक नहीं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेकेलए भगवद्धर्मन करना उचित नहीं अपितु(!?) सम्भवतः ‘किन्तु’ पद होना चाहिये था! ‘अन्यथा

अपनी प्रतिष्ठा बढ़े और दूसरोंका उद्धार भी हो जाये ऐसे हृष्ट निगुह अभिग्राहका दृश्य वहीं प्रकट हो जायेगा ! महान् मनोविद् प्रौढ़ ऐसी तुटिओंकी मनोमीमांसा अनेतरमन या बीजसब का सचेतनमन्दारा सम्मन होते विचार और वाणी के साथ किये जाते दिलवाहके रूपमें करते हैं, गो.ग्र.या.म. लोगोंका उद्धार हो इसकेलिए भगवदर्दन करना उचित है” (विम.पृ.सं.२००)।

हम, परन्तु, इस सन्दर्भमें विमर्शकारका ध्यान छड़े वचनामूलपर आकृष्ट करना चाहोंगे कि जहां श्रीगोकुलनाथजी सुस्पष्ट शब्दोंमें “सेवा, भगवत्सरण, भगवद्धर्म इनमें पाखंड न करते, और काहुकों दिखायवेके अर्थ, पूजार्थ, उद्धारार्थ न करे, आपनो सहजधर्म जारैं जैसे ब्राह्मण गायत्री जपे(वैदे, हम युवार्जनलक तो वह भी कैष्णवेकि सम्मे कला ही पसंद करते हैं!) यथालाभसन्नोषसूं सेवा करें और पाखंडीकी पूजा-सेवा प्रशु अंगीकार न करें” (वचनामृत : ६)।

सुस्पष्टम् ‘शब्दोंमें श्रीगोकुलनाथजी यहां दिखानेकेलिये की जाती सेवाकी तरह उद्धारार्थ की जाती सेवा को पाखंडतया गिना दिया है।

वैसे विमर्शकारकी व्याख्यानीतिका अनुसरण करेपर कल कोई ऐसा भी अर्थ कर ही सकेगा : “कलार्थ भोगार्थ अथवा प्रतिष्ठाप्राप्तिदृश्यर्थ भगवत्सेवाका पाखण्ड भी अहंकारपूर्वक नहीं करना चाहिये परन्तु ‘वित्त दुष्टे वचनापि दुष्टः कर्यन दुष्टः क्रियापि दुष्टः ज्ञानेन दुष्टे भगवेन दुष्टे समापराधः करिधा विचार्य’ का दैन्यभाव रखते हुवे भगवत्सेवाका पाखंड करना भी दोषरूप नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अन्यथा ऐसे दैन्यभावोद्धोधक श्लोककर्तापर मिथ्याभाषणका आरोप लग जायेगा ! एताकाल सिद्ध होता है श्लोककर्ता यदि मिथ्याभाषी नहीं हो सकते तो सकल शिष्टोंमें भी ऐसे दोष तो थे ही, सो दोष होना दोष नहीं परन्तु हृष्टमें दैन्य न होना दोषरूप होता है!”

अतः यह सिद्ध होता है कि ‘विमर्श’ “स्त्रीमु नर्मविद्वाहेषु

वृत्त्यर्थं प्राणसङ्कटे गवामर्थं ब्राह्मणार्थं नानृतं स्वाद् जुगुप्तितम्” (द्र.विम.पृ.सं.१६७) श्लोकानुप्रेरित हो कर वृत्त्यर्थं गवामर्थं वित्तसंग्रहको प्राणोपम पवित्र मान कर प्राणसङ्कटनिवृत्त्यर्थं अजुगुप्तितया अभीष्ट अनृतभाषणात्मक लेखन ही है, अस्तु.

### संप्रहकारितिका

भावात्मको हि भगवान् भावो भगवात्मकः ॥

स्वीयानां धर्मस्त्वयोऽपि “भजनीयो द्रव्याश्रिष्टः” ॥१॥

श्रीमदार्थावचनाद् गोप्याश्रैते त्रयः सदा ॥

स्वात्मकतया युक्ती स्वाद्रसाभासतान्यथा ॥२॥

तस्माद्रस्तत्वे गोप्यावपतिरस्ति दुरुद्धरा ॥

नोचेद्रासाभासतैव प्रदर्शनकृता भवेत् ॥३॥

विज्ञ

अङ्गीकृतात् भावस्य गोप्यता सत्तापि च ॥

धर्मस्य धर्मिणो वापि तथात्वे द्वेषिता कुतः ? ॥४॥

“एकत्र तु विनिर्णीतः शास्त्रार्थोऽसति बधके ॥

युज्यते हीतत्रापि” न्यायवाद्यो नवा कुतः ? ॥५॥

तस्माद्

तस्मै भक्तिमार्गं स्ताभासप्रदर्शकान् ॥

दुर्जन् देवलकान् धिक् तान् धियोव तान् ॥६॥

इति श्रीमद्भास्त्वामीदीक्षितात्मजेन श्याममनोहरेण विचित्रा  
‘सेव्यस्वरूप’ शीर्षकान्तर्गतसंकलित विषयावक्यविचारे

‘विमर्श’विशेषधनिका



‘सेवाप्रदर्शन’शीर्षकान्तर्गत संकलित  
विषयवाक्यविचारमूलक  
विशोधन

( विषयवाक्य )

(क)भगवद्भावस्य सात्यकत्वेन गुपतस्वैव अभिवृद्धिस्व-  
भावकत्वाद् आश्रमधर्मैरेव लोके स्वं भगवद्भावम् अनाविक्षुर्बन्  
भजेत् इति एतदाशयेन ते धर्मः उक्ताः गोपने मुख्यं  
हेतुम् आह ‘अन्वयाद्’ इति. यतो भावत समय्  
अन्वयं = सम्बन्धं प्राप्य वर्तते, अतो हेतुः तथा. अत्र ‘ल्यब्’ लोपे  
पञ्चमी. एतेन यावद् अन्तःकरणे साक्षात् प्रथोः प्राकदृढं  
नास्ति, तावदेव बहिः आविष्करणं भवति, प्राकदृष्टेणु न  
तथा सम्भवति इति ज्ञापितम् (अणुभा. ३।४।४९).

(क)भगवद्भावके सात्यक कारण वह गुपत रहता  
है तभी वृद्धिंगत हो सकता है. अतः लोकमें आश्रमधर्मोंकी  
ओट्टें अपने भगवद्भावको छिपाये रखना चाहिये. इसी  
आशयसे भगवद्भावके साथ-साथ आश्रमधर्मोंका भी निरुपण  
किया गया है. जिसके हृदयमें भगवान् विराजते नहीं  
है वही व्यक्ति अपने भावोंको जनतामें प्रसिद्धि कर  
सकता है. प्रभु यदि हृदयमें विराजते हों तो भावोंका  
बाहर आविष्करण = प्रदर्शन सम्भव नहीं है (अणुभा. ३।४।४९).

(ख)स्वीकारन् भक्तान् प्रदर्शयेत् ( साध. दीपि. १०८ ).

(ख)जो अपने स्वजन हों और भक्त हों ऐसोंको ही  
श्रीठाकुरजीके दर्शन कराने चाहिये ( साध. दीपि. १०८ ).

(ग)३८ तमो अपराधो = गुरुदैवतयोः गुपतप्रकटीकरणम्.  
फलं = श्वयोनित्रयम्. ११ अपराधो = अवैष्णवस्य स्वसेव्यप्रद-

शनम्. फलं = वार्षिकसेवानिष्ठलत्वम्. प्रायशिचितं =  
पञ्चामृतस्नानम्. ३६ तमो अपराधो = भगवन्नामा याचनम्.  
फलम् = उपचारालेकलत्यम्. प्रायशिचितं = पञ्चामूणित्वैवेद्यदानम्.  
३५ तमो अपराधो = गुरुजीललङ्घनम्. फलम् = असिपत्रादि-  
घोर-नरक-पातः. प्रायशिचितं = वैष्णव-गुह-प्रसादनम्.  
( श्रीहरिताय-विचित्राः पद्मष्टिपराधाः तत्कलानि प्रायशिचि-  
त्तानि च ).

(ग)३८ वां अपराधः गुरु या दैवत (=श्रीठाकुरजीसे सम्बन्धी  
बातों)के गुप्त-रहस्य-को प्रकट करना. फलं : तीन जर्मों  
तक श्वानयोनि. ११ वां अपराधः अवैष्णवके समक्ष अपने  
घरमें विराजते श्रीठाकुरजीका प्रदर्शन करना. फलः एक  
वर्षीकी सेवा निष्कल हो जाती है. प्रायशिचितः श्रीठाकुरजीको  
पञ्चामृतसे स्नान करना. ३६ वां अपराधः श्रीठाकुरजीके  
नामसे ( भेट, सामारी या न्योडावर ) मांगना. फलः सेवा  
सर्वथा निष्कल हो जाती है. प्रायशिचितः जितना मांगा  
या बटोरा हो उससे पांच गुने नैवेद्यका प्रभुको दान  
( नहीं कि समर्पण ! ) करना. ३५ वां अपराधः गुरु - श्रीमहामु-  
आदि - की आज्ञाका उल्लंघन करना. फलः ‘असिपत्रादि’  
नामोंबाले घोर नरकोंमें पतन. प्रायशिचितः वैष्णव और गुरु  
को प्रसन्न करना ( श्रीहरि. विर. षट् ).

( संशय )

इन विषयवाक्योंके स्वारसिक अर्थकी मीमांसामें सर्वप्रथम संशय  
यह उठता है कि <sup>(१)</sup> अप्रदर्शनार्ह अर्थात् संगोपनीय केवल भक्त या  
भक्तवर्ती सेवाकर्त्तक भगवद्विषयकभाव ही होते हैं या <sup>(२)</sup> सेव्य भगवत्सर्वरूप  
एवं भगवत्सेवा भी ? भगवद्भावकी तरह सेव्य भगवत्सर्वरूप एवं भगवत्सेवा  
के भी संगोपनीय होनेपर क्या <sup>(३/४)</sup> ‘अस्त्वीयत्व + अभक्तत्व + अवैष्णवत्व’  
तीनों ही एक साथ जिसमें हो ऐसे व्यक्तिसे गोपनीय होते हैं अथवा

(२/७) 'अस्वीयत्व / अभक्तत्व / अवैष्णवत्व' तीनोंमेंसे कोई एक भी जिसमें हो उससे संगोपनीय होते हैं? अथवा (३/८) न अस्वीयत्वे न अभक्तत्वे अथवा न अवैष्णव से ही किन्तु जिस व्यक्तिके बारेमें हमारी धारणा उसके अस्वीय-अभक्त-अवैष्णव होनेकी हो, उसे केवल दर्शन नहीं कहाये जा सकते हैं? वैसे तो इस तीसरे कल्पमें भी पूर्वोक्त कल्पोंकी दोनों कोटियोंके विन्यासके कारण पुनः संशयधटक दो अवान्तर कोटियां उभर सकती हैं.

फिरभी संशयधटक इतनी सारी कोटियोंके रहते विमर्शकारत्वे<sup>(१)</sup> केवल भावको ही संगोपनीय माना है, भगवत्स्वरूप या भगवत्सेवा को नहीं। 'स्वीय', 'भक्त' एवं 'अवैष्णव' पर्वोंकी 'स्वीयत्वबुद्धि', 'भक्तत्वबुद्धि' एवं 'अवैष्णवत्वबुद्धि' रूपी अर्थोंमें लक्षणा मान कर उन्हें प्रदर्शनानुद्धरण दर्शनाधिकारिता या अनधिकारिता का अवच्छेदक माना है।

व्यापोहिका भावाका प्रयोग तो विमर्शकारका विभावानुभावसंचाराभाव-निष्पन्न स्थायिभाव होनेके कारण यदि इस पूर्वपक्षके निरूपणमें मुख्ये कुछ निर्मूल निरूपण हो रहा हो तो सहद्वय पठक क्षमा करेगे। यह बुद्धिरूपक अन्यथाव्याख्यान नहीं है परन्तु यथावत्भाव व्याख्यान है। मैंने अपनी ओसेसे केवल पूर्वपक्षके उड़कनका प्रयास किया है, फिरभी संशयकी तीसरी कोटिके अन्तर्गत अवान्तर कोटियां कौनसी विमर्शकारको अभिप्रेत होनी चाहिये, यह अपने नैसर्गिक बुद्धिसामर्थ्यसे निर्धारित नहीं कर पाया हूँ।

इस स्थितिमें इतना तो स्पष्ट ही है कि संशयकी अनेक कोटियोंमेंसे विमर्शकाद्वारा इंगित दिशामें ही अग्रसर हो कर पूर्वपक्षकी जो कोटि उभरती ही उसके समाधानार्थ प्रयास करना चाहिये। अन्यथा अनुकूलोपालंभनकी त्रुटि हो सकती है। अतः अन्य कोटियोंकी हम उपेक्षा करना चाहेंगे।

### ( पूर्वपक्ष )

अतः सर्वप्रथम विमर्शकाद्वारा निरूपित मुख्य कोटि कि केवल भगवद्भाव ही संगोपनीय होता है भगवत्स्वरूप या भगवत्सेवा नहीं, इसे विमर्शकारके शब्दोंमें ही देख लेना उचित होगा :

"यहां ...आश्रमधर्मोंका अनुद्घान करते हुए भगवत्सेवा करनेको कहा है, भगवद्भाव ( भगवद्विषयिणी रति ) स्वातंत्र्यक है, गुप्त होनेपर ही सक्ती अभिवृद्धि होती है। अतः भगवद्भावको आश्रमधर्मोद्वारा लोकमें प्रकट न करते हुए भगवत्सेवा करनी चाहिये, इस आशासे आश्रमधर्म करने हेतु कहे गये हैं, अन्तःकरणमें साक्षात् भगवान्का प्राकट्य विरहदशामें होता नहीं। अतःकरणमें साक्षात् प्रभुका प्राकट्य संयोगदशामें होता है। उस समय आश्रमधर्मोद्वारा भगवत्सम्बन्धवाका बाहर आविष्करण होता है, संयोगदशामें नहीं। विरहदशामें विविध भावोंकी उत्तरि होनेसे नवधार्भक्ति-भक्तत्वधर्मोद्वारा आश्रमधर्मोंका बाध विहीमें हो जाता है ... एवं यहांपर आश्रमधर्मोद्वारा अपने भगवद्भावको लोकमें छिनानेकी बात कही जा रही है नकि भगवद्वर्णन न करनेकी बात कही जा रही है। यह सिद्ध होता है।

( विम.पृ.सं.७५-७६ )

### ( उत्तरपक्ष )

[क]

महती लज्जाका विषय है कि निरन्तर सुबोधिन्यादि ग्रन्थोंके अवगाहनशील एक मान्य बुद्ध व्यक्ति 'पू.पा.गो.श्रीब्रजरत्नलालजी महाराज' का नाम इस ग्रन्थके कल्पके रूपमें प्रचारित किया जा रहा है।

कभी तो यह अपने पितामहके बारेमें पौत्रोंके निश्चु द्वेषका एक प्रबल प्रमाण लगता है कि इस प्राकाक्षापन विचारहीन विधानके करतकि रूपमें उहें व्यर्थ बदनाम किया जा रहा है।

(१) सर्वथाम तो भागवद्भाव रसात्मक होता है, भगवन् भी रसात्मक होते हैं तथा सेवा भी भावात्मिका-रसात्मिका होती है तो “एकत्र निर्णिः शास्त्रार्थः असति बाधके अन्यत्रापि युज्यते” न्याय यहां क्यों विसृत कर दिया गया है? इसका क्या कारण हो सकता है, यह समझमें नहीं आता है।

(२) यदि “गुप्त होनेपर ही रसकी अभिवृद्धि होती है” नियम विमर्शकारको मान्य हो तो या तो सेव्य भगवत्स्वरूप एवं उनकी सेवा को अरसात्मक या रसामासात्मक माने बिना उनके भी अगुप्त रहनेपर अर्थात् प्रकट करनेपर तनुजा-विचारोंके तदैकप्रवणताक्रमेन मानसी अवस्थामें अभिवृद्धिकी सम्भावना निःशेष हो जायेगी। इसी तरह सेवात्मिका भवितव्यकी भी रुचिप्रेमासविक्तिके क्रमसे व्यवसावस्थापर्यन्त अभिवृद्धि अवरुद्ध हो जायेगी। भगवत्स्वरूपमें प्रभागलीला-प्रभेयलीला-साधनलीला वैशिष्ट्यके क्रमसे फललीलावैशिष्ट्य पर्यन्त अभिवृद्धि अवरुद्ध हो ही जायेगी।

यदि किसी कारणके वश रसात्मक होनेपर भी भगवत्स्वरूप एवं भगवत्सेवा के प्रकट-अगुप्त रहनेपर अभिवृद्धिशील स्वभाव अवरुद्ध न होता हो तो पुनः “एकत्र निर्णिः शास्त्रार्थः असति बाधके अन्यत्रापि युज्यते” न्यायसे नियर्भेट केनेवाले दर्शनार्थी एवं बड़ी रकम देकर मारोयी बने सेठियाओंके समझ भगवद्भावको भी प्रकट करते रहेनेपर वह भी “दिन-दिन बढ़त सवाया” होना चाहिये था। अन्यथा आश्रमर्थाङ्गाप जैसे भगवद्भावको लोकमें प्रकट न करते हुवे भगवत्सेवा करने चाहिये, जैसे ही भावानुको भी आश्रमर्थाङ्गा लोकमें प्रकट न करते हुवे भगवत्सेवा करनी चाहिये।

(३) इसके बाद विमर्शकारका यह विधान कि “अन्तःकरणमें साक्षात् भगवान्का प्राकट्य विह दशामें होता नहीं है” न केवल श्रीहरिरायजीके शिक्षापत्रादि अनेकानेक ग्रन्थ ही अपितु महाप्रभु प्रामुखरण के भी वेणुपीत युगालीत भ्रमरीतीकी सुबोधिनी टिप्पणीजीके अनेकानेक “आनन्दु पं फलम्” जैसे विरहद्वारामें भगवान्के साक्षात् आनन्द प्राकट्यके निरूपक वचनोंके अनादरपूर्वक किया गया विधान है! दुःख इस बातका उतना नहीं कि यह देवलकामोहवश किया गया विधान है—दुःख इस बातका समधिक है कि आजीवन सुबोधिनीके अुशीलमें परायण प्रातःस्मरणीय श्रीगोविन्दरायजी फूफाजीके आत्मवोद्धार अपने पितामहके नामके साथ मिथ्यायोजनपूर्वक किया गया विधान है।

(४) “अन्तःकरणमें साक्षात् प्रभुका संयोगदशामें होता है उस समय आश्रमधर्मां द्वारा भगवत्स्वरूपको गुप्त रखनेपर केवलविहरदशामें ही भगवद्भावका बाहर आविष्करण होता है संयोगदशामें नहीं” इससे अधिक समुचित उदाहरण “मुखमस्तति वक्तव्यम्” का अन्यत्र मिलना दुर्लभ है! सामान्यतया तो ‘संयोग’ का अर्थ ‘आनन्दसंयोग’ न लिया जाता हो तो संयोगमें अन्तःकरणमें साक्षात् भगवत्ताकट्य अस्मृतपूर्व तथा आकर ग्रन्थमें अदृष्टपूर्व निरूपण ही नहीं अनावश्यक भी है। संयोगमें कृष्णद्वैताचार्त विसराका जनक रासवीलामें भी “धोशगोपिकासु अस्यै कृष्णः” का निरूपण इसी कृष्णद्वैतीकी अनावश्यकतापर अवलम्बित है, कथित “तुष्टु दुर्जन” न्यायसे उसे स्वीकार भी लें तबभी यह प्रश्न तो बना ही रहता है कि वहिःस्थित भगवत्स्वरूपकी सेवाको विमर्शकार संयोग मानते हैं या विप्रयोग?

यदि संयोगदशा मानते हों तो अपने प्रभुकी पत्ना हिडेला रास होली आदि दिव्य लीलाओंके भावोंवाली भावात्मिका सेवा करनेका अपना सम्बन्ध गुप्त रखना चाहिये कि नहीं? यदि नहीं तो बदतोव्याघात! यदि रखना चाहिये तो प्रतिज्ञाहानि!

यदि विप्रयोग मानते हों तो दर्शनार्थी जनताके सामिध्यवशाद् विप्रयोग है अथवा चित्के स्वसेव्यसे संयुक्त न होनेके कारण विप्रयोग है? यदि दर्शनार्थी जनोंके सामिध्यवशात् तो उनके समय भगवत्सेवाप्रदर्शन करना ही नहीं चाहिये ताकि विप्रयोग हो! यदि भगवत्संविधियम् भी भगवद्विप्रयोग ही अभिष्ट हो तो सिद्ध हो गया कि दर्शनार्थी जनोंका ही संयोग अभीष्ट है, भगवत्प्रियोगरूप फलके साधकतया। अतः होली जैसी गूढ़लीलाओंके भावको तथा सम्बन्धको प्रकट करनेवाली सेवाको प्रकट करेके बजाय, सन्ध्या तर्पण या अग्निहोत्र आदि आश्रमकर्मोंमें ही परायणता प्रदर्शित करनी चाहिये बजाय कि भगवत्सेवाके।

(५)अतः “संयोगदशामें आश्रमधर्मद्वारा भगवत्सम्बन्धको गुप्त रखनेपर केवल विरहदशामें ही भगवंदभावका बाहर आविष्करण होता है, संयोगदशामें नहीं” विधानके आसपासकी पंक्तियोंमें ‘यावत्-तवत्’ पदोंके ‘जबतक-तबतक’ अर्थ क्यों छोड़ दिये गये लगते हैं अथवा कहाँ हैं (दृष्टव्यः विम.पृ.सं.१९५) ? कहीं मूल पदोंके अर्थोंको छोड़नेका विमर्शकरक एकाधिकर तो नहीं है? वैसे तो स्वयं विमर्शकरका ही यहाँ निपातार्थके बारेमें अज्ञान प्रकट हुआ है, जब विमर्शकर पूछते हैं : “आगुमात्यके वाक्यका गलत अर्थ क्यों?... उनका यह अर्थ भाष्यक प्रतीत होता है तथा विचारणीय भी है. क्योंकि ‘यावत्’ पदका कोषानुसार ‘जबतक’ अर्थ होता है ‘तावदेव’ पदोंका कोषानुसार ‘तबतक हो’ है अर्थ होता है” (विम.पृ.सं.७६).

इस विषयमें वास्तविकता यह है कि कोषानुसार ‘यावत्’ के—  
 (१) साकल्य (२) अवधि (३) मान (४) अवधारण (५) काल  
 (६) हेतु (७) सीमा (८) संध्रम (९) पक्षान्तर (१०) विवरण.

इनमें अर्थ मान्य किये गये हैं।

तदनुसार :  
 साकल्य=‘यावत् कार्य कुरु’, अवधि=‘मूलात् शाखां यावत् प्रकाण्डः’;

मान=“यावत्यात्रं ब्राह्मणान् आमन्त्रयस्व”, अवधारण=“यावद् तत्त्वं तावद् भुवत्”, काल=“यावद् गिरः षे मस्तां चरन्ति”, हेतु=“यावद् भवतु आहितसायकस्य”, सीमा=“यावत्युं वृद्ये देवः”, संध्रम=“यावत्सर्पकोडप्”, पक्षान्तर=“स यावत् प्रियतां गतः”, विवरण=“विडोजा: इन्द्रः इति यावत्”.

अब विमर्शकार ही बतायें कि इनमेंसे कौनसा अर्थ उन्हें यहाँ भाष्यकाराप्रितेतया अभिमत है!

क्योंकि ‘साकल्य’ अर्थ लेनेपर वाक्यार्थ त्वना कुछ ऐसी होमी : अन्तःकरणमें साक्षात् प्रभुका प्राकट्य जितना नहीं होगा उतना ही बाहर आविष्करण होगा. प्राकट्य होनेपर विहितविषयण सम्बन्ध नहीं रह जायेगा”。 इस व्याख्यानविधिके दोषका निर्देश करें।

‘अवधारण’ अर्थ लेनेपर भी करीब-करीब ऊपर दिया हुवा ही हिन्दी अनुवाद होगा परन्तु अर्थात्या बदली हुई होगी.

ऐसी स्थितिमें केवल कालार्थक ‘यावत्’पदको लेनेके दुष्प्राप्तका आड़म्बर क्यों? निपातार्थज्ञानवश? तो वह समुचित अध्ययनसे निवृत्त हो सकता है! वित्तप्रदायक दर्शनार्थिजनोंके व्यापोनहार्थ? तो वह वृत्ति तो स्वसेव्यप्रभुमें शुद्ध भाव स्थापित करनेसे ही सुधार पायेगी.

वैसे ‘जबतक’—‘तबतक हो’ अर्थ लिये जायें अर्थात् स्वयं विमर्शकरकी तरह छोड़ न दिये जायें तो किसी भी सूतरमें मेरदारा सिद्धान्तवचनावलीमें दिया गया भावानुवाद : “जिसके हृदयर्थे भगवान् विराजते नहीं हैं, वही व्यक्तिएं अपेक्षे भावोंके जनतामें प्रदर्शित कर सकता है. प्रभु यदि हृदयर्थे विराजते हों तो भावोंका बाहर आविष्करण=प्रदर्शन सम्बन्ध नहीं है” यह सर्वथा सर्वथा निर्दुष्ट भावानुवाद ही है. कोई शाखाचंक्रमणशील ही ऐसी जगह रेखांकन करवा सकता है, मानवबुद्धिसे

सम्पन्न व्यक्ति तो नहीं, क्योंकि 'यावत्' - 'तावदेव' पदोंके 'जबतक' - 'तबतक ही' अर्थ लेनेपर भी किसी बृक्षपर लटकते आकाशमेंसे टपकते हृदयमें तो भगवत्प्राकट्य होता नहीं है। भगवत्प्राकट्यके हृदयमें होने या न होनेकी कथा ही किसी व्यक्तिके सन्दर्भमें प्रासंगिक होती है अन्यथा अप्रासंगिक ही। 'यावत्' पदके साथ 'यस्य' पदका; तथा 'तावदेव' पदोंके साथ 'तेन' पदका स्वारसिक ऊह अकामात्मेपतित है। अन्यथा जबतक अन्तःकरण (निर्वैचित्रिक)में भगवत्प्राकट्य नहीं होता तबतक ही (अकर्ताद्वारा!) बहिराविकरण होता है ऐसा वदतोव्याघात होगा।

लगता है यह युक्ति अवश्य ही पु.सि.सं.शि.ने विमर्शकाको सुझाई है!

(६) जहांतक विमर्शकाको बाललीलाका यहां प्रश्न है वहां कथनीय यही है कि रशिमिकारके अनुसार भी भाष्यकी इस पंक्तिका अन्वयार्थ पहले समझ लेते तो अच्छा होता है। रशिमिकार कहते हैं :

"ऐन \*गावद अन्तःकरणे साक्षात् प्रभोः प्राकट्य— विहरे—  
नास्ति तावदेव— गुणान्वयस्य— बहिराविष्करणं— आश्रमधर्मद्वारा  
—भवति। अन्तःकरणे प्राकट्येतु तथा— बहिराविष्करणं— न  
सम्भवति— विहरे विधिभावेत्यन्य नवयाभक्ति— भक्तर्थमें आश्रम-  
मणीं तादृशे व्यावद— \* इति ज्ञापितं— तात्पर्यवृत्त्या उक्तम्"

अनुवाद : (१)इससे यह ज्ञापित— तात्पर्यवृत्तिद्वारा कहा गया— है कि (२)जबतक (किसी व्यक्तिके) अन्तःकरणमें साक्षात् प्रभुका प्राकट्य— विहरद्वारा— नहीं होता, तभी तक (उस लालिता द्वारा)— प्रभुके साथ अपने गुप्तसम्बन्धका / गुप्तसम्बन्धवाले अपने प्रभुका— बाहर आविष्करण (=प्राकट्य=प्रदर्शन) — आश्रमधर्मद्वारा (भी) होता (=हो पाता) है, (३) (विहरद्वारा) — अन्तःकरणमें प्राकट्य होनेपर वह— बाहर आविष्करण— सम्भव नहीं रह

जाता (४) क्योंकि विहरद्वाराये विधिभावोंकी उत्पत्तिद्वारा नवधार्मिते— भवतर्थमोद्वारा उस व्यक्तिमें आश्रमधर्मका बाध हो जाता है।

इसमें सीधे अक्षर भूलबचनानुवाद है, तिरछे अक्षर व्याख्यानुवाद है तथा कोष्ठुतान्तर्गत शब्द अनुवादकद्वारा योजित हैं। एतावता स्पष्ट हो जाता है कि (१) अधोरेखांकित अंशद्वारा, भक्तिनिरूपणके प्रसंगमें आश्रमधर्मोंका निरूपण तात्पर्यवृत्त्या दोहित हो रहा है ऐसे अथेके निरूपणकी प्रतिका है। (२) अधोरेखांकित अंशद्वारा प्रभुके हृदयमें प्रकट न होनेके कारण प्रकट होते देख या न्यूनता की निन्दा है। (३) अधोरेखांकित अंशद्वारा अन्तःकरणमें भगवत्प्राकट्यवशात् प्रकट होते गुणकी प्राप्तांश है। (४) अधोरेखांकित अंशद्वारा (२)+(३) अंशकी हेतुपत्तिका निरूपण अधिलिपित है।

ऐसी स्थितिमें भक्तिप्रकरणमें आश्रमधर्मोंके निरूपण कलेवातीं श्रुति सिद्ध वृत्तकी निरूपिका है या साथ वृत्त या कल्य की विधियिका? यदि सिद्ध वृत्तका यहां निरूपण स्वीकारते हैं, जैसा कि झांसा विमर्शकार देना चाहते हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या सकलभक्ततासाधारण वृत्तका निरूपण यहां अभिलिपित है या कतिपय भक्तोंके? सकलभक्ततासाधारण वृत्तका निरूपण स्वीकारनेपर वर्णश्रिमद्वाहृत्य भक्तोंके बारेमें भी स्वीकारना पड़ेगा कि वे भक्त वर्णश्रिमद्वाहृत्य होनेपर भी वर्णश्रिमधर्मका अनुशासन करने लग जाते हैं। यह न तो वाचनिक अर्थात्तिद्वारा प्राप्त है और न प्रात्यक्षिक साक्ष्यसे सिद्ध होता है। कतिपय भक्तोंके सिद्धवृत्तका निरूपण स्वीकारनेपर नामोलोकारहित यह निरूपण (५) अधीशमें निन्दा अर्थशार्मों सुन्ति है अथवा (६) सर्वश्चमें निन्दामात्र या सर्वाश्रीमें सुन्तिमात्र है। यदि अधीश कल्पको स्वीकारते हैं तब भी निन्दाका तात्पर्य भगवदभावके बहिराविकरणके निषेधमें इसी तरह सुन्तिका तात्पर्य आश्रमधर्मोंसे भगवदभावके संगोपनकी विधिमें पर्यवसित होगा। इसी तरह सर्वाश्रीमें

निन्दा या सर्वांशमें स्फुरि स्वीकारते हैं तब भी पर्यवसान वृत्तिसे उल्लिखित विधिविधानमें ही पर्यवसान स्वीकारना पड़ेगा। फलतः अगतिकथा श्रुतिका तात्पर्य साथ वृत्तके विधानमें है ऐसा स्वीकारना पड़ेगा।

वह साथ वृत्त भगवद्भावके बहिराविकरण-प्रदर्शनसे कण्ठेकत निवृत्ति तथा आश्रमधर्मकिन्निरा भगवद्भावके संगोपनमें कण्ठेकत प्रवृत्तिके सिवा और तो कुछ हो नहीं सकता। वह भगवद्भाव यदि भावात्मक भगवत्स्वरूपकी भावात्मिक सेवाके सार्वजनिक प्रदर्शनमें बहिराविकृत होता ही हो तो घटकृतियों प्रभात हो ही जाता है। क्योंकि स्वयं विमर्शकारकों भी “आश्रमधर्मका अनुष्ठान करते हुवे भगवत्सेवा करनेको कहा है। भगवद्भाव(भगवद्विविधिणी रिति)स्सात्मक है। उपत्त होनेपर ही सक्ती अभिवृद्धि होती है। अतः यहां अपने भगवद्भावको आश्रमधर्मद्वारा लोकों प्रकट न करते भगवत्सेवा करनी चाहिए”(विम.पृ.स.५५) अंशद्वारा सारे ज्ञान्योगी बावजूद कृत्योपदेशता तो स्वीकारनी ही पड़ी है। फलतः भवतकी ऐसी कोई भी कृति (भगवत्स्वरूपप्रदर्शनात्मिका हो या भगवत्सेवाप्रदर्शनात्मिका हो) कि जिससे भगवद्विविधिणी रिति प्रकट हो जाती हो तो उसे ‘निषिद्धाचरण’ तो कहना ही पड़ेगा।

क्योंकि विमर्शकारकों, अन्यथा, निर्जनतया स्वीकारना पड़ेगा कि जब कोई पू.पू.गोसामी भगवत्स्वरूप या भगवत्सेवा का प्रदर्शन करते हैं तब उनकी भगवत्स्वरूप या भगवत्सेवामें रिति नहीं किन्तु भगवद्विविधिणी अर्ति या भगवद्विविषयक रत्याभास प्रकट होता है।

मैं तो इसे भी बिना ननु-नच स्वीकारने तैयार हो जाऊंगा परन्तु स्वयं अपने कण्ठ या लेखियी द्वारा इसकी स्वीकृति दें अन्यथा सेवाप्रदर्शनकी निषिद्धाचरणता बत्रलेपायित ही रहेगी।

(७)इसके अलावा श्रीपुरुषोत्तमजीकी भावप्रकाशिकामें मूलसूत्रभाष्यस्थ

मुख्यहेतुरूप ‘अन्वय-सम्बन्ध’ पदको जो ज्ञापकहेतु है उसे कारकहेतु बनानेका क्या प्रयोजन है, यह समझमें नहीं आया।

भावप्रकाशिकाके अनुसार भी सूत्रभाष्यगत पदोंकी योजना इस तरह है :

भगवद्भावस्थ स्सात्मकत्वेन गुप्तस्त्वैव अभिवृद्धिस्वभावक-  
त्वाद् आश्रमधर्मैरव लोके स्वं भगवद्भावम् अनाविक्षुर्वैन्  
भजेत इति आशयेन ते धर्म उक्ताः। गोपने मुख्यं हेतुम्  
आह अन्वयाद् इति यतो भगवता समयम् अन्वयं=सम्बन्धं  
प्राप्य वर्तते अतो हेतोः तथा। अत्र (“अन्वयाद् इति हेतुतोध्यपदे”)  
‘त्यद्व’लोपे पञ्चमी। (भगवता सह सम्बन्धं प्राप्य वर्तते इति  
हेतोः तथाच सम्बन्धभावात् अविष्करणं सम्भवति ननु साक्षण्ये  
सदि) एतेन यावद् अन्तःकरणे साक्षात् प्रभोः प्राकदृचं नास्ति  
तावदेव बहिराविकृतं भवति प्राकदृच्येतु न तथा सम्भवति  
इति ज्ञापितम्।

इससे यह सर्वथा स्फुट है कि जिसका प्रभुके साथ सम्बन्ध जुङ गया वह तो भावका (अर्थात्प्या भावात्मक प्रभु एवं भावात्मिक सेवाका भी) प्रदर्शन नहीं करेगा। यों भावानाविष्करणार्थक भगवद्भजनका यह ज्ञापक हेतु है। इसे दुष्प्रसिद्धिवशात् कारकहेतु बनाया गया है : “(१)अन्तःकरणमें साक्षात् प्रभुका प्राकदृचं संयोगदशामें होता है, उस समय आश्रमधर्मे द्वारा भगवत्सम्बन्धको गुप्त रखेपर (२)केवल विहवशामें ही भगवद्भावका जाहर आविष्करण होता है”。 (१)अंशके अर्तात् भगवत्सम्बन्धको (२)अंशके बहिराविकरणका कारक हेतु बना दिया है। किम् आशर्वम् अतः परम्।

यह यदि देवलकताप्रयुक्त दुरभिसन्धि नहीं तो अधीत न्यायादिशास्त्रके साथ तो थोर ‘अन्याय’ ही कहा जायेगा।

(८) वेदान्ताधिकरणमालाका इस विषयमें क्या निरूपण है यह देख लेना भी उपकारक होगा : “गृहिणोपसंहाराधिकरण... त्यागानुकलपर्वतं गुहे स्थित्वा भगवद्भजनं कर्तव्यम् इति विचार्य... तस्य करणप्रकारः तदाधिकरणं, भगवद्भावस्य लोकेनु अप्रकरणं, भगवद्भजनव्यतीरिक्तसमये लौकिककरणं... विचारितम्, तेन ‘विहितत्वात् च आश्रमधर्मापि’ इत्येन यत् पूर्वम् उक्तं तस्य प्रकारो बोधितः” अर्थात् इस गृहिणोपसंहाराधिकरणमें... जिनसे गृहत्याग शक्य न हो उहें तदनुकल्पतया वरमें रह कर (न कि सार्वजनिक-व्यावसायिक मन्दिरर्थे जाकर) भगवद्भजन करना चाहिये, यह विचार करनेके बाद... भगवद्भजन कैसे करना, कैसे वह अधिकाधिक अनुष्ठित हो पर्यागा, भगवद्भावको लोकमें प्रकट न करने की बात, भगवद्भजनसे व्यतीरिक्त कालमें लौकिक कर्मोंको करनेकी बात... विचारी गई. इससे “विहित होनेके कारण आश्रमधर्म भी” अंशसे जो कुछ पहले कहा गया उसका प्रकार बोधित हुवा.

यहां स्वगृहमें भजनके एक आवश्यक अंगतया भावसंगोपनकी जो बात कही जा रही है वह शाखाचंडणशील शाखागृहोपम बुद्धिलालोंकी बातोंको क्षम्य तथा उपेक्षणीय ही जानकर चलें तो भी इतना तो एकदम कूँठके भी समझमें आ पोवेली बात है कि भावात्मक भगवत्स्वरूपकी भावात्मिक भगवत्सेवाके मुख्यांगभूत भावका संगोपन अंर्योपतिवृद्धा भगवत्स्वरूप एवं भगवत्सेवाके भी संगोपनमें ही पर्याप्तिसित होता है.

देवलकोंकी विवशताके लिये भी, अतः, यहां मानवीय सहानुभूति रखनेका भी कोई दैदानिक अवकाश नहीं! कुल मिलाकर इतनी सारी अष्टविध दुरुदर अनुपरचियोंके बावजूद यहां कृष्णसेवाप्रदर्शनका निषेध न मानना विमर्शकारका सर्वभवतजनविगर्ह्य महसाहस ही सिद्ध होता है, अस्तु.

[ख]

उद्घृत “स्वीयान् भक्तान् प्रदशवेत्” ( सा.दी.१०८ ) वचनको विमर्शकारने उचिततया पूर्णरूपेण उद्घृत किया है, फिरभी जो अवधेयांश कूट गया है उसे भी साथ-साथ सम्मुख रखनेपर वचन इतना है : “कुर्यात् ...शुगारं रंजितैः वच्छैः चित्रैः आभरणैर्मायामुमुक्षुटैः रथैः वेणुवेत्रैः सुमाल्यकैः वित्तनैः प्रसैः शुड्डैः प्रतिसारैः नवैनवैः जलक्रीडोपस्करैः च ताम्बूलामोददर्पणैः व्यजनैः जलभूंगारैः देशकालानुसारिभिः अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदशवेत्” ( सा.दी.१०५-१०८ )

स्पष्ट है कि इस सम्पूर्ण पदराशिमें दो मुख्य विध्यर्थक क्रियापद हैं: ‘कुर्यात्’ तथा ‘प्रदशवेत्’; एवं, एक “समानकर्तृक्यौः पूवकाले” सूत्रनिर्दिष्ट अर्थमें ल्यबन्त क्रियापद है ‘अलंकृत्यैव’. अतः जैसा कि विमर्शकारसे यहां यहां झांसा दिया है उसमें का परस्पर विरोधाभास पहले अवलोकनीय है :

(१) सख्यभवितिके बिना शुगारके समय भगवान्का दर्शन वर्जित ( विम.पृ.सं.७८ ).

(२) “सख्यता बिना सिंगार होत समै काह्वको दरसन न होई यह मार्गकी मर्यादा है” ( २५२ वै.वा.प्र.ख. ३९५से उद्घृत विम.पृ.सं.७८ ).

(३) ध्यातव्य है कि स्वकीय भवतोंको भी भगवान्का दर्शन शुगारके समय नहीं कराया जाता ( विम.पृ.सं.७८ ).

लगता है कि ‘सख्यता’ तथा ‘स्वीयभवत्’ होनेमें भी कोई गुह अर्थभेद है. छैर... पूछनेका यो बनता है कि किसी भी तरहकी

भवित्वे के बिना ही आजकल तो केवल नोकरीके लिये मुखिया-परिचारकों की बटालियन व्यावसायिक मन्दिरोंको चलानेको भासेवार्थ नियुक्त होती है; तथा उहें शृंगार करते समय भागवान्के दर्शन न हो जायें ऐसे बाहर तो भेजा नहीं जाता! वार्तामें उद्धृत वचनके अनुसार जबकि शृंगार किये जाते समय सच्छताके बिना दर्शन करानेका निषेध प्रतित हो रहा है अतः इसके आधारपर “अलंकृत्यैव स्प्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत्” की व्याख्या करनेका प्रयास किया गया है जबकि अलंकणक्रिया एवं प्रदर्शनक्रिया के बीच पूर्वकालिक तथा उत्तरकालिक होनेका सम्बन्ध प्रतित हो रहा है.

पूछा जा सकता है भूतकृदत्त तथा वर्तमानकृदत्त के भेदका विलोपन क्यों?

यदि ‘एवं’कारसे व्यावर्त्य केवल वर्तमानकालिक अलंकरण हो तब तो प्रश्न उठ सकता है कि भविष्यत्कालिक अलंकरण क्यों नहीं? अर्थात् “अलंकृत्यैव प्रदर्शयेत्=अलंकृत्वैव न प्रदर्शयेत्” तो इस ‘एवं’कारसे व्यावर्त्य “अलंकृत्यैव प्रदर्शयेत्=अलंकृत्वा न प्रदर्शयेत्=अलंकरिष्यन् वापि न प्रदर्शयेत्” क्यों नहीं? मांगलाके दर्शन खोलनेके शिष्टाचारकी गवाही तो चल नहीं पायेगी. क्योंकि वह स्वीयभवतोंके ही लिये केवल खोलने या स्वीयास्वीय-भक्ताभक्त समीके लिये यही तो विषत्पतिग्रस्त विषय है. जिसका सिद्धवक्त्य हेतुया उपयोग हो नहीं पायेगा.

अतः हठात् हमें यह विचारेको विवश होना पड़ता है कि ‘प्रदर्शयेत्’ अपूर्वविधिका बोधक क्रियापद है या नियमविधिका अथवा परिसंलग्नविधिका?

अत्यन्त अप्राप्त कृत्यकी प्रापिका अपूर्वविधिका बोधक तो इस वचनको माना नहीं जा सकता, क्योंकि इस विधानके बिना भी

कोई वित्तार्थी (देवलक) विचारामनाया स्वतः भी प्रदर्शन कर ही सकता है.

प्राप्त कृत्यको नियत बनानेके हेतु नियमविधिका बोधक वचन इसे माननेपर “नियमः पाक्षिके सति” वचनके अनुसार पक्षमें अप्राप्ति दिखानानी पड़ेगी. उस श्लोकमें नियमविधिभार<sup>(१)</sup> केवल प्रदर्शनक्रियापर मानाना अथवा<sup>(२)</sup> अलंकणपूर्वक प्रदर्शनक्रियापर या<sup>(३)</sup> स्वीयत्वविशिष्ट भक्तकर्मक प्रदर्शनक्रियापर या<sup>(४)</sup> स्वीय-भक्तान्यतर-कर्मक प्रदर्शनक्रियापर या<sup>(५)</sup> प्रेमसाहित्य विशिष्ट-अलंकणोत्तरकालिकत्वविशिष्ट प्रदर्शनक्रियापर या<sup>(६)</sup> प्रेमसाहित्यविशिष्ट स्वीयत्वविशिष्ट भक्तकर्मक प्रदर्शनक्रियापर या<sup>(७)</sup> प्रेमसाहित्य-विशिष्ट प्रदर्शनक्रियापर ?

<sup>(१)</sup> प्रथम कल्पमें केवल प्रदर्शनक्रियाको किसी भी तरह पाक्षिक अप्राप्त मानकर प्रदर्शन नियमके विधानको स्वीकारनेपर भी सच्छभवितके बिना शृंगार होते समय भागवत्दर्शन वर्जित होनेका नियम सिद्ध नहीं होगा.

<sup>(२)</sup> अलंकणपूर्वकप्रदर्शनपर विधिभार स्वीकारनेपर मंगला-शयनके दर्शन भी अलंकणपूर्वक ही छोलने पड़ेगी.

<sup>(३)</sup> स्वीयत्वविशिष्ट भक्तकर्मक प्रदर्शनपर विधिभार स्वीकारनेपर विमर्शकारको अत्यन्त अनभिलिखित नियम सिद्ध हो जायेगा.

<sup>(४)</sup> यही गति स्वीय-भक्तान्यतरकर्मक प्रदर्शनपर नियम विधिभार स्वीकारनेपर भी होगी.

<sup>(५)</sup> प्रेमसाहित्यविशिष्टालंकणोत्तरकालिकत्वविशिष्ट प्रदर्शनक्रियापर नियमविधिभार स्वीकारनेपर कठिपय आभूषण प्रेमसहित धरते प्रदर्शनका

नियम हो तो शृंगार धराते समय भी प्रदर्शन नियत हो जायेगा।

जिस दिन जितने शृंगार नियत हों उतने सकल आभूषण प्रेमसे धराते ही प्रदर्शन नियत हो तो जन्माष्टमीके दिन नियत सकल आभूषण धराकर शृंगार दर्शन खोलनेमें चरितार्थ हो जानेके कारण नववीके पलनाके दर्शन करना नियत नहीं रह जायेगा। यदि हवस्तनिक सकल शृंगारके कारण प्रेमसहित अलंकृत तो ठाकुरजी तो ही ही अतः नववीके दिन भी प्रदर्शन नियत मान लेते हैं तो शृंगारके बाद गोपीवल्लभभोग-राजभोगादि समय भी प्रेमसाहित्यविशिष्टालंकरणपूर्वकता निमित्त विद्यमान होनेसे उस समय भी प्रदर्शन नियत हो जायेगा। किसी भी सूतमें शृंगार धराते समय भगवत्प्रदर्शनका नियेध तो इस कल्पमें भी निकलता नहीं है।

(६)इस कल्पमें भी जो प्रेमसाहित अपने भवत दर्शनार्थी हों तभी प्रदर्शन नियत सिद्ध होगा।

(७)इस कल्पमें भी प्रेमयुक्तस्वीचयजन; अथवा प्रेमयुक्त अस्तीयभक्त भी, यदि दर्शनार्थी बनकर आयें तभी भगवत्प्रदर्शन नियत माना जायेगा अन्यथा नहीं। ये छठे-सातवें दोनों ही कल्प विमर्शकारकों तो अत्यन्त अनभीष्ट हैं।

(८)इस कल्पमें भी हृदयमें जब प्रेम उभरता हो तभी प्रदर्शन नियत होगा अन्यथा नहीं। अतः महाराजशीके परदेशमें विराजनेपर दर्शन खोलने अनिवार्य नहीं रह जायेगे। वेतनग्राही कर्मचारी मुखियाजीके हृदयमें प्रेम उभरनेको निमित्त माननेपर तो उन्हें नियमाक भी मानना पड़ेगा।

इसलिये “अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत्”को नियमविधिके रूपमें विमर्शकार मान्य कर नहीं पायेंगे। पुनरुच “सख्यता विना सिंगार होते समी काहूङो दरसन न होई यह मार्गकी मर्यादा

है” विधानमें सख्यता द्वापरसुके गोपबालकों जैसी लेनेपर तो आधुनिक गोस्वामिसमुदाय तथा मुखिया-परिचारकों भी दर्शनसे वंचित होना पड़ेगा। अतः “गोस्वामिसाँके साथ सख्यत एवं कृष्णभक्ति होनेपर दर्शनाधिकारिता” का अभिप्राय स्वीकारतेपर अर्थात् ‘स्वीयभक्तता’ को शृंगार धराते समय दर्शनार्थीक अधिकारलक्षणतया मान्य करेनेपर “अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत्” विधानमें अलंकरतोतर कालिक प्रदर्शनमें ही स्वीयभक्तोंकी भी अधिकारिताके कारण अलंकरणकालमें उनकी भी अनधिकारिता ध्वनित होगी। “समानकर्तुकयोः पूर्वकाले समासेऽनन्द्यौर्वै क्वतो ल्यप्” (पा.स.श.४२१,३७) अर्थात् किन्हीं दो पूर्वोत्तर क्रियाओंके कर्ता एकही हो तो पूर्वकालिक क्रियामें ‘क्वचा’ अथवा उपसारि जुड़ी होनेपर क्रियापदको ‘ल्यप्’ प्रत्यय लगता है। एवं ‘कारसे उस क्रिया—प्रकृत्ये अलंकारं क्रिया—की पूर्वकालिकताका अवधारण(=तदभावाप्रकारकतत्प्रकारकज्ञ) स्वीकारतेपर अर्थात् प्रमुको शृंगार धरा लेनेके बाबा ही प्रदर्शनकी शृट होगा। शृंगार धरानेसे पहले नहीं, ऐसा अर्थ लेनेपर न केवल धराते समय अपितु धरानेसे पूर्व शयन मंगलाके दर्शनोंका भी व्यावर्तन हो जायेगा। जबकि वर्तमानकालमें तो शयन मंगलाके नियत प्रदर्शनमें ही प्रायः जनसम्मद अधिक होता है। इस “अलंकरणोत्तरकालिकताविशिष्टप्रदर्शन”में प्रदर्शन विशेषकोटिगत है तथा अलंकरणक्रिया विशेषणस्वल्पघटक होनेसे विशेषणात्मपातिनी होगी। ऐसी स्थितिमें विशेषणान्वित या तो ‘एव’कार “परंब्रह्मैव कृष्णः” की तरह अयोगव्यवच्छेदक होगा। अथवा अन्ययोगव्यवच्छेदक लेनेपर “परंब्रह्मान्यः कृष्णभिन्नः”की तरह अन्योन्याभाव-बोधक होगा। दोनों ही कल्पमेंप्रथममें तो केवल “अलंकरणोत्तरकालिकमेव प्रदर्शनम्”कहने मात्रसे “सख्यभक्तिके विना शृंगार होते समय भगवान्का दर्शन वंचित है” नियमका निरूपण सम्भव नहीं होगा। क्योंकि “प्रदर्शन कभी अलंकरणोत्तरकालिकतारहित नहीं हो सकता” बस इतना ही अर्थ निकलता है। ‘प्रदर्शन’ क्रिया द्विकारक होनेसे तत्स्वल्पनिष्यादक कारकतया स्वीयभक्तोंके भी अपरिहार्यता लेना ही हो तब तो शयन-मंगलाके दर्शनकी निषिद्धताके अलावा शृंगार करते समय मुखिया-परिचारकोंकी

उपस्थिति भी वर्जित माननी पड़ेगी।

‘एव’कारको अन्योगव्यवच्छेदक मान कर चलनेपर “यद् अलंकाणोत्तरकालिकक्रियातो अन्यत् कर्म तत् प्रदर्शनिभिन्नं कर्म” अर्थ होगा, यहां भी प्रातःकालमें प्रभुको जगा कर मालाके दर्शन खोलनेकी क्रिया अलंकाणोत्तरकालिक क्रियासे इतर कर्म होती है परन्तु वह प्रदर्शनिसे भिन्न नहीं होती। अतः विमर्शकारको जो अधिष्ठि है वह सिद्ध नहीं हो पाता है, यहां भी द्विकार्मक क्रिया स्वरूपसम्पादक स्वीय भक्तको कालकथा अन्तर्निष्ट भानेपर “यद् अलंकाणोत्तरकालिकक्रियातो अन्यत् कर्म जनसाधारणकर्मके मंगलाप्रदर्शनरूपं कर्म तत् स्वीयभक्तकर्मकप्रदर्शनिभिन्नं कर्म” कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जनसाधारणमें दो एक भी स्वीयभक्त दर्शनार्थिया समिलित हों तो “स्वीयभक्तकर्मकप्रदर्शनिसे भिन्न” तथा सिद्ध नहीं हो पायेगा। एतदर्थ “स्वीयभक्तप्रकारकर्मकप्रदर्शन” अर्थ लिया जाता हो तो “एव”कार अलंकरणरूपा क्रियासे अनिवार होनेके बजाय “स्वीयान् भक्तानेव” से अनिवार हो जायेगा, यह पुनः विमर्शकारके लिये महती विपत्ति सिद्ध होगी।

अतः न तो अपूर्व विधि, न नियमविधि; और, न अलंकरणक्रियान्वित एवकाप्युत व्यावर्तनवाशद् ही विमर्शकारको अभीष्ट अर्थ इस वचनका प्रतिपाद्य विषय हो सकता है, प्रस्तुत वाक्यविषय सुन्यतया स्वीयत्वास्वीयत्वान्यतरविशिष्ट भक्तकार्मक देवलक्तवादिपोहजन्य उभयत्र रागप्राप्त प्रदर्शनिके परिसंख्यानार्थ ही सिद्ध होता है कि “स्वीयान् भक्तानेव प्रदर्शयित्” ऐसी स्थितिमें ‘एव’कार एवमधेक भी हो अथवा अवधारणार्थक (उदा.: “त्वमेव देव! जानासि” अर्थात् “तुम स्वयं जानते हो” आवश्यक नहीं कि एतावत इतरव्यावर्तन द्वारा दूसरा न जानते हो) अथवा वाक्यपूर्णार्थक भी ही सकता है।

यहां यह अवधेय है विशेष्यकोटिमें भक्तके उल्लेखके कारण

अभवतके सन्मुख तो भगवत्स्वरूपसेवाका प्रदर्शन परिसंख्याविधिद्वारा ही व्यावर्तित है, ‘स्वीय’ विशेषण उन भक्तोंमें भी जो स्वीय न हों उनके व्यावर्तनार्थ फलित होता है अर्थात् कुलसम्बन्धाभाववश स्वेहसम्बन्धाभाववश या साधार्यसम्बन्धाभाववश जो अस्वीय हों उनके व्यावर्तनार्थ है, परिशेषाद्, प्रभु अलंकृत हों वा अनलंकृत, स्वाहामें विराजमान भगवत्स्वरूपसेवाका प्रदर्शन जो भक्त हो परन्तु स्वीय न हो अथवा स्वीय हो परन्तु भक्त न हो, ऐसे किसीको भी स्वतःप्रबृत्त हो कर नहीं करना चाहिये, कोई हठात् या बद्धच्छा दर्शन पा लेता है एतावत सेवाकर्ता दोषभाक नहीं बनता, स्वतःनिषिद्धाचरार्थ प्रबृत्त न होनेके कारण, यह प्रोत्स्थात् लब्ध निष्कर्ष है, यही श्रीगोपीनाथपूर्वभूतराजकी “...अलंकृतैव सप्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत्” आज्ञाका स्वारसिक अर्थ निकलता है।

मूलमें ये कारिकायें सर्वनिर्णय निन्दनकी महाप्रभूदिष्ट जिन कारिकाओंके सारसंग्रहतया एवं भाष्यतया लिखी गई हैं उनपर भी दृष्टिपात कर लेना उचित होगा :

#### कारिका :

यथा सुन्दरतां याति वस्त्रैभरपौरपि ।  
अलंकृति सप्रेम तथा स्थानुप्रसरसम् ॥  
भारदित्यकूलश्चेत् कारपेदं भगाक्रियाम् ।  
उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्वपेद् ॥  
तस्यागे दूषणं नस्ति यथो विष्णुपराइमुखा ।

#### प्रकाश

यथा सुन्दरतां यातिइति, सप्रेम इति अनुद्वेष्यार्थम्, स्थानम् मन्दिरं, तदलंकारपूर्वकेव भगवदलंकारं कर्मव्यम् इति अर्थः, एवं प्रबृत्तस्य भार्यादीनां विनियोगम् आह भार्यादिः अनुकूलः चेद् इति, भार्यादिकं गृहं, विष्णुप्राइमुखः भार्यादिः, अन्यथा परित्यागे दोषात्, अनेन अवैष्णवैः सह अस्मिन् मार्गे

न स्थातव्यम् इति उक्तं भवति ( त.दी.नि.२२३०-२३१ )

### कारिकानुवादः

जिस तरह वे सुन्दर लगने लगे उस तरहके बस्त्रों तथा आभूषणों से प्रभुको प्रेमसहित अलंकृत करना चाहिये। इनसे भी पहले उनके बिराजनेके स्थलको अलंकृत करना चाहिये। पल्ली आदि पारिवारिक जन अपनी भगवत्सेवके अनुकूल हों तो उनसे भी भगवत्कार्य करवाना चाहिये। उनके उदासीन होनेपर स्वयं करना चाहिये तथा प्रतिकूल होनेपर गृहके त्याग करना चाहिये।

### प्रकाशनुवादः

‘जिस तरह सुन्दर लगने लगे’ वहाँ ‘प्रेमसहित’ कहनेका अभिप्राय जिस तरह अलंकृत करतेरे उड़ेग न होता हो उस तरह सेव्य प्रभुको अलंकृत करना चाहिये। ‘स्थल’ यानि प्रभुके बिराजनेका मन्दिर, इस तरह मन्दिरको सजानेके बाद ही प्रभुको शंगार धरना चाहिये। इस तरह जो भगवत्सेवमें प्रवृत्त होता हो उसे अपनी पल्ली आदिका भी भगवत्सेवामें विनियोग करना चाहिये। ‘गृहके त्याग’ का अर्थ है— अपनी पल्ली आदि परिवारके जनोंका त्याग। त्याग इनके विष्णुपादाङ्गुष्ठ अर्थात् अवैष्णव होनेपर करना चाहिये। अन्यथा परिवार कराएपर दौष लाता है। इस कथनका आशय यही है कि अवैष्णव (वैष्णवविरोधी)के साथ इस पुष्टिमार्गमें रहना नहीं चाहिये।

ऐसी स्थितिमें प्रभुचरण श्रीगोपीनाथजीने भी जो “अलंकृतेव सप्रेम” कहा है उसका आशय “अनुद्वार्थी अलंकरण करके ही” ऐसा लिया जाना ही अधिक उचित लगता है बजाय कि विमर्शकारद्वारा उद्देशित व्याख्यारीतिके। इसी तरह प्रभुचरण श्रीगोपीनाथजी जब ‘स्वीकार्ता’ पदका प्रयोग कर रहे हैं तब उन्हें महाप्रभुनिर्दिष्ट ‘भार्यादि’ ही विवक्षित

है; तथा जो ‘भक्तान्’ पदका प्रयोग किया उसकेद्वारा भी महाप्रभुनिर्दिष्ट ‘अनुकूलः’ विशेषण ही विवक्षित है। इसका मुख्य कारण यही है प्रभुचरण श्रीगोपीनाथजीतो अपने पितुचरण महाप्रभुके उपदेशानुसरणशील पुत्र हैं अतः वैष्णव-अवैष्णव सबको दर्शन करनेकी विमर्शकारके जैसी मनोवृत्ति प्रभुचरण श्रीगोपीनाथजीमें सम्भव नहीं है।

विमर्शकारके हृदयको दुःख आघात पहुँचानेवाली बात तो हमनाम टिप्पणीकार श्रीकल्याणपायाजीने कही है : ‘अनेनेति’। ‘न स्थातव्यम्’ इति उपलक्षणम् अवैष्णवानां सिद्धान्तमपि न ग्राहक्यम्...’ (वर्ण). मुः यहाँ ‘सिद्धान्त’को द्रव्यका उपलक्षण मान लिया जाये तो निश्चय ही विमर्शकारके हृदयको आघात लग सकता है कि दर्शनकी छूट माननेका कोई आर्थिक लाभ नहीं रह जायेगा।

[ग]

वैसे यह एक हकीकत है कि श्रीहीरिरायचरणने ६६ अपराधोंमें इसी अवैष्णवसंगकी वर्ज्यताको लक्ष्यमें रखकर ‘स्वीयभक्त’ अथवा ‘अनुकूलभार्यादि’ दोनों अर्थों एकहलया करनेवाला— “११ तमो अपराधः = अवैष्णवस्य स्वसेव्यपर्दीनम्. फलः = वार्तिकसेवा निष्फलत्वम्. प्राप्तिचित्तं = पञ्चामृतस्नानम्” निष्फलण किया। स्पष्ट है कि यही बात श्रीहीरिरायचरण भावप्रकाशमें भी दुरुप होती है— “अपने श्रीकाञ्जुरजीके दर्शन अन्यमार्गीको न करावने यहु जातायो” (२५२ वैष्ण.वा.३६१)। यहाँ विमर्शकारद्वारा किया गया कुविमर्श यों है : “यद्यपि अन्यमार्गीयोंको अपने सेव्यस्वल्पपका दर्शन निषिद्ध प्रतीत होता है तथापि अन्यमार्गीयोंको भी दर्शन करनेकी परंपरा दृष्टिओचर होनेसे उक्त वाक्यका तात्पर्य अन्य ही कुछ होना चाहिये” (विम.पृ.स.७८).

इसके बाद वार्ता-वचनामृतोंसे कुछ उदाहरण देकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि अभवतकों दर्शन नहीं करने चाहिये परन्तु

भक्त कोई भी चाहे स्वीय या अस्वीय हो उसे दर्शन कराये जा सकते हैं। अतएव “भगवन्तं सप्रेम अलंकृतैव स्वीयान् प्रति प्रदशयेत्” तथा “भगवन्तं सप्रेम अलंकृतैव भक्तान् प्रति प्रदशयेत्” इस तरह वाक्यभेदके प्रस्तावित किया है! (विम.पु.सं.८०) व्यावसायिक भगवत्सेवप्रदर्शनके आंच न आये एतर्थं अशुतूपर्वत् भगवदर्शनं करनेके सम्बन्धमें व्यवस्था भी प्रस्तावित की है कि “भगवदर्शनं करनेके लिये जो कोई आता है, भगवद्भक्त होगा इस भावानाको रख कर ही उसे भगवान्का दर्शन करना उचित है, नकि उसे अभक्त जानते हुवे” (विम.पु.सं.८०)।

श्रीहरियचरणद्वारा निरूपित — “अवैष्णवके समक्ष स्वसेव्यका प्रदर्शन करनेपर विमर्शकेवाकी निष्कलता” — के बारेमें भी विमर्शकाका कहना है कि यहां ‘अवैष्णव’ पदका अर्थ ‘अभक्त’ कर लेना चाहिये। क्योंकि श्रीगुरांगजीने मीराबाईको श्रीनाथजीके तथा गोविन्दास खालसको मन्त्रोपदेशके पूर्व भी श्रीनवीतप्रियाजीके दर्शन कराये थे (विम.पु.सं.८१)

विमर्शकास्का यह भी कहना है कि साधनदीपिकामें श्रीगोपीनाथजीने विवेकित न होनेके कारण — “अलंकृतैव सप्रेम स्वभक्तानेव दर्शयेत्” नहीं कहा अन्यथा कहते ही।

प्रभुचरण श्रीगोपीनाथजीने तो, “अलंकृतैव स्वीयान् वा भक्तान् वा प्रिप्रदशयेत्” भी नहीं कहा! अतः इस कल्पको भी विमर्शकां अविवेकित क्यों नहीं मान लेते?

स्त्री बात विमर्शकाद्वारा प्रस्तावित भगवदर्शनसम्बन्धी व्यवस्थाकी कि “स्वीयबुद्धिसे अथवा भक्तबुद्धिसे सभीको या किसीको भी अपने आपाध्यके दर्शन करानेमें कोई दोष नहीं है”。 तब तो “कर्मण द्विशिविदोः साकल्ये” (पा.सू.३४।१२) नियमके अनुसार प्रभुचरणने

“अलंकृतैव सप्रेम स्वीयदर्शी प्रदशयेत्” अथवा “अलंकृतैव सप्रेम भक्तसेवं प्रदशयेत्” क्यों नहीं कहा? लगता है कि विमर्शकारपीछे यहीं व्यवस्था प्रभुचरण श्रीगोपीनाथजीको सर्वथा अविवेकित ही नहीं अनभिमत भी है।

महाभूत तथा प्रभुचरण द्वारा कराये गये दर्शनोंको लेकर विमर्शकाके द्वारा उठाया गया प्रश्न तो वार्ताविमर्शकी विशेषानुभवमें सुविशदतया निरस्त कर दिया जायेगा। वैसे दिल्लिन्देश यहां भी संग्रहकारिकामें प्रस्तुत कर ही दिया गया है।

### संग्रहकारिका

**भाव:** प्रमाणं भगवान् प्रमेयः फलं तदेकप्रबन्धं हि चित्तम्॥  
तत्साधनं यत्तुविज्ञनं चतुष्यं पुष्टिष्ठु सुगोप्यम्॥१॥  
देहाभिमाने सति शास्त्रसिद्धैः स्वकीयवरणाश्रिमध्मर्मलैः॥  
यद्वा स्वधर्मरूपं लोकसिद्धैः अवर्णिनां पुष्टिपथानुगानाम्॥२॥  
तद्विप्रयोगे शिष्यितेभिमाने प्रदर्शनं नैकतमस्य शक्यम्॥  
वक्तुं तु वैकल्यवशात्कदावित् प्रकृष्टभावे प्रकटेऽपि जाते॥३॥  
स्वार्थप्रतिष्ठाप्रतिपक्षस्य प्रकारणं स्वगृहे स्थितस्य॥  
देवालयेऽस्थितविग्रहस्य प्रदर्शनं नैव निविष्यतेऽत्र॥४॥  
सर्वाधिकारे हि निर्दशनं वेद निवेदनाहृकृतदर्शनं यत्॥  
पाणिग्रहेऽपीह कुमारिकायः अदूनार्थं रसणं प्राप्ताणम्॥५॥  
तस्मात् या साधनदीपिकायां स्वकीयभक्तस्य कृते हृत्यनुज्ञा॥६॥  
स्वार्थप्रतिष्ठाविव्यप्तर्थोऽप्रदर्शनस्य प्रकटीकृता सा॥७॥  
**प्राञ्छी:** कृतं यच्च प्रदर्शनं तत् परार्थदेवालयसंस्थितस्य॥  
श्रीशशस्य सर्वाद्दण्डव्रतस्य निर्दर्शनं तत्य कुमावच्चोद्यम्॥८॥  
रूदार्थमोषेण विलक्षणार्थो विमर्शकारेण विभावितो यो॥  
त्यागोपदेशाप्तनिषिद्धातयै तिलाभ्यन्ति यच्छति सर्वशायम्॥९॥

सोऽर्थश्चेत्यम्  
नो वैष्णवतं न च भक्तिमत्वं न स्वीयता सन्ति नियामकानि॥

स्वाराध्यसंराधनसम्प्रदर्शे नियामका स्यान्मतिरीदृशी वै ॥१॥  
 भूतप्रतिष्ठापदमोहजाता निषिद्धतायाः कुविमर्शर्तिः ॥  
 धर्म्यं वदेद् गोप्रतमतेभावे सगोत्रकन्याकरपीड़नं वै ॥१०॥  
 विधिनिषेधकवाक्यविवेचने विदिवारवध्यमणं भवेद् ॥  
 मुनिकृतं गमकं कृतिनिर्णये तदलभेद तदुक्तिविचित्तनैः ॥११॥  
 विधौ वा निषेधे निजाचार्यवाण्यं  
 तदाचारतो लक्षणामाश्रयन्ति ॥  
 मुथैव प्रमाणं च तां कल्पयन्ति  
 वरं ते हि ये न प्रमाणं बदन्ति ॥१२॥

इति श्रीमद्गोस्वामीक्षितात्मजेन श्याममनोहरेण विरचिता  
 'सेवाप्रदर्शनं' शीर्षकान्तर्गतसंकलितविषयवाक्यविचारे  
 'विमर्श' विशेषधनिका



## \*पृष्ठि-अस्मिता\*

\*दर्पस्तु भगवदीयतया स्वलगो मृत्युपत अन्यथा ज्ञानमार्गात्  
 को विशेषः स्यात्? परम् उदगतो न अवश्यते.\*  
 (सुबोधिनी : १०६०।२९).

\*स्वयं कोइ भगवदीय होय तो क्या भयो! थोड़ो सो  
 तो दर्प हृदयमें रखनो ही चहिये, अन्यथा ज्ञानमार्ग और  
 भवितमार्ग के बीच अन्तर ही क्या रह जायेगो? या दर्पुं, परन्तु, व्यवहारमें  
 सर्वदा उभारते रहेकी अर्थात् बाह्यप्रदर्शनकी अपेक्षा नहीं.\*

(१)निष्ठाभावे फलं तस्मात् नास्त्वेवेति विनिश्चयः,  
निष्ठाच साधनैरैव न मनोरथ-वार्तया.

(१)कोई भी मार्ग निष्ठोके अभावमें फलप्रद हो ही नहीं  
पावे. ये निष्ठा फल पावेके केवल मनोरथ या केवल वाणीविलास  
के द्वारा नहीं परन्तु साधननके अनुष्ठानद्वारा ही प्रकट हो पावे  
हैं.

(२/क)यस्तु स्वार्थं भगवन्तं सेवते सो अधमः..

(सुबोधिनी : २१।१९).

(२/ख)यदैव कृष्णो रोचते तदैव विषयाः न

रोचन्ते.

(सुबोधिनी : १६।२७).

(२/क)जो व्यक्ति स्वार्थवश भगवान्की सेवा करे हे वाकुं तो अधम अधिकारी समझानो चहिए.

(२/ख)जब कृष्ण अच्छो लगानो शुरु होवे तो विषय अच्छे लगाने बंद होवे लांगे.

(३/क)गुप्तो हि रसो रसत्वम् आपद्यते.

(सुबोधिनी : १०।१८।५).

(३/ख)अगुत्स्तु रसाभासः स्यात्.

(सुबोधिनी : १०।५६।४४).

(३/क)रस जब तक गुप्त रहे तभी तकं रस होवे.

(३/ख)जो भाव गुप्त न रह पायो वो तो रसाभास बन गयो.

(४)लक्ष्मीकलत्राय किम् अस्ति देयम्!

(तत्त्वार्थदीपनिबन्ध : ११).

(४)जिनकी पत्नी स्वर्य श्रीलक्ष्मी हैं ऐसे भगवान्कुं अपन वया दे सकें।

(५)जो ठाकुरजीको द्रव्य खायगो सो मेरो नाहिं. अरु मेरो सेवक (=गहण्य श्रीवल्लभाचार्वणको सेवक अथवा बंज भी) भगवदीय होयगो सो देवद्रव्य कबुं न खायगो. जो खायगो सो महापतित होयगो.

(घर्षवार्ता : प्रसंग ३).

(६)पठनीयं प्रयत्नेन सर्वहेतुविवर्जितं वृत्त्यर्थं नैव युज्जीत प्राणौः कण्ठगतैरपि.

(तत्त्वार्थदीपनिबन्ध : २।२८।३-२८।४).

(६)ग्राण कण्ठमें भी आके कोंों न अटके होय पर श्रीमद्भागवतको पाठ धनोपार्जनार्थं तो कदापि नर्ही कलो चहिये—सप्रयत्न सर्वहेतुहित ही श्रीमद्भागवतको पाठ करनो चहिये.

(७/क)धनाभिनिविष्टचित्ताः न भगवत्सम्मुखाः भवन्ति, बालाश्व ते स्तनपानव्यग्राः मातरमेव मन्यन्ते.

(सुबोधिनी : ३।१६।२०).

(७/ख)‘लोक’पदेन लौकिको अर्थः उच्यते. तदर्थीं चेत् कृष्णं भजेत् तदा व्यापारवद् अर्थे सिद्धे तस्यापि अनर्थरूपत्वेन तत्कृतं सर्वं कलेशरूपमेव.

(सिद्धान्तमुक्तावली.प्रकाश : १६-१७).

(७/क)जिनको चिन्त धनमें ही लयो रहो होय वे कभी भगवत्सम्मुख नर्ही हो पावें. वे तो ऐसे दूधमुहें छोटे बालकान्के जेसे होवे हैं जो केवल मांकुं ही जानते होय—अर्थात् अपने पिताकुं जो अभी पहचान ही न पाये होयं.

(७/ख)‘लोक’पदको अर्थ है—लौकिक विषय. लौकिक विषयनकी कामना रखनेवालो, यदि श्रीकृष्णभजन करतो भी होय ओर वाके द्वारा वाकुं कुछ प्राप्त भी हो जातो होय तो वो व्यापारकी तरह अनर्थरूप ही होवेसूं वाको कियो-धर्यों सब कुछ कलेशरूप ही होये हैं.

(८)यावद् अन्तःकरणे साक्षात् प्रभोः प्राकटदं

नास्ति तावदेव बहिर् आविष्करणं भवति.

( अपुभाष्य : ३।४।४९ ).

(८)जब तक प्रभु साक्षात् स्वयं हृदयमें नहीं प्रकर्ते तभी तक भावनको बाह्यप्रदर्शन सम्भव है.

(९/क)चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्धै तनुवित्तजा.

( सिद्धान्तमुक्तावली : २ ).

(९/ख)बीजदाढ़र्चप्रकारस्तु गृहे स्थित्या...भजेत्

कृष्णम्.

( भक्तिवर्धिनी : २ ).

(९/क)चित्तकुं भगवान्में तल्लीन बनानो होय तो अपने तन और अपने ही धन सूं भगवत्सेवा करनी चाहिए.

(९/ख)भक्तिके बीजभावकुं दृढ़ करवेको उपाय तो स्वयं अपने घरमें भगवद्भजन करनो ही है.

(१०)तस्मात् श्रीवल्लभारत्य ! त्वदुदितवचनाद्  
अन्यथा रूपयन्ति भ्रान्ता ये ते निरर्गीत्रिदशरिपुतया  
केवलान्धन्तमोगाः.

( श्रीवल्लभाष्टक : ३ )

(१०)यालिये हैं श्रीवल्लभ ! जो शास्त्रवचनको अर्थ 'आपके वचनसूं विपरीत निकालें उनकुं तो सहज असुर अथात् केवल अन्धन्तमो नरकमें गिरनेवाले ही जाननो चाहिये.

